खण्ड-134, अंक-3
बुधवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1876
(21 अप्रैल, 1954 ई0)

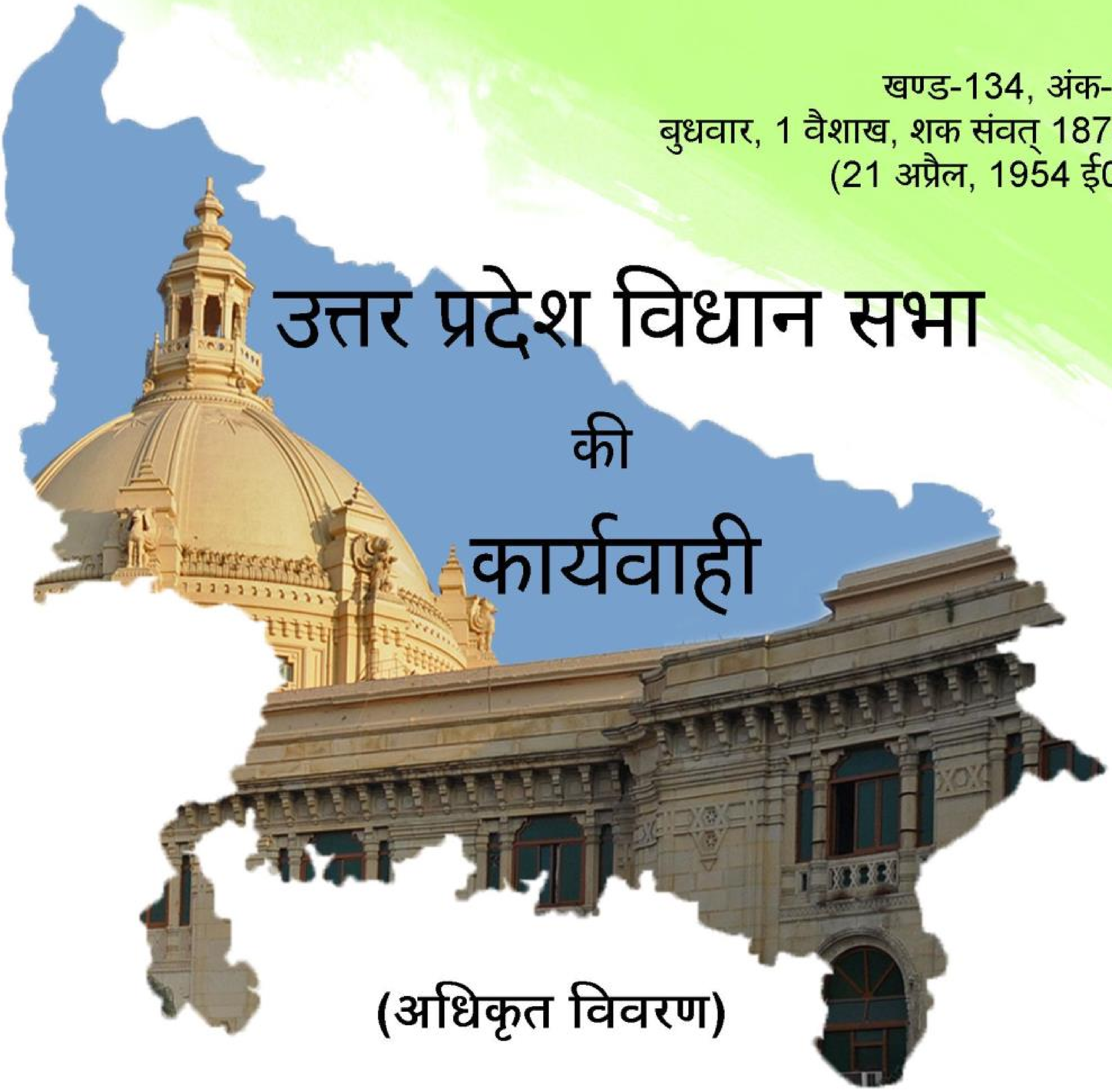

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 134 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (४०३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
ज़ोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

विधान सभा प्रदेश

नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री,
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री

विधान सभा प्रदेश

यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर , श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी , श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

[२० अप्रैल, १९५४ के स्थगित प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में जगतबेला रेलवे स्टेशन पर बम-दुर्घटना

**१--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च को रात को Northern Eastern Railway के जगतबेला (जिला गोरखपुर) स्टेशन पर रेल में बम फटने से जो दुर्घटना हुई उसमें कितने आदमी मरे तथा कितने घायल हुये।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--३१ व्यक्ति मरे और ३५ घायल हुये।

**२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बम लखनऊ को ले जाया जा रहा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, बम आगरा ले जाया जा रहा था।

**३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बम को कोई सरकारी कर्मचारी ले जा रहा था? यदि हां, तो वह किस की आज्ञा से रेल में ले जाया जा रहा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, एक मैजिस्ट्रेट की आज्ञा द्वारा ले जाया जा रहा था।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बम को ट्रेन में ले जाने की इजाजत रेल वालों से ली गई थी या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो इस वक्त तक जो जांच हुई है उसको मैं संक्षेप में बयान कर दूं ताकि बहुत से सप्लीमेंटरी क्वैश्चन्स कम हो जायं।

अक्तूबर के महीने में तीन नैपाली यह गिलेगनाइट ले जाते हुये पकड़े गये। ऐसा मालूम होता है कि इसके पहले भी नैपाल में यह चीज जाती थी लेकिन बहरहाल पहले पहल अक्तूबर के महीने में यह चीज गिरफ्तार हुई। गिलेगनाइट एक ऐसी चीज है जिसमें यूं तो विस्फोट होता है लेकिन उसमें एक्सप्लोजन होने के लिये दो चीजों की जरूरत होती है। एक चीज तो डिटोनेटर होती है और एक पलीता होता है जिसको कहते हैं फ्यूज। अगर यह दोनों चीजें न हों तो आग नहीं लगती है। बहरहाल तीनों आदमी इन चीजों को पेट्रोल के तीन टिनों में ले जा रहे थे भर करके। चाहिये यह कि यह तीनों सामान अलग-अलग रक्खे जायं यानी फ्यूज, डिटोनेटर और गिलेगनाइट। बहरहाल वह एक ही साथ तीनों को ले जा रहे थे जब कि वह सब पकड़े गये। तो पुलिस के लिये एक यह नयी चीज थी। उनको अन्दाज नहीं था कि क्या करना चाहिये। उन्होंने जैसे पाया वैसे ही मालखाने में रख दिया पेट्रोल के टिनों में। एक्सप्लोजिव के जो इन्सपेक्टर हैं उनका दफ्तर आगरे में है। उनको लिखा गया कि हम आपके यहां जांच के लिये सामान भेजना चाहते हैं। किसी की ग़लती से सामान भेजने में कुछ देर भी हुई। उनका खत आया और जनवरी के महीने में मैजिस्ट्रेट ने सामान भेजने की आज्ञा दी। दो कांस्टेबिल्स के सिपुर्द यह काम हुआ कि वह इसे आगरा पहुंचायें। यहां तक तो बात बिल्कुल निश्चित है।

इसके आगे जो बात मैं कहता हूं उसका बिलकुल निश्चित रूप से प्रमाण तो नहीं है क्योंकि आगे मैं अर्ज करूंगा लेकिन जो कुछ प्रमाण अभी तक मिल सके हैं उन्हीं के आधार पर मैं कहता हूं कि यह दोनों कांस्टेबिल्स इस एक्सप्लोजिव को लेकर स्टेशन आये। वहां एक बोगी थी जिसमें थर्ड क्लास के चार डिब्बे थे। एक डिब्बे में रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के चार कांस्टेबिल्स थे।

इसी डिब्बे में यह दोनों पुलिस कांस्टेबिल आ करके बैठे। एक गलती यह हुई थी। दूसरी ग़लती यह हुई कि थोड़ा सा नमूना भेज देते लेकिन ऐसा नहीं किया। किसी को अन्दाज न होने की वजह से ३ खाकी झोलों में वैसे ही वह सब सामान गिलेगनाइट, डिटोनेटर और फ्यूज भर करके चले और रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के डिब्बे में ग़ालिबन बैठे जैसा कि मैं बताऊंगा कि इसका प्रमाण नहीं है और यह रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस वालों से पूछ करके बैठे, उनकी राय से बैठे या देर से आये इसलिये उसमें बैठे या कैसे बैठे यह कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात यह जांच से मालूम हुई है कि उस तारीख को आगरा के लिये गोरखपुर से कोई टिकट नहीं ईश्यू हुआ। इसके माने यह हैं कि इन दोनों पुलिस कांस्टेबिलों ने टिकट नहीं लिया। शायद उनका खयाल यह था कि हम पुलिस के आदमी हैं, बग़ैर टिकट के वहां पहुंच जायंगे और पैसा जो उनको मिलेगा वह बच जायगा। चूंकि यह चोरी से बग़ैर टिकट लिये बैठे, इसलिये इन्होंने रेलवे वालों को खबर नहीं दी कि हम एक्सप्लोसिव का सामान लेकरके जा रहे हैं। इसमें जंगलबेला छपा है लेकिन है जगतबेला स्टेशन। तो जगतबेला स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलवे की बिजली गायब हो गयी और जगतबेला के करीब पहुंच करके ऐसा मालूम होता है कि रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस वालों को इस बात की इत्तिला मिली कि आगे किसी स्टेशन पर हमारे आफिसर हैं और वह जांच करेंगे। रेलवे में कायदा यह है कि रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के डिब्बे में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अलावा और कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता है। लिहाजा जब उनको आगे जांच होने की इत्तिला मिली तो रेलवे पुलिस वालों ने उन दोनों कांस्टेबिलों से कहा होगा कि उतर जाइये। ऐसा मालूम होता है कि अंधेरे में उतरने की कोशिश में उन दोनों कांस्टेबिलों में किसी एक के हाथ से एक झोला गिरा और गिरने की वजह से डिटोनेटर में जो हलचल होनी चाहिये वह हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि गिलेगनाइट में एक्स-प्लोजन हो गया और फिर उसका जो नतीजा हुआ वह हम सब लोगों ने अखबार में पढ़ा है। इस सम्बन्ध में और प्रमाण मिलने में मुश्किल यह है कि वह दोनों कांस्टेबिल मर गये जो सामान ले जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के जो चार आदमी थे उनमें से तीन मर गये और एक को इतना गहरा शाक लगा है कि वह अब भी अस्पताल में पड़ा हुआ है और इस लायक नहीं है कि बयान दे सके। इसके अलावा मालखाने में क्यों सामान पड़ा रहा किसी से पूछा गया कि गिलेगनाइट, डेटोनेटर और फ्यूज को अलग रखना चाहिये या नहीं, और उन दोनों कांस्टेबिलों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स दिये गये या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच नहीं हो पायी है। जो जांच अभी तक हुई है उसके फैक्ट्स मैंने सदन के सामने रख दिये हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के उच्च पुलिस अधिकारियों ने जब उस गिलेगनाइट को आगरा भेजने की आज्ञा दी तो फिर उन्होंने कांस्टेबिल्स को इस बात के इंस्ट्रक्शन्स दिये या नहीं कि इसमें यह पाबन्दी करनी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात को सुना नहीं। मैंने यही कहा था कि इस बात की जांच नहीं हो पायी है क्योंकि पुलिस कांस्टेबिल तो मर ही गये और जिस मैजिस्ट्रेट या आफिसर से पूछा जायगा वह यही कहेगा कि हमने हिदायत दी थी। इसलिये इस बात की जांच की कोशिश दूसरे तरीके से की जा रही है ताकि मालूम हो सके कि सचमुच इंस्ट्रक्शन्स दिये गये थे या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके अत्यन्त महत्व को देखते हुये क्या वे इस बयान पर विवाद के लिये कुछ समय देने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या विवाद होगा लेकिन एक बात प्रत्यक्ष है कि अभी रेलवे की तरफ से भी जांच हो रही है और हमारी तरफ से भी जांच हो रही है और जब तक वह जांच पूरी न हो जाय तब तक यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी जांच में यह भी नहीं मालूम हुआ है कि कांस्टेबिल अपने मन से ले जा रहे थे एक्सप्लोजन का सामान या किसी पुलिस के अधिकारी के मन से ?

श्री अध्यक्ष---यह तो स्टेटमेंट में आ चुका है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह कौन लोग ले जा रहे थे और कहां को ले जा रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह सामान नैपाल जा रहा था और तीन आदमी ले जा रहे थे और उनके नाम हैं, शेर बहादुर, धन बहादुर और खड़क बहादुर।

श्री नेकराम शर्मा ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये लोग कौन थे और कहां के रहने वाले थे और किस उद्देश्य से यह सामान ले जा रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह नैपाली हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन जब तक मुकदमा न हो जाय तब तक यह कहना मुश्किल है कि किस उद्देश्य से ले जा रहे थे।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मामले की जांच कौन अधिकारी कर रहा है, उसका नाम क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारी तरफ से पुलिस से भी जांच हो रही है, रेलवे ने भी एक अधिकारी मुकर्रर किया है और आज ही माननीय सदस्य ने अखबार में देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक क्लेम्स आफिसर नियुक्त किया है। इस तरह से कई अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सामान ले जाया जा रहा था उसमें कौन-कौन सा सामान था और कितनी-कितनी मात्रा में था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मात्रा तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता हूं लेकिन सामान बतला सकता हूं। उसमें गिलेगनाइट, डेटोनेटर और फ्यूज थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उस आज्ञा को पढ़ने की कृपा करेंगे जो बमों को ले जाने के सम्बन्ध में दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह आज्ञा तो मेरे पास इस समय नहीं है। उसमें इतना ही था कि क्योंकि उनके पास खत लिखा गया था इंस्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज का कि सामान जा रहा है तो उनको कहा गया था कि यह सामान पहुंचा दें। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बात उसमें नहीं थी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने बम इस प्रकार के पकड़े गये थे जिनमें से कुछ ले जाये जा रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने अभी निवेदन किया कि जो सामान पकड़ा गया उसकी पूरी संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार उन आदमियों को जिनकी इस एक्सप्लोजन में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को कुछ पेंशन इत्यादि देने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य ने देखा होगा, आज ही के अखबार में है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने गोरखपुर के कलेक्टर को क्लेम्स आफिसर नियुक्त किया है। तो जितने लोगों को क्षति पहुंची है उनके क्लेम्स को वह आफिसर देखेगा और किसको क्या देना चाहिये इसका फैसला करेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात मैं और कह दूं कि अभी मुझसे पूछा गया था कि कितना सामान मिला है। उस समय मैंने यह कह दिया था कि मेरे पास उसकी सूची नहीं है परन्तु बाद में देखने से मुझे एक नोट मिला जिसमें लिखा है कि गिलेगनाइट २८६, डेटोनेटर्स ५९० और फ्यूज ६३ फीट था।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के पास ये बम पकड़े गये वे गिरफ्तार हुये या छूटे हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गिरफ्तार हैं, जेल में हैं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सच है कि ३१ मार्च के वाक़या के पहले भी पुलिस वालों ने ऐसी ही गिलेगनाइट स्टिक्स आगरा भेजी थी ? और अगर सच है तो उस मर्तबे क्या एहतियात किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी इत्तला है कि ऐसा नहीं हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि जो लोग पकड़े गये हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के भी नाम बतलाये हैं जिनका नैपाल और हिन्दुस्तान की कान्सपीरेसी से सम्बन्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को मालूम है कि जो बम नैपाल भेजे गये थे वे कम्यूनिस्ट पार्टी ने भिजवाये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है।

श्री भगवान सहाय---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जांच में ऊंचे अधिकारियों की जिम्मेदारी के ठहराने का सवाल है क्या सरकार कोई ऐसी जांच कमेटी बिठालने के बारे में विचार करेगी जिसमें हाई कोर्ट के जजेज या और बड़े अफसर हों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती और वह इस बात से प्रकट है कि जो मैंने अभी निवेदन किया उससे जाहिर है कि इतना निश्चित रूप से स्वीकृत है कि गलतियां हुईं। अगर पुलिस की तरफ से या मैजिस्ट्रेट की तरफ से छिपाने की बात होती तो इस बात को ऐडमिट ही नहीं किया जाता। जिनकी भी गलतियां हुईं उनको छिपाया नहीं जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके अंदाज में कितना समय जांच में लगेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जांच में ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चार्ज शीट तैयार है लेकिन सिर्फ इंतजार इस बात का है कि अभी तक इंसपेक्टर आफ एक्स-प्लोजिब्स की रिपोर्ट नहीं मिली है। उसकी रिपोर्ट आते ही मुकदमा फौरन शुरू हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद सदन को मौका देंगे कि इस पर विवाद किया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहरहाल यह कोई प्राइवेट चीज तो होगी नहीं। अगर सदन की इच्छा होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा में काली नदी के विभिन्न घाटों पर नमक के बोरों पर उतराई कर

*१---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ तहसील में काली नदी के (१) झूलाघाट (२) जौलजीबी (३) टुनावगढ़ (४) धारचुला (५) सागुड़ी वगैरह घाटों में सन ५२ से पेश्तर नमक के फी बोझ की घाट उतराई एक आना ली जाती थी?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी हां।

*२---**श्री खुशीराम**---क्या यह सही है कि अब फी बोझ उतराई तिगुनी-चौगुनी ली जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहनलाल गौतम---नैपाल सरकार ने अपनी सीमा के अन्दर आयात-निर्यात कर में वृद्धि कर दी है।

*३---**श्री खुशीराम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उतराई कर में वृद्धि किस कारण हुई और क्या वह इस वृद्धि में कमी करने का विचार रखती है?

श्री मोहन लाल गौतम---इस सरकार को न तो वृद्धि का कारण ज्ञात है और न उसको इसमें कमी कराने का ही कोई अधिकार है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सवाल में जो दिया हुआ है वह कुल भाग नैपाल सरकार के अन्दर है या कुछ भाग भारत सरकार में है?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो फेहरिस्त है इसमें कुछ हिस्सा भारत सरकार की जमीन पर भी है।

श्री खुशीराम ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हिस्सा भारत सरकार में है उसमें यातायात के सम्बन्ध में कर में कुछ वृद्धि हुई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--भारत सरकार तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वग़ैरह अन्य किसी भी संस्था ने कोई कर में वृद्धि नहीं की है।

*४--**श्री धर्मसिंह** ---[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

ब्रेन ट्यूमर के इलाज की व्यवस्था

*५--**श्री धर्मसिंह** ---क्या सरकार बताने की की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में क्या Brain Tumour की इलाज की व्यवस्था है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--गांधी स्मारक तथा सम्बन्धित अस्पताल, लखनऊ के एक सर्जन ने Brain Tumour के इलाज में विशेष शिक्षा प्राप्त की है। उन खास औजारों का प्रबन्ध भी किया जा रहा है जिनकी इस इलाज के संबंध में आवश्यकता होती है Brain Tumour के छोटे आपरेशन सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में भी किये जाते हैं।

*६--**श्री धर्म सिंह**--यदि नहीं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में Brain Tumour का इलाज करने की व्यवस्था करने का यह विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्रेन टयूमर क संबंधित औजारों को खरीदने में सरकार ने कितने रुपये व्यय किये हैं ?

श्री बनारसी दास--लखनऊ में काफी संख्या में औजार मौजूद हैं। पूरा सेट नहीं है। पूरे सेट के लिये आर्डर दिया जा चुका है। लेकिन वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में ब्रेन ट्यूमर के अलग अस्पताल खोलने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। सिवाय लखनऊ और आगरा के और कहीं नहीं है।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्रेन ट्यूमर के कितने आपरेशन्स हुये हैं ?

श्री बनारसी दास--जैसा कि कहा गया है मेजर आपरेशन के लिये सामान नहीं है, लेकिन मायनर आपरेशन काफी तादाद में हुये हैं, और हो रहे हैं।

मगरवारा बोन मिल (उन्नाव) की दुर्गन्ध से कष्ट

*७--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह विदित है कि मगरवारा बोन मिल (उन्नाव) के अहाते में हड्डियों की सड़न से जबरदस्त दुर्गन्ध दूर तक फैलती है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

*८—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—क्या इस जगह के रहने वालों को इस दुर्गन्ध से बचाने का कोई उपाय सरकार करने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, इस कार्य की जांच करने के लिये एक विशेष अधिकारी को आदेश दिया गया है। उसकी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में कालाजार के कम्प का तोड़ा जाना

*९—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील के उत्तरी क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो कालाजार के डाक्टर कैम्प लेकर दवा करते थे उनका कैम्प उस तहसील से अब क्यों तोड़ दिया गया ?

श्री बनारसी दास—कालाजार यूनिट से लाभ उठाने वालों की संख्या बहुत कम होने के कारण २ यूनिट बस्ती जिले की व ४ यूनिट और दूसरे जिलों की तोड़ दी गई हैं।

*१०—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र में कालाजार की बीमारी अब भी जोरों पर है और कालाजार के डाक्टर का कैम्प वहां से टूट जाने से वहां की जनता बहुत ही दुखित है ?

श्री बनारसी दास—कालाजार पीड़ित क्षेत्रों के अस्पतालों में कालाजार के रोगियों की चिकित्सा के लिये आवश्यक दवाओं का इन्तजाम कर दिया गया है और वे उनसे लाभ उठा सकते हैं।

*११—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया उक्त क्षेत्र की ऐसी विकट समस्या को देखते हुये शीघ्र ही कालाजार के डाक्टर का कैम्प उस क्षेत्र में भेजवाने की व्यवस्था करेगी।

श्री बनारसी दास—बस्ती जिले में स्थित एक यूनिट जो अब भी वहां काम कर रही है, उन क्षेत्रों का जहां पर कालाजार यूनिट की अधिक आवश्यकता है दौरा समाप्त करने के बाद बांसी तहसील के उत्तरी भाग का भी दौरा करेगी।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में कालाजार यूनिट्स से लाभ उठाने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो अभी दिया जा चुका है कि वहां पर चूंकि कालाजार के रोगियों की संख्या कम है, इसलिये वहां यूनिट तो तोड़ दिया गया है, लेकिन अस्पतालों में कालाजार की विशेष दवाओं की व्यवस्था कर दी गयी है और पीड़ित वहां पर लाभ उठा सकते हैं।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में १५ मील के करीब में कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसी दास—जहां भी अस्पताल है, वहां ऐसी व्यवस्था है कि एक यूनिट वहां काम कर रहा है। पहले दो यूनिट थे और इसी तरह से तोड़ा गया था कि काफी संख्या के अन्दर रोगी नहीं थे।

बीरोखाल (गढ़वाल) सिविल अस्पताल के प्रान्तीयकरण पर विचार

*१२--श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि बीरोखाल (गढ़वाल) का जिला बोर्ड सिविल अस्पताल बहुत पुराना है और एक लाख जन संख्या के बीच में स्थित है? क्या सरकार इसका प्रान्तीयकरण करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास--जी हां, इसके प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर अगले वर्ष विचार होगा।

कानपुर और लखनऊ में लकड़ी तथा साफ्ट कोक की सप्लाई

*१३--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर और लखनऊ में लकड़ी सप्लाई का तरीका क्या रक्खा गया है तथा गत वर्ष दोनों शहरों में कितनी लकड़ी क्रमशः सप्लाई की गई?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--लखनऊ तथा कानपुर शहरों में सरकारी जंगलों से लकड़ी नियंत्रित भावों पर एजेंटों द्वारा आती है। यह एजेन्ट कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स द्वारा नियुक्त होते हैं। नियुक्ति साधारणतः टेन्डर के आधार पर होती है।

सन् १९५३ ई० में लखनऊ में ३,४२८ वैगन और कानपुर में २,३९२ वैगन नियंत्रित लकड़ी आई।

*१४--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर कानपुर और लखनऊ में रिटेल प्राइस साफ्ट कोक की क्या रक्खी गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कानपुर एवं लखनऊ में साफ्ट कोक का फुटकर भाव क्रमशः १ रु० १४ आ० ६ पा० तथा २ रु० प्रतिमन है।

कुष्ठ रोगियों को अलग रखने की व्यवस्था

*१५--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि कुष्ठ रोग के रोगी खुले आम रेलगाड़ी में, आम सड़कों पर और अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों में अबाध रूप से विचरते रहते हैं जिससे दूषित वायु का प्रभाव सर्वसाधारण के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*१६--श्री सियाराम चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार ऐसे रोगियों को अलग रखे जाने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार पूर्णरूपेण कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा तथा उनकी अन्य आवश्यकताओं के प्रति जागरुक है और इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है।

*१७-१८--श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--[५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले के बहादुर गंज कस्बे में चिकित्सालय की आवश्यकता

*१९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गाजीपुर जिले के बहादुर गंज कस्बे में अस्पताल बनाने की योजना अब तक कार्यान्वित नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—धनाभाव के कारण इस समय चिकित्सालय और उसके कर्मचारियों के लिये इमारतें बनाने में दिक्कत है। यदि स्थानीय जनता भवन बनवा सके तो अस्पताल को सरकारी खर्च से चलाने का प्रयत्न किया जा सकता है।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार किस प्रकार के भवन बनवाना चाहती है?

श्री बनारसी दास—ऐसा भवन जिसमें कि अस्पताल आसानी से चल सकता हो और साथ ही वहां के डाक्टरों और वैद्यों के रहने का प्रबन्ध हो।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसे सरकारी अस्पताल हैं उस प्रकार की इमारत बनवाने के लिये कोई रुकावट तो नहीं पड़ेगी?

श्री बनारसी दास—नहीं, ऐसा है कि जहां सरकार की तरफ से भवन बनते हैं उसके लिये तो एक निश्चित स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब तक नयी इमारत न बन सके उस वक्त तक काम चलाऊ इमारत को भी लिया जा सकता है।

देवरिया जिला बोर्ड को बाढ़ से क्षति ग्रस्त कार्यों के लिये अनुदान

*२०—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिला बोर्ड को बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों और स्कूलों के मरम्मत के लिए वह कुछ अनुदान देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितना?

श्री मोहनलाल गौतम—बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों एवं सड़कों की मरम्मत के लिये किस-किस जिला बोर्ड को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की जाय, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार इस प्रश्न पर पूरे प्रान्त भर के लिए विचार कर रही है या किसी खास जिले के लिये?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां-जहां बाढ़ आती है, उन्हीं जिलों से सम्बन्ध रखता है।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक सरकार निर्णय करेगी कि कितनी अनुदान किस जिले को देने जा रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न हर वर्ष, जितना बजट में प्रावीजन होता है उसके हिसाब से तय हो जाता है और यह रुपया भी जो ५,००० इस बजट में है, इसी वर्ष बट जायगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके में कौन सड़क है और कितनी मील लम्बी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ये सब आंकड़े जिले में ही रखे जाते हैं। सिर्फ जरूरी आंकड़े यहां भेजे जाते हैं।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी उन जिलों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनको वह बाढ़ग्रस्त मानते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—ज्यादातर १२-१३ पूर्वी जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ आती है। अगर कोई ऐसा जिला जो मुझे न मालूम हो कोई सदस्य बतलाना चाहें तो मैं उनका अनुगृहीत होऊंगा।

गोंडा जिले में तुलसीपुर को टाउन एरिया बनाने की सिफारिश

*२१—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधीश गोंडा ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व, तुलसीपुर कस्बा परगना तुलसीपुर जिला गोंडा में एक एड हाक टाउन एरिया कमेटी की नामजदगी कर दी थी और सरकार को लिखा था कि वहां टाउन एरिया घोषित कर दिया जाय ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—ग्राम तुलसीपुर में जिलाधीश ने कोई एड हाक टाउन एरिया कमेटी की नामजदगी नहीं की थी। उन्होंने तुलसीपुर को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव अवश्य किया था। उस समय इस सम्बन्ध में सरकार ने यह निर्णय किया था कि जिलाधीश ऐसे प्रस्ताव स्थानीय निकायों के आम चुनाव समाप्त होने पर पुनः प्रस्तुत करे।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि तुलसीपुर कस्बे की जनसंख्या कितनी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह सेंसज रिपोर्ट में दिया हुआ है। ७,०९६ मुझे याद है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि टाउन एरिया की स्थापना के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—आबादी इतनी हो कि वह टाउन एरिया के खर्च को बर्दाश्त कर सके और टाउन एरिया बनाने की इच्छा हो। इसमें आबादी ही मुख्य नहीं होती बल्कि उसका शहरी होना भी कुछ माने रखता है।

जिला एटा में नये अस्पताल खोलने की आवश्यकता

*२२—**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जलेसर जिला एटा में जो अस्पताल है उसमें मरीजों के रहने का कोई प्रबन्ध नहीं है ? क्या उसमें वे नई इमारत बनवाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—जलेसर में जिला बोर्ड का एक अस्पताल है जिसमें ६ पुरुष और ४ स्त्रियों के रहने का प्रबन्ध है। इस अस्पताल में नये भवन के निर्माण का कोई विचार इस समय नहीं है।

*२३—**श्री चिरंजीलाल जाटव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना अवागढ़ जिला एटा में वह कोई अस्पताल खोलने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*२४—**श्री चिरंजीलाल जाटव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना निधोली कलां जिला एटा में यह कोई अस्पताल बनाने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

जिला पीलीभीत में ग्राम बरखेड़ा कलां के ग्राम सभापति पर अविश्वास का प्रस्ताव

*२५—**श्री हरिप्रसाद** (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बीसलपुर जिला पीलीभीत के ग्राम बरखेड़ा कलां के ग्राम सभापति पर गबन के अभियोग में अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत राज आफिसर, पीलीभीत को भेजा गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, अविश्वास का प्रस्ताव नियमित रूप से नहीं लाया गया था, इस कारण अवैधानिक घोषित किया गया।

*२६—**श्री हरि प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस गबन के संबंध में कोई जांच हुई है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

संडीला, जिला हरदोई के अस्पतालों की मरम्मत की आवश्यकता

*२७—**श्रीमती लक्ष्मी देवी** (जिला हरदोई)—क्या सरकार को ज्ञात है कि संडीला जिला हरदोई के अस्पताल की पुताई व मरम्मत कब से नहीं हुई है?

श्री बनारसी दास—१९५१ से।

*२८—**श्रीमती लक्ष्मीदेवी**—क्या सरकार को मालूम है कि संडीला के जनाने अस्पताल की दीवार टूटी होने के कारण इमारत खतरनाक हालत में है और उसमें जानवर आसानी से आते जाते रहते हैं?

श्री बनारसी दास—दीवार टूटी हुई है।

खीरी जिले में मलेरिया रोक थाम योजना के अन्तर्गत साधन

*२९—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि तहसील निघासन में Anti Malaria Scheme के अन्तर्गत कितना D. D. T. Aromax साबुन तथा कितने Spray Pumps दिये गये?

श्री बनारसी दास--डी० डी० टी० और स्टीरप पम्प केवल मलेरिया रोक थाम योजना से संबंधित स्थानों में ही दिये जाते हैं इनका वितरण तहसीलवार नहीं होता। इसलिये तहसील निघासन के बारे में मांगी हुई सूचना पृथक रूप में उपलब्ध नहीं है

सरकारी मलेरिया योजना जो बाद में नेशनल मलेरिया कंट्रोल योजना में मिल गई थी, के अन्तर्गत पूरे खीरी जिले को निम्नलिखित सामान दिया गया था--

			पौंड
१--सरकारी मलेरिया के रोकथाम की योजना:			
डी० डी० टी०	१०० %		२,२४०
डी० डी० टी०	७५ %	W. P	३,७७७
डी० डी० टी०	५० %	W. P	२२४०
एरोमेक्स			१०००
लांड्री चिप्स			२२४
स्टीरप पम्प्स			१५०
२--नेशनल मलेरिया कंट्रोल स्कीम:			
डी० डी० टी०	७५ %	W.P	९०,५९२
स्टीरप पम्प्स			५६
हैन्ड कम्प्रेसर			२८
पावर स्प्रेयर्स			१

*३०--**श्री जगन्नाथ प्रसाद**--क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त सामान में से अधिकतर प्रयोग न किये जाने के कारण बरबाद हुआ पड़ा है?

श्री बनारसी दास--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार मलेरिया से पीड़ित क्षेत्र में डी० डी० टी० के स्थान पर पैल्युड्रिन टेबलेट्स तथा मलेरिया इंजेक्शंस अधिक दिलवाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री बनारसी दास--रोकथाम के लिये यहां पर डी० डी० टी० का व्यवहार होता है। लेकिन जब बीमारी होती है, तो वहां इस प्रकार की दवाओं का वितरण भी होता है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार डी० डी० टी० का प्रयोग स्थानीय अस्पतालों के मेडिकल आफिसर्स की देखरेख में करवाने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास--इसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां पर नैशनल मलेरिया कंट्रोल योजना के अनुसार एक विशेष अधिकारी इसी कार्य के लिये नियुक्त हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार डी० डी० टी० आरोमैक्स तथा स्प्रे पम्प के बरबाद होने की लिखित सूचना मिलने पर जांच करवाने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास--यदि इस प्रकार की कोई सूचना आयेगी तो अवश्य उसकी जांच की जायगी। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यह बरबाद हो गया।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि निघासन में विशेषाधिकारी की नियुक्त होने के बाद मलेरिया की बीमारी कम हो गई है?

श्री बनारसी दास--मलेरिया कंट्रोल योजना के अनुसार एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया जाता है, जहां पर कि यह योजना प्रचलित है और जैसा अभी बतलाया, केन्द्रीय सरकार के अधीन जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल योजना है उसके अनुसार एक असिस्टेंट हेल्थ आफिसर उसका इन्चार्ज होता है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि तहसील निघासन के काफी गांवों में मलेरिया का प्रकोप है, और वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

ग्राम पंचायत कछबन, जिला जौनपुर का उपचुनाव फल

*३१--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायत कछबन, तहसील केराकत, जिला जौनपुर का उप-चुनाव कब हुआ और उसका चुनाव फल क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--उपचुनाव २५ जनवरी, १९५४ को हुआ। श्री मुसाफिर सिंह प्रधान चुने गये।

*३२--**श्री बाबूनन्दन**--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सरपंच के चुनाव होने के बाद चुने हुये सरपंच को चार्ज मिला कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम--उपचुनाव सरपंच पद का नहीं था बल्कि गांव सभा के प्रधान पद का हुआ था निर्वाचित प्रधान को चार्ज मिल गया है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त चुनाव किन किन कारणों से हुआ था ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी मुझे सूचना चाहिये।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्वाचित प्रधान को चार्ज कितने दिन के बाद दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी सूचना चाहिये। यह दो दफा चुनाव हुआ पहले जुलाई में हुआ था जो अनियमित घोषित किया गया। फिर बाद में जनवरी में हुआ था।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि चुनाव के दिन कितने लोग वहां उपस्थित थे और वह चुनाव सर्वसम्मति से हुआ या बहुमत से ?

श्री मोहनलाल गौतम--चुनाव में कितने व्यक्ति उपस्थित थे इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन चुनाव निर्विवाद हुआ।

श्री परमेश्वरी राम (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत में सरपंच की कौन सी पोस्ट होती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने उत्तर में कह दिया है कि उपचुनाव सरपंच पद का नहीं बल्कि गांव पंचायत के प्रधान पद का था। इसमें प्रश्नकर्त्ता का भ्रम मालूम होता है।

*३३-३४--**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)--[५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५--श्री रामनारायण त्रिपाठी--[११ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

देवरिया जिले में नये अस्पतालों का निर्माण

*३६--श्री राजवंशी (जिला देवरिया)--क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कप्तानगंज, भाटपार रानी और फाजिलनगर में जो अस्पताल बन रहे हैं उनमें कौन-कौन बन चुके हैं और कौन-कौन बनने बाकी हैं ?

श्री बनारसी दास--तीनों अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं।

*३७--श्री राजवंशी--जो अस्पताल बन कर तैयार हो चुके हैं और जिनका बनाना बाकी है उनमें कितना रुपया खर्च हो चुका है और अभी कितना खर्च और होगा ?

श्री बनारसी दास--भाटपार रानी अस्पताल की इमारत पर ४४,००० रुपया, फाजिल नगर पर ४५,००० रुपया और कप्तानगंज पर ३४,८०० रुपया खर्च हुये हैं।

*३८--श्री राजवंशी--क्या जो अस्पताल बन कर तैयार हो चुके हैं उनमें रोगियों की चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

श्री बनारसी दास--कप्तानगंज का अस्पताल चालू हो चुका है और बाकी दोनों अस्पतालों में डाक्टर अभी भेजे गये हैं।

श्री राजवंशी--क्या भाटपार रानी, फाजिलनगर और कप्तानगंज ये तीनों एक ही नक्शे के अस्पताल हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री राजवंशी--जब तीनों एक ही नक्शे के अस्पताल हैं तो कप्तानगंज पर ३४,८०० रु०, भाटपार रानी पर ४५ हजार और फाजिलनगर पर ४४ हजार रुपया क्यों लगा ?

श्री बनारसी दास--शुरू में जब अन्दाजा लगाया गया था तो कम था लेकिन फाजिल नगर में काफी दिन काम रुका पड़ा रहा क्योंकि ठेकेदार ने काम छोड़ दिया था। फिर दूसरे ठेकेदार को काम दिया गया। थोड़ा अन्तर सामान के ले जाने में और कुछ कीमत के अन्दर अन्तर पड़ा। इन वजूहात से यह अन्तर है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री को इस बात की खबर है कि फाजिलनगर के ठेकेदार ने कुछ रुपया भी खा लिया था जिसके लिये इनक्वायरी हो रही है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, वहां इस प्रकार की शिकायत थी और पहले जिस ठेकेदार को काम दिया गया था उसके खिलाफ जांच हो रही है।

श्री गेंदा सिंह--तीनों अस्पताल जिन स्थानों पर खोले गये हैं वहां कालेजार की बीमारी की शिकायत है और अगर है तो उसके इलाज का क्या कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री बनारसी दास--जो भी आज कल कालेजार की बीमारी के क्षेत्र हैं वहां उसके लिये विशेष दवाओं की व्यवस्था होती है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि भाटपार रानी का अस्पताल कई साल से बन रहा है और पारसाल की बरसात में वह टपक भी रहा था ?

श्री बनारसी दास--यह तो अभी उत्तर दिया जा चुका है कि भाटपार रानी का अस्पताल बन कर तैयार हो गया है लेकिन पारसाल चूने लगा इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामश्वर लाल--क्या सरकार बतलायेगी कि सरकारी इमारतों के बनने में जो सीमेंट ठेकेदारों को दिया जाता है क्या सरकार उस सीमेंट का हिसाब-किताब अपने अधिकारियों द्वारा कराती है ?

श्री बनारसी दास--यह जो सीमेंट दिया जाता है, इमारत जब बन कर तैयार हो जाती है तो इंजीनियर लोग उसकी जांच करते हैं और जांच होने के बाद ही पेमेंट हो पाता है।

*३९-४१--**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद)--[७ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ३४-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

शिवरात्रि के दिन नारंगीवाह घाट, जिला आगरा में नाव दुर्घटना

*४२--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिवरात्रि के दिन नारंगीवाह घाट तहसील बाह, जिला आगरा पर एक भयंकर दुर्घटना नाव डूबने के कारण हुयी और उसमें बहुत सी जानें गयीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह सत्य है कि गत ३ मार्च १९५४, को सायंकाल के लगभग ५ बजे के समय, नौरंगीघाट पर नाव डूबने की एक दुखद घटना हुयी थी।

*४३--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह दुर्घटना किस प्रकार हुयी और उसमें कितनी जन-क्षति हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--नाव डूबने का ठीक कारण निश्चयात्मक रूप से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मेजिस्टीरियल जांच अभी जारी है। इस समय तक केवल सात मृत्यु प्रमाणित हो पायी हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मृतकों की संख्या निश्चित करने के लिये आसपास के क्षेत्रों से कोई जांच कराई गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम--जब मैजिस्टेरीयल इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जाय उसी वक्त यह कहा जा सकता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि दुर्घटना के होने के दिन कितनी नाव वहां पर चलायी गयी और ५ बजे तक कितने यात्री पार कर दिये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि इस पुल के दोनों ओर पी० डब्लू०डी० की सड़क है किन्तु फिर भी ठेका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित हुआ है कि इस दुर्घटना का कारण यह था कि उस नाव पर अधिक आदमी बैठा लिये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--उस इन्क्वायरी के सामने कुछ बातें आयी हैं जिसमें कुछ लोगों का यह भी कहना है लेकिन क्या सत्य है यह तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही कहा जा सकता है।

*४४-४५--**श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय** (जिला मिर्जापुर)--[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में एलोपैथिक अस्पताल की आवश्यकता

*४६--**श्री धनुषधारी पाण्डेय** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरयू तथा कुआनों नदियों के बीच तहसील खलीलाबाद जिला बस्ती में कोई एलोपैथिक अस्पताल खोलने की बात पर वह विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास--जी हां।

*४७--**श्री धनुषधारी पाण्डेय**--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त क्षेत्र में दवाओं की समुचित व्यवस्था न होने तथा पानी में आयोडीन की कमी के कारण उस क्षेत्र में नाना प्रकार की बीमारियां जैसे घेंघा, फीलपांव, हैड्रोसील, मलेरिया, आदि मनुष्यों को पीड़ित करती हैं?

श्री बनारसी दास--जी हां।

*४८--**श्री धनुषधारी पाण्डेय**--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त क्षेत्र में ३१६ मौजे हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग सवा लाख है और इसका सम्बन्ध वर्षा काल में जिले से अलग हो जाने के कारण वहां के निवासी जिले के अन्य दवाखानों से दवा नहीं प्राप्त कर पाते हैं?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री धनुषधारी पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सरकार के विचार हैं वह कब तक कार्य रूप में आयेंगे?

श्री बनारसी दास--पहले वहां पर एक अस्पताल खोलने का प्रश्न उठा था और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी ने वहां पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की सिफारिश की थी और इसके अलावा खलीलाबाद के अन्दर भी खोलने की सिफारिश आयी थी तो जैसे ही वहां से डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश इस सम्बन्ध में प्राप्त हो जायगी और जहां कोई भवन मिल सकेगा वहां अस्पताल तुरन्त खोल दिया जायगा।

श्री धनुषधारी पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जिला बोर्ड ने अपने एलोपैथिक अस्पताल की इमारत देना निश्चय किया है?

श्री बनारसी दास--जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि यह दोनों अस्पताल विचाराधीन हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जैसे ही यह प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो जायगा वहां पर अस्पताल की व्यवस्था हो जायगी।

श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि वह इन कठिन बीमारियों की रोक-थाम के लिये कोई दवाइयों की व्यवस्था कर रही है?

श्री बनारसी दास--यों तो जहां तक वहां बच्चों के अन्दर बीमारियां पाई जाती हैं उनके लिए वहां सभी स्कूलों में बच्चों को पानी के साथ आयोडीन देने की व्यवस्था है। इसके अलावा इन रोगों की रोकथाम के लिये वहां पर अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर यह घेंघा, फीलपांव, हैड्रोसील और मलेरिया आदि की बीमारियां बतायी जाती हैं वहां की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों में यह बीमारी फैली हुयी हैं ?

श्री बनारसी दास--इसके लिए कोई आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

अमरोहा, जिला मुरादाबाद के शिफाखाने को बढ़ाने की आवश्यकता

*४९--श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)--क्या यह सच है कि अमरोहा जिला मुरादाबाद की जनता की तरफ से ऐसी दरख्वास्तें आयी हैं कि अमरोहा के मरदाना शफाखाने का प्रांतीयकरण कर दिया जाय ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं ।

श्री मुहम्मद तकी हादी--क्या माननीय मंत्री जी के पास नगर कांग्रेस कमेटी, अमरोहा की जानिब से कोई ऐसा प्रस्ताव आया है ?

श्री बनारसीदास--सन १९५२ में उसकी ओर से यह प्रार्थना आयी थी कि अस्पताल की इमारत को जूनियर स्कूल की इमारत में तब्दील कर दिया जाय और सरकार ने उसे मान लिया।

श्री मुहम्मद तकी हादी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अमरोहा में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है ?

श्री बनारसीदास--यह हो सकता है लेकिन प्रांतीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि वहां टी०बी० के अस्पताल का प्रबन्ध हो जाने के कारण डाक्टर नहीं मिल रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--यदि किसी विशेष जगह का सवाल है तो उसकी जानकारी नहीं है।

श्री महीलाल--क्या सरकार को यह जानकारी अभी नहीं है कि वहां की जनता ने तपेदिक के रोग का प्रबन्ध किया है परन्तु डाक्टर न मिलने के कारण उससे पूरा लाभ नहीं हो रहा है ?

श्री बनारसीदास--यानी वहां की जनता ने सरकार से कोई मांग डाक्टर की नहीं की है ।

हमीरपुर जिले के चिकित्सालयों को सहायता

*५०--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर की किस तहसील में कौन-कौन से राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ?

*५१--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालय को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है ?

श्री बनारसीदास--जिला हमीरपुर में तहसील वार स्थित राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय तथा सहायता प्राप्त चिकित्सालयों को दी गयी वार्षिक सहायता का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५५ पर)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि तहसील हमीरपुर में जराखर, तहसील मोदहा में चीनी और तहसील महोबा में झरोखर नाम के गांव न होने पर भी वहां अस्पताल कैसे खोले गये ?

श्री बनारसीदास--जिले की अस्पताल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर ही अस्पताल कायम किये जाते हैं। जिन गांवों का नाम दिया है वहां अस्पताल स्थित हैं।

श्री जोरावर वर्मा--राजकीय सहायता संस्थाओं को दी जाती है या व्यक्तियों को ?

श्री बनारसी दास--यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देते हैं, चैरिटेबिल संस्थाओं को भी देते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी दी जाती हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहां चिकित्सा का प्रबंध नहीं है और मुफ्त दवा बांटते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सिहैड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में १०० से अधिक दैनिक रोगियों की संख्या होने पर भी अस्पताल का कमरा बहुत छोटा है और रोगियों के ठहरने का स्थान नहीं है ?

श्री बनारसीदास--ठीक है, अगर वहां कोई अच्छी इमारत मिल जायगी तो अस्पताल वहां तब्दील कर दिया जायगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो औषधालय हैं उनमें कितनी इमारत सरकारी है और कितनी किराये पर चल रही है ?

श्री बनारसीदास--इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--मौदहां तहसील के उत्तरी पूर्वी इलाके में सिलोलर साइड के कुछ गांव ऐसे हैं जैसे इचौली ग्राम में कोई चिकित्सालय खोलने का विचार सरकार रखती है ?

श्री बनारसीदास--इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गोविन्द नगर, कानपुर में जच्चा-बच्चा अस्पताल की आवश्यकता

*५२--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास गोविंदनगर कानपुर में एक जच्चा-बच्चा अस्पताल खोलने के लिए सुझाव आया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री बनारसी दास--जी हां। परन्तु कानपुर के बड़े-बड़े अस्पताल ४,५ मील ही पर हैं और वहां तक पहुंचने की सुविधा भी है। गोविंदनगर में एक लेबर वेलफेयर आउटडोर डिस्पेंसरी भी काम कर रही है।

नोट--तारांकित प्रश्न ५२ व ५३--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

*५३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि गोविंद नगर शहर से काफी दूर है और वहां आम जनता के लिए भी कोई चिकित्सालय नहीं है ?

श्री बनारसी दास—इसलिए इस समय और अस्पताल खोलने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है।

श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यातायात की कठिनाई की वजह से गोविंद नगर से कानपुर के बड़े अस्पताल में स्त्री रोगियों को लाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है ?

श्री बनारसीदास—यह तो मैंने अभी निवेदन किया कि ५, ६ मील के अन्तर पर चिकित्सालय हैं और यातायात के साधन जहां उपलब्ध हैं वहां जा सकते हैं। इसके अलावा अभी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेबर वेलफेयर सेंटर भी कायम होने जा रहा है। वहां एक होमियोपैथिक डिस्पेंसरी भी होगी और इस बात की चेष्टा की जा रही है कि वहां पर मैटरनिटी सेंटर भी कायम किये जायं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—यह जो प्रबन्ध होगा उस में होम्योपैथिक हास्पिटल का भी इन्तजाम होगा और वहां जच्चा-बच्चा का भी इलाज हो सकेगा ?

श्री बनारसी दास—वह कोई अस्पताल नहीं है बल्कि वह मैटरनिटी सेंटर ही होगा जहां जच्चा-बच्चा का प्रबन्ध हो सकेगा।

कारागार में श्री वंशराज सिंह की भूख हड़ताल से सम्बद्ध कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री झारखंडे राय ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने गोंडा जिले के रिवोलूशनरी सोशलिस्ट नेता श्री वंशराज सिंह का जिक्र किया है जो जेल में बी० क्लास की मांग के लिए भूखहड़ताल कर रहे हैं, वह उनकी हालत चिन्ताजनक बतलाते हैं और वह चाहते हैं कि इससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए कामरोको प्रस्ताव आये।

सार्वजनिक दृष्टि से मुझे इस का कोई महत्व नहीं मालूम होता क्योंकि यह साधारण इन्तजाम के मामले से संबंधित है, सरकारी नीति से इसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं मालूम देता। इसलिए मैं इस को अवैध करार देता हूं।

सदन के भावी कार्यक्रम के विषय में जानकारी

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं सदन के आगे के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, आगे के लिए प्रोग्राम यह है कि पहले कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग बिल आयेगा जो एजेंडे में भी है, इसके बाद रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज बिल आयेगा और उसके बाद यू० पी० सिविल लाज का कन्सीडरेशन होगा। उसके बाद जो संशोधन जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत रूल्स में हुए हैं और जो लैन्ड रिफार्म्स रूल्स में और जो मैनुअल के रूल्स में तब्दीली हुयी है उन सब पर विचार होगा। उसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्टों पर बहस होगी। इसके बाद एलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल ऐक्ट की मियाद सितम्बर में खत्म होगी उसके एक्सटेंशन का बिल भी आयेगा। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल और लखनऊ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आयेंगे जो सेलेक्ट कमेटी को रिफ्रेंस के लिए होंगे और अगर वक्त रहा तो जमींदारी अबालिशन और लैन्ड रिफार्म्स बिल भी होगा।

श्री अध्यक्ष—आपने पंचायत राज बिल का जिक्र नहीं किया वह आयेगा या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह जरूर आयेगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह सिटिंग कितने दिन तक चलेगी ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं गवर्नमेंट की तरफ से यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मेम्बरान गर्मी में यहां तकलीफ बरदाश्त करते रहें इसलिए जहां तक हो सकेगा जल्द से जल्द खत्म किया जायगा । ख्याल यह है कि ८ तारीख तक सब खत्म हो जायगा । ८ तक हो जाता है तो ठीक है और उसके बाद १–२ दिन और लगे तो लग सकते हैं ।

कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

खंड ५

५—(१) यदि कोई क्षेत्रपति (landholder) के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से किसी काश्तकार को उसकी भूमि से बेदखल करता है तो उस क्षेत्रपति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ के अर्थ के अन्तर्गत उक्त काश्तकार को क्लेश पहुंचाने या उसको भय दिखाने के अभिप्राय से (with intent to annoy or intimidate) ऐसा किया है ।

तत्सम्बन्धी विधि अवैध रूप से बेदखल करना ।

(२) यदि कोई व्यक्ति काश्तकार के कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में दंडनीय अनधिकार प्रवेश (criminal trespass) के अपराध में दोषी सिद्ध हो और न्यायालय को यह प्रतीत हो कि काश्तकार इस प्रकार उक्त भूमि से बेदखल हो गया है, तो न्यायालय यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय या दोष सिद्धि के दिनांक से दो मास के भीतर किसी समय आज्ञा दे सकता है कि बेदखल किये गये काश्तकार को उक्त भूमि पर फिर से कब्जा दिलाया जाय ।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा ऐसी किसी भूमि के या उसमें अधिकार या स्वत्व को बाधित नहीं करेगी जिसे कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में प्रमाणित कर सके ।

(४) इस धारा के अधीन आज्ञा किसी अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण न्यायालय (court of appeal, refrence or revision) द्वारा दी जा सकती है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५ में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द 'तो वह यदि उचित समझे' निकाल दिये जायं ।

यह अनावश्यक सा है । चूंकि इसका सिद्धांत यह है कि जब विधान के विरुद्ध किसी काश्तकार के कब्जे की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर ले तो वह अति क्रमण के कारण दंडनीय होगा । तो फलतः यह सिद्ध हुआ कि उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से भूमि छीनी गयी है अदालत को कब्जा दिला देना चाहिये । "यदि न्यायालय उचित समझे" से फौजदारी की अदालत को भी

[श्री रामलखन मिश्र]

सिविल अदालत बनाने की भावना हो जाती है और उसका कब्जा पाने में बहुत सा संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिए मेरी समझ में यह अनावश्यक सा है और इसके निकाल दिये जाने से वह इसके पूरित अर्थ में हो जायगा और इस कारण हर दृष्टि से यह निकाल दिये जाने योग्य है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन, मैं रामलखन जी के इस संशोधन में यह शाब्दिक संशोधन करना चाहता हूं कि "तो न्यायालय यदि उचित समझे" निकाल कर "तो न्यायालय" के स्थान पर "तो वह" रख दिया जाय और "यदि उचित समझे" निकाल दिया जाय और इसके साथ ही अंतिम पंक्ति में शब्द "आज्ञा दे सकता है" के स्थान पर "आज्ञा देगा" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो यह आपका संशोधन तो उनके पहले हिस्से के संशोधन का कांसीक्वेन्शल संशोधन है, इसी प्रकार "तो वह" शब्द रखने के बाद "आज्ञा दे सकता है" के स्थान पर "आज्ञा देगा" यह शब्द उचित होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन मेरे मित्र राम लखन जी मिश्र ने पेश किया है वह गलतफहमी की वजह से उन्होंने पेश कर दिया है। उनका कहना यह है कि "यदि न्यायालय उचित समझे" शब्द रहेंगे तो हो सकता है कि अदालत उसको कब्जा न दिलाये। यह ठीक है, जो शब्द हैं उनके माने यही निकलते हैं। लेकिन वास्तव में अमल में ऐसा नहीं होगा। खंड ५ का उपखंड (२) इस प्रकार है "यदि कोई व्यक्ति किसी काश्तकार के कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में दंडनीय अनधिकार प्रवेश के अपराध में दोषी सिद्ध हो और न्यायालय को यह प्रतीत हो कि काश्तकार इस प्रकार उक्त भूमि से बेदखल हो गया है तो न्यायालय यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय या दोष सिद्ध के दिनांक से दो मास के भीतर किसी समय आज्ञा दे सकता है कि बेदखल किये गये काश्तकार को उक्त भूमि पर फिर से कब्जा दिलाया जाय।" यानी पहले दंडनीय करार दे दिया और यह भी तय कर दिया कि इस की वजह से यह भूमि से बेदखल हो गया था। तो कब्जा तो दिलायेगा ही लेकिन "न्यायालय यदि उचित समझे" यह जो स्वातंत्र्य कोर्ट को दिया गया है वह इसलिए क्योंकि बहुत सी ऐसी दशायें हो सकती हैं जिसमें कि अदालत कब्जा दिलाना वाकई उचित न समझे। उसको जो स्वातंत्र्य होगा वह जुडीशियल स्वातंत्र्य होगा। वह कोई मुकदमे का फरीक तो होगा नहीं और न वह जमींदार की परवरिश करने के लिए अदालत में बैठा है। ज्यादातर १,००० मामलों में से ९९९ में तो वह कब्जा दिलायेगा ही, लेकिन एक मामला कोई ऐसा भी हो सकता है, किसी संयोगवश जिसमें अदालत कब्जा दिलाना मुनासिब न समझे। इसलिए हमने अदालत को डिस्क्रीशन दिया है। और इसी लिए यह शब्द रक्खे गये हैं।

जिस समय मैंने यह संशोधन देखा तो मेरी प्रक्रिया भी यही हुयी थी कि बात तो सही मालूम है, यानी सजा देना है तो फिर कब्जा तो अनिवार्य हो जाना चाहिये। लेकिन जब मैंने ला आफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर कब्जा तो दिलायेगा ही, लेकिन कोई हालत ऐसी भी हो सकती है, जिसमें वह कब्जा दिलाना मुनासिब न समझें। इस सिलसिले में मैं जाब्ते फौजदारी का ५२२ सेक्शन आपकी इजाजत से जोकि अंग्रेजी में है, पढ़कर सुनाये देता हूं।

"Whenever a person is convicted of an offence attended by criminal force (or show of force or by criminal intimidation) and it appears to the Court that by such force (or show of force or criminal intimidation) any

person has been dispossessed of any immovable property, the Court may, if it thinks fit, (when convicting such person or at any time within one month from the date of the conviction) order (the person dispossessed) to be restored to the possession of the same."

तो हूबहू यह जो जाब्ते फौजदारी की दफा ५२२ है वही यहां रख दी है। आजतक कभी भी इस दफा में संशोधन पेश करने की जरूरत नहीं आयी। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र श्री रामलखन और नारायणदत्त जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस तरह से अदालतों के हाथ न बाँधें। नहीं मालूम कब कौन सी सूरत पैदा हो जाय। इसलिये मैं मजबूर हूं और मैं यह संशोधन मंजूर नहीं कर सकता।

श्री राम लखन मिश्र—मुझे अध्यक्ष महोदय, संशोधन वापस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण दत्त तिवारी, आपका संशोधन मैं अलग से ले लूंगा।

(सदन की अनुमति से श्री रामलखन मिश्र का संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने जो "तो वह" वाला जो संशोधन रक्खा है अगर माननीय मंत्री जी जैसी कि शब्दावली है इस खंड की उसको पढ़ेंगे तो इसमें उनको प्रतीत होगा कि यह शाब्दिक दृष्टिकोण से भी गलत है। जिस प्रकार से कामाओं के अन्दर दो स्थानों पर न्यायालय का जो प्रयोग किया गया है वह वैसे भी गलत है। इस लिए यदि उचित समझें कि न्यायालय की जगह पर "वह" रख दें तो भी ठीक होगा।

श्री चरण सिंह—हां, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि न्यायालय के बजाय "वह" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में "तो न्यायालय" के स्थान पर "तो वह" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "छै" रख दिया जाय। इस उपखंड के द्वारा न्यायालय को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को जिसने सिरतान की जमीन में क्रिमिनल ट्रेस्पास किया है। दोषी सिद्ध करने की तारीख से दो मास के अन्दर बेदखली की आज्ञा दे सकता है और उक्त काश्तकार को फिर से कब्जा दिलाने की आज्ञा जारी कर सकता है। तो दो मास का जो समय है वह बहुत कम है और यह भी हो सकता है कि जो क्रिमिनल ट्रेस्पास करने वाला व्यक्ति है, वह अपील करे, इसलिए भी समय बढ़ाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैंने नैनीताल बार असोसिएशन से राय ली थी। उनका यह कहना है कि दो महीने का समय बहुत कम है। हमें अपील आदि की गुन्जायश रखनी चाहिये। उनका कहना यह था कि एक साल का समय होना चाहिये, लेकिन मैंने केवल छै महीने ही रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आदमी बेदखल हो जाता है और बेदखल होने वाले को सजा भी हो गयी तो होना यह चाहिये कि जल्दी से जल्दी उसको कब्जा मिले। इसलिए हमने दो ही महीने रखा है और वह बहुत काफी है। दो महीने के अन्दर वह अर्जी दे दे तो उसको कब्जा वापिस मिल जायगा। ताजीरात हिन्द की दफा ५२२ में केवल एक महीना है उसके बजाय हमने दो महीना कर दिया है। अब छै महीने के हक में दलायल यह दिये जा रहे हैं कि वह शायद अपील करदे। यह भी हो सकता है कि अपील सात-आठ

[श्री चरण सिंह]

महीने में न तय हो। तो अपील से इससे क्या मतलब है। इसके अलावा मान लीजिये अपील तय हो गयी तो यह भी हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट में रिवीजन पेश कर दे और उसमें डेढ़ वर्ष लग जाय। तो इससे कोई वास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं। यह बिलकुल गैरजरूरी चीज है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि यदि कहीं मैजिस्ट्रेट या जो भी अधिकारी फैसला करने वाला हो उसकी असावधानी से या किसी की असावधानी से दो महीने की मियाद बीत गयी तो क्या जैसा कि इसकी शब्दावली के देखने से लगता है दो मास की अवधि बीत जाने पर उसे जमीन वापस नहीं दिलाई जायगी ?

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यही जवाब दे सकता हूं कि अगर किसी की असावधानी से छै महीने की मियाद बीत गयी तो क्या होगा ? जो स्थिति उस में होगी वही इस में होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन, अगर माननीय मंत्री जी उपखंड के इन शब्दों को निकालने के लिये राजी हो जायं तो मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं—

"या दोष सिद्धि के दिनांक से दो मास के भीतर किसी समय" यह शब्द अगर निकाल दिये जायं तो उपखंड इस प्रकार हो जायगा:

"ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय आज्ञा दे सकता है कि बेदखल किये गये काश्तकार को उक्त भूमि पर फिर से कब्जा दिलाया जाय।"

इससे जो बात मैं चाहता हूं वह आ जायगी। तो अगर माननीय मंत्री जी इन शब्दों को निकालने के लिये राजी हो जायं तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं।

श्री चरण सिंह—मैं यह समझा हूं कि शायद माननीय तिवारी जी ने माननीय गेंदा सिंह जी की बात को ताईद की है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, यह दूसरी बात है, माननीय नारायण दत्त जी आप फिर से बतला दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया कि अगर माननीय मंत्री जी कृपा करके इन शब्दों को उपखंड से निकालने के लिये राजी हो जायं तो मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं और वह शब्द यह हैं :

"या दोष सिद्धि के दिनांक से दो मास के भीतर किसी समय" इन शब्दों के निकाल देने के बाद नया उपखंड इस प्रकार होगा:

"ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय आज्ञा दे सकता है कि बेदखल किये गये काश्तकार को उक्त भूमि पर फिर से कब्जा दिलाया जाय।"

इससे उपखंड ज्यादा साफ हो जाता है और मेरा मतलब भी साफ हो जायगा।

श्री चरण सिंह—फिर तो कोई मियाद ही नहीं रही। अभी तो आप ६ महीने के लिए ही कह रहे थे और अब अनियमित समय हो गया।

श्री अध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त जी कह रहे हैं, "ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करते समय', यानी उसी समय आज्ञा कर दे, दो महीने का भी मौका न मिले, यह मतलब है।

श्री चरण सिंह—तो भी तो मुश्किल रही। मान लो कि अदालत से चूक हो गयी तो उस बेचारे को कोई अधिकार नहीं रहा कि दो महीने में वह कोर्ट में जाकर एप्लाई कर सके। तो इससे तो आप किसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सवाल पूछा, वह तो बाद में दे रखा है कि यह तो क्रिमिनल कोर्ट के लिये है और कोई राइट हो तो वह आर्डिनरी ला से इस्टैबिलिश कर हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कभी-कभी उनकी माकूल बात न हो तब भी उनकी राय माननी ही पड़ती है। इसलिए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

लगान का नकदी में परिवर्तन।

६—(१) यदि काश्तकार द्वारा देय लगान जिन्सी हो (payable in kind) या खड़ी फसल के अनुमान (estimate) या कूत (appraisement) के अनुसार या बोयी हुयी फसल के अनुसार रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः (on his own motion) नियत की जाने वाली रीति और दरों से भूमि की प्रकार को ध्यान में रखते हुए लगान को नकदी में परिवर्तित कर सकता है और उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसे लगान देय हो, प्रार्थना-पत्र देने पर अवश्य ही ऐसा करेगा।

(२) यदि भूमि पर कोई मालगुजारी निर्धारित न हो, तो उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि की मालगुजारी ऐसी धनराशि समझी जायगी जो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन, जैसा कि वह उस क्षेत्र पर जहां भूमि स्थित हो प्रवृत्ति हो, मालगुजारी के निर्धारण से सम्बद्ध रीति से तथा सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायगी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय। मेरा इस प्रस्ताव के करने का उद्देश्य केवल इतना है कि खंड ६ का उपखंड (१) और (२) दोनों तात्विक रूप से लगभग एक ही हैं। यदि उपखंड (१) को हम पढ़ें तो उसमें यह लिखा है :—

"यदि काश्तकार द्वारा देय लगान जिन्सी हो (payable in kind) या खड़ी फसल के अनुमान (estimate) या कूत (appraisement) के अनुसार या बोयी हुयी फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर एक अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः (on his own motion) नियत की जाने वाली रीति और दरों से भूमि की प्रकार को ध्यान में रखते हुए लगान को नकदी में परिवर्तित कर सकता है और उस व्यक्ति के जिसके द्वारा या जिसे लगान देय हो, प्रार्थना-पत्र देने पर अवश्य ही ऐसा करेगा।" इसमें नक़द लगान में उसको परिवर्तन करने की बात है और दूसरा जो उपखंड है उसमें भी बिल्कुल यही दिया हुआ है दूसरे शब्दों में इसलिये उपखंड (२) बिल्कुल बेकार हो जाता है और इसी दृष्टिकोण से मैं निवेदन करता हूं कि इसको निकाल दिया जाय और मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय भगवती प्रसाद शुक्ल की दलील ठीक है, इसलिये यह संशोधन स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय भगवती प्रसाद जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन तो करता हूं लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से क्योंकि जो लगान काश्तकार देता है, चाहे क्वाइन्ड में हो या कैश में हो, वह अपने लैंडहोल्डर को देता है। तो जहां तक सरकारी रेवेन्यू का सवाल है वह तो लैंडहोल्डर्स से लेती है, कोई सीधे सिरतान से तो लेती नहीं है। इसलिए जो दूसरा उपखंड था उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि लगान तो पहले से ही निर्धारित है। लेकिन एक बात का मैं स्पष्टीकरण जरूर चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि सिरतान जो लगान देता है, लैंडहोल्डर को उसके साथ-साथ तीन और चीजें देनी पड़ती हैं जिन्हें भेंट, पिठियां और दस्तूर कहते हैं। बहुत जगह तो यह कम हो गया है लेकिन एंटीरियर में अभी मौजूद हैं। तो क्या ये भी लगान के अन्दर शामिल हैं या नहीं क्योंकि सिरतान का कुछ तो लगान में चला जाता है और बाकी भेंट और पिठियां में चला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि यह हो जाय कि लगान शब्द की परिभाषा क्या है और लगान शब्द के अन्दर क्या यह तीन बातें भेंट, पिठियां और दस्तूर आती हैं?

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो सर्किल रेट है उसके मुताबिक रेंट का कम्प्यूटेशन हो जायगा। यह तो बहुत साफ बात है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने शंका पैदा की है और इसके अलावा तीन बातें बतलायी हैं उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां प्लेन्स में जैसे कि सर्किल रेट है उसीके अनुसार हो जायगा। जैसे कि हमारे यहां दरें निर्धारित हैं। लगान जो नियत किया जायगा वह जमीन की दशा के अनुसार ही सर्किल रेट के मुताबिक किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

एक्सटेंशन (विस्तार) पर मालगुजारी का निर्धारित किया जाना।

७--(१) यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में या तत्सम्बन्धी किसी इक्सटेंशन (विस्तार) पर मालगुजारी का निर्धारित किया जाना।

७--(१) यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में या तत्सम्बन्धी किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले के अंतिम बंदोबस्त के पश्चात् फिर किये गए किसी "इक्सटेंशन" (विस्तार) पर मालगुजारी निर्धारित की जाय और तत्पश्चात् उसी भूमि पर मालगुजारी निर्धारित की जायगी।

(२) उक्त "इक्सटेंशन (विस्तार) पर निर्धारित की जाने वाली मालगुजारी का अनुपात (incidence) वही होगा जो कि उस भूमि का हो जिसका कि वह "इक्सटेंशन" (विस्तार) है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा देय होगी जिनके द्वारा उस भूमि की मालगुजारी देय है जिसका कि वह "इक्सटेंशन" (विस्तार) है।

(३) यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (२) के अधीन मालगुजारी के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये प्रवृत्त होंगे।

स्पष्टीकरण:--इस धारा में शब्द "इक्सटेंशन" का वही अर्थ है जो कुमायूं नयाबाद ऐन्ड वेस्ट लैन्ड्स ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ के खंड (२) में उसका दिया गया है ।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) को बदलकर निम्नलिखित रूप दे दिया जाय --

"(२) उक्त 'ऐक्सटेंशन' (विस्तार) पर निर्धारित की जाने वाली मालगुजारी का अनुपात भूमि की किस्म (उपराऊ या तलाऊ) (non-irrigated or irrigated) के अनुसार निर्धारित की जायगी और वह उन व्यक्तियों द्वारा देय होगी जिनके द्वारा उस भूमि की मालगुजारी देय है जिसका कि वह 'ऐक्सटेंशन' (विस्तार) है ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, ओरीजनल बिल में यह था कि "उक्त इक्सटेंशन" (विस्तार) पर निर्धारित की जाने वाली मालगुजारी का अनुपात (incidence) वही होगा, जो कि उस भूमि का हो जिसका कि वह इक्सटेंशन (विस्तार) है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा देय होगी जिनके द्वारा उस भूमि की मालगुजारी देय है जिसका कि वह "इक्सटेंशन" विस्तार है ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मैंने दिया है इससे साफ जाहिर है, ओरीजनल बिल में यह प्राविजन किया गया है कि कोई भी जमीन जो नापी गयी है उस पर वही टैक्स लगाया जायगा जो नाप की जमीन होगी । इससे मैं राजी हूं कि जो जमीन बढ़ा ली गयी है उस पर रकम जरूर बढ़ानी चाहिये । लेकिन सिर्फ मेरा मतभेद इतना है कि जैसी जमीन की क्वालिटी है उसके हिसाब से रकम लगाना चाहिये कि कौन जमीन इर्रीगेटेड है और कौन जमीन नान इर्रीगेटेड है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय इलाकों में १८७२ में बंदोबस्त हुआ था । उसके बाद फिर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ । इससे जाहिर है कि ४२ साल का अरसा गुजर गया है और इस दौरान में कई जमीनें, जो उपराऊ थीं वह तलाऊ हो गयी हैं और जो जमीनें तलाऊ थीं वह उपराऊ हो गयी हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जमीनें पहले नान इर्रीगेटेड थीं वह अब इर्रीगेटेड हो गयी हैं और जो जमीनें पहले इर्रीगेटेड थीं वह नान इर्रीगेटेड हो गयी हैं । इसलिए उनका जो विस्तार है उसका भी अनुपात वैसे ही बदल चुका है

श्री अध्यक्ष--"तलाऊ" किसे कहेंगे, और "उतराऊ" किसे कहेंगे, जरा समझा दीजिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--"तलाऊ" इर्रिगेटेड को और "उतराऊ" नान-इर्रिगेडेड को कहते हैं । तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि इर्रिगेटेड लैन्ड पर भी रेवेन्यू नान इर्रिगेडेड का लग सकता है और नान-इर्रिगेटेड पर इर्रिगेटेड जैसा लग सकता है । तो इसका नतीजा यह होगा कि नान-इर्रिगेटेड लैन्ड जो एक्सटेंशन में है उस पर भी लैन्ड रेवेन्यू लगेगा । तो यह एक नयी चीज होगी । मैं यह चाहता हूं कि ऐसा "ग्रोपिंग इन दि डार्क" न हो । जो भी लेजिस्लेशन बने वह एक ऐसी चीज बननी चाहिये, फैक्ट्स को फाइंड करके और उसके मुताबिक डिसाइड करना चाहिये । सब से अच्छा यह होगा कि लैन्ड सेटिलमेंट हो जाय । जिस भूमि की जैसी क्वालिटी हो उसके मुताबिक लैन्ड रेवेन्यू निर्धारित किया जाय । कई ऐसी भूमि हैं जो दरियाबुर्द हो गयी हैं, लेकिन लैन्ड रेवेन्यू अब भी बना हुआ है, क्योंकि सेटिलमेंट नहीं हुआ और न यह मालूम हुआ कि कितनी भूमि तलाऊ है और कितनी उपजाऊ । जैसी भूमि हो उसके अनुसार उनमें रकम निर्धारित होनी चाहिये । एक्सटेंशन में तो इर्रिगेटेड और नान-इर्रिगेटेड दोनों तरह की हो सकती हैं । इसलिए बिना सेटिलमेंट किये लैन्ड रेवेन्यू निर्धारित न किया जाय । कहने का मतलब यह है कि जैसी वस्तुस्थिति हो उसके मुताबिक ही लैन्ड रेवेन्यू असेस होना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

इसके अलावा इस विषय पर मुझे यह भी कहना है कि जब पहाड़ पर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बहुत शीघ्र आने वाला है, तो ऐसी क्या जरूरत पैदा हो गयी कि इस थोड़े से इंटेरिम पीरियड के लिये एक झंझट की चीज वहां पर पैदा की जाय, जिससे सिर्फ यह होगा कि आपने हिस्सेदार की किसी एक्सटेंडेड जमीन पर रेवेन्यू लगाया तो जमींदार को तो कुछ देना नहीं है, उसको अपने सिरतान पर रेंट लगाना है, तो नेचुरल है कि उसके जो मालिकाना हक-हकूक हैं उसके मुताबिक लगायेगा। तो फिर एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, लड़ाई पैदा होगी और कचहरियों में जाना पड़ेगा और उसके असेसमेंट में काफी उलझनें पैदा हो जायंगी। तो इस मौके पर जो अभी परिस्थिति है, मैं नहीं चाहता कि वहां बिना फैक्टस् फाइन्ड किये हुए, बिना लैन्ड सेटिलमेंट किये हुए, बिना जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को लागू किये हुए इस थोड़े से इन्टेरिम पीरियड में कुछ उलझनें पैदा की जायं। इससे जो हक-हकूक किसी हिस्सेदार के सिरतान को आप देंगे, वह परमानेंट नेचर के तो होंगे नहीं। जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट होगा तो फिर उसमें परिवर्तन आयेगा। तो यह थोड़े अर्से के लिए बेफायदा उलझनें पैदा होंगी और सरकार को भी कोई खास फायदा नहीं होगा।

मैंने यहां कुछ सदस्यों से भी बातें कीं और मुझे मालूम हुआ कि मिर्जापुर में भी सरकार ने ऐसा टैक्स लगाया, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि काफी असंतोष इससे पैदा हुआ है। तो ऐसा ही असंतोष पहाड़ में भी हो सकता है और मंत्री महोदय की बातों से भी, जो तकरीर के दौरान में यहां कहीं, उनसे मालूम होता था कि वह भी इस बात पर कोई सीरियस नहीं थे और वह तो कमिश्नर के फैसले की वजह से जो टैक्स का झगड़ा पैदा हो गया था इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो इसको भी कर लेंगे। इस वजह से यह चीज आयी। मैं समझता हूं कि यह साइंटिफिकली एग्जामिन नहीं हो सका है। इसमें कई खामियां हैं और त्रुटियां हैं जो कम्पलीकेशंस को लायेंगी। जब कचहरियों में केसेज जायेंगे तो उलझनें पैदा होने का डर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक खसरा, खेवट अच्छी तरह न बन जायं, जब तक लैन्ड सेटिलमेंट न हो जाय, यह जो इंसीडेंस लग रहे हैं, जो टैक्स बढ़ाने की बात सोची जा रही है वह उन पर्वतीय भूमि में न लगायी जाय। अच्छा तो यह होगा कि इस सारे खंड को हटा दिया जाय। अगर न हटाया जाय तो कम से कम मेरा जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय जैसी कि भूमि की क्वालिटी हो, जैसी कि वहां हालत हो, वहां मौके पर जाकर उसके मुताबिक ही वहां टैक्स लगाना चाहिये, लैन्ड रेवेन्यू लगाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों को सोच कर इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अमेंडमेंट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट जी ने जो अमेंडमेंट सदन के सामने पेश किया है वह तो एक इस प्रकार का अमेंडमेंट है कि जिसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं समझता हूं कि यह तो पहले से भी रेवेन्यू की प्रणाली रही है कि एक्सटेंशन में वही स्टेट और वही रेवेन्यू का रेट होना चाहिये जो कि पुरानी जमीनों का हुआ करता है। यह परम्परा जो पहले से चली आयी है और जो कि बहुत ही उचित है उसका विरोध करना और उसमें टांग अड़ाना इसके माने हैं कि एक इस प्रकार का अमेंडमेंट पेश करना जिससे किसानों में एक और भी उलझन पैदा हो, मैं समझता हूं कि यह क़ताई उचित नहीं है। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। माननीय विष्ट जी ने यह कहा कि इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी और खास कर यह प्राविजन कि जिसमें वह अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं इसको नहीं लाना चाहिये था। मैं यह कहता हूं कि यह तो केवल उनकी आवाज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेनेंट्स की यह क़तई आवाज नहीं है। अगर जरूरत न होती तो सरकार को कोई ख्वामख्वाह .....

श्री अध्यक्ष---ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं कि विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री चन्द्रसिंह रावत--जी नहीं, इस प्राविजन के लिए उन्होंने कहा कि इस प्राविजन के लाने की जरूरत नहीं थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वहां के टेनेंट्स की डिमांड नहीं है, जो कि वह इस सदन में पेश कर रहे हैं। टेनेंट्स यह चाहते हैं कि अवश्य उसमें अमेंडमेंट हो, रोकथाम हो, जल्दी से जल्दी सेटिलमेंट में जो कि उनकी जमीन आबाद हो चुकी है वह रेकर्ड आपरेशंस में या बन्दोबस्ती कागजात में दर्ज हो और उस पर लैन्ड रेवेन्यू असेस हो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के तर्क इस सदन में देना, जो कि जनहित के खिलाफ हैं और जो कि जमीदारों के फेवर में पड़े, खास कर जब कि सरकार टेनेंट्स को इन्करेज करने जा रही हैं, उनकी मदद करने जा रही है तो उसकी उस जनरल पालिसी के खिलाफ इस प्रकार की दलील और तकरीर देना उचित नहीं मालूम देता है। मैं समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का किसी भी माननीय सदस्य को मौका नहीं देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप ये शब्द वापस लीजिये। आप किसी सदस्य को इस प्रकार उपदेश नहीं कर सकते।

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं उपदेश नहीं देता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की आज पालिसी है टेनेंट्स को हेल्प करने की, उस पालिसी के खिलाफ अगर हम भाषण देते हैं.....

श्री अध्यक्ष--मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि आप अपने शब्द वापस ले लीजिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत--तो मैं यह चाहता हूं कि टेनेन्ट्स के हितों के.....

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य जो बोनाफाइडीज पर अटैक कर रहे हैं, मुझे उस पर एतराज है। उन्होंने ठीक से समझा नहीं। अच्छा होता वह उसे स्टडी कर लेते, तब कुछ कहते। मैं यह चाहता हूं कि वह अपने शब्दों को वापस लें।

श्री अध्यक्ष--बोनाफाइडीज के बारे में जो शब्द आपने कहे उनको आप वापस ले लीजिए।

श्री चन्द्र सिंह रावत--मेरा मतलब यह.....

श्री अध्यक्ष--मतलब से मतलब नहीं है। आप वापस लीजिए।

श्री चन्द्रसिंह रावत--बोनाफाइडीज पर अगर मेरे मित्र को दर्द हुआ तो मैं उसको हजार बार वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं कभी वह बात नहीं कहना चाहता जिससे कि किसी की भावना को ठेस लगे। लेकिन सही बात जो है वह यह है कि टेनेंट्स के खिलाफ कोई भी बात इस सदन में नहीं कही जानी चाहिए जब कि हमारी सरकार की पालिसी है कि टेनेंट्स के हितों की हम रक्षा करें। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह नितान्त आवश्यक है कि वह अमेंडमेंट जिससे कि टेनेंट के खिलाफ कोई असर पड़ता हो उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। उसमें किसी भी माननीय सदस्य के नाराज होने की जरूरत नहीं है और अगर नाराज हो भी जाते हैं तो हम उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह--मैं तो यह समझता हूं कि यह जो संशोधन माननीय नरेन्द्र सिंह जी बिष्ट ने पेश किया है उससे कुछ उलझनें पैदा होंगी। जो उनका संशोधन है उससे तो वह खुद ही कह रहे थे कि लैन्ड सेटिलमेंट हमको करना पड़ेगा। अगर उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो फिर भूमि की किस्म यानी उसका नेचर और क्वालिटी आफ स्वायल इनकी तफसील में भी जाना पड़ेगा। तो एक प्रकार से बंदोबस्त होगा और उन्होंने खुद यह शब्द

[श्री चरण सिंह]

इस्तेमाल किया भी। जब करने के लिए जा ही रहे हैं तो पूरे ब्योरे में जाना चाहिए और लैन्ड सेटिलमेंट करना चाहिए। उनके संशोधन का मतलब यह हुआ कि लैन्ड सेटिलमेंट करना पड़ेगा। जो उनकी तकरीर थी वह उसके बिलकुल बिपरीत थी। तकरीर से जो मतलब निकलता था वह यह था कि लैन्ड सेटिलमेंट नहीं करना चाहिये। लैन्ड सेटिलमेंट करना पड़ेगा। फिर इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दो-तीन रोज से बराबर कहा गया कि १८७२ से कोई सेटिलमेंट नहीं हुआ। यह बात गलत है। नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जिलों में १८८७ से १९०२ तक इन में पांच साल तक सेटिलमेंट हुआ। गढ़वाल में १९२७ से १९३९ तक हुआ और टेहरी में १९२४ में हुआ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--५२ साल तो हो गये।

श्री चरण सिंह--लेकिन ८२ नहीं हुए।

मेरे पास जो रिपोर्ट है वह यही है मुमकिन है कि १८७२ में भी हुआ हो। लेकिन नैनीताल और अल्मोड़ा में १८९७ से १९०२ तक सेटेलमेंट हुआ। सिर्फ ५० साल की बात है। गढ़वाल में सिर्फ १५-१६ साल हुए सेटिलमेंट हुए। जो कहा जाता है कि लैन्ड रेकार्डस इतने गलत हैं। ऐसी बात नहीं है। टेहरी में ३० साल हुए सेटिलमेंट हुए। इन दो जिलों में जरूर पचास साल हो गये। जो वहां का कानून और रिवाज है उसके मातहत अगर कोई शख्स अपने खाते से मिली हुयी जमीन पर, बेनाप भूमि पर कब्जा कर लेता है तो जबतक अगला सेटिलमेंट न हो तब तक मालगुजारी देने को मुस्तौजिब नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सी जमीन होगी जिसका हमारे पास कोई रकबा नहीं है। बहुत सी जमीन होगी जिस पर लोग बागों ने कब्जा किया हुआ है, उससे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को एक पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब तक बन्दोबस्त हो तबतक पैसा न लिया जाय यह माननीय नरेन्द्र सिंह जी विष्ट चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि अगर हम उस भूमि की मालगुजारी नियत कर देते हैं तो यह कहां तक अनुचित है जितना फायदा वह उठा चुके हैं, उसके एवज में गवर्नमेंट को कुछ मालगुजारी दें इसमें कौन सी ज्यादती की बात हो रही है। यह तो निहायत मुनासिब बात है जो हम करने जा रहे हैं। हमारे विधेयक में जो दिया हुआ है वह यह है कि जिस जमीन का वह एक्सटेंशन है उस पर जो मालगुजारी दे रहा है उसी हिसाब से एक्सटेंशन पर मालगुजारी देता रहेगा। इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आपत्ति है। उस पर आप तफसील में जाना चाहते हैं कि अगर अनइरिगेटेड का एक्सटेंशन इरीगेटेड है तो इरीगेटेड की मालगुजारी होनी चाहिये। हमारे संशोधन में यह है कि अगर अन इरीगेटेड जमीन है और किसी तरह से उसका एक्सटेंशन इरीगेटेड हो गया, हालांकि बहुत कम केसेज हैं, बहुत कम जमीन है, तो उस पर जो मालगुजारी दे रहा है उसी हिसाब से एक्सटेंशन पर देगा। आपके कहने के मुताबिक उस पर बोझा और पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि उससे किसी का फायदा नहीं होता है बल्कि एक पेचीदगी बढ़ती है कि लैन्ड सेटिलमेंट का आपरेशन करना पड़ेगा जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर हम लैन्ड सेटिलमेंट करवायें तो जैसा कि अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है तीस चालीस लाख रुपया लगेगा। मैंने भी अभी अर्ज किया पांच साल में नैनीताल और अल्मोड़ा में सेटिलमेंट आपरेशन हुआ और गढ़वाल में १९२७ से १९३९ तक लगे तो इस प्रकार वर्षों लगेंगे और लाखों रुपया खर्च होगा। इतनी तफसील में हम जाना नहीं चाहते। जो मालगुजारी वह पहले दे रहा था उसी के हिसाब से ले लेंगे चाहे इरीगेटेड हो या नान इरीगेटेड। इरीगेटेड है तो टेनेन्ट का फायदा है, वैसे इरीगेटेड एरिया बहुत कम है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय और चन्द्रसिंह जी के भाषण सुने। मंत्री महोदय ने बतलाया कि १९०३ में मिस्टर गूज का सेटिलमेंट हुआ है।

लेकिन मिस्टर गूज का सेटिलमेंट उन्हीं जगहों पर हुआ था जिन जगहों पर १८७२ में मिस्टर वेकेट ने सेटिलमेंट छोड़ दिया था। १८७२ में ही सारी जगहों पर बन्दोबस्त हुआ था और थोड़ी सी जगहों पर १९०३ में हुआ। असली हालत यह है कि १८७२ में अधिकांश जगहों पर बन्दोबस्त नहीं हुआ। तो एक तो यह बात मुझे मंत्री महोदय के सम्मुख उपस्थित करनी थी कि सेटिलमेंट बहुत अर्से से नहीं हो रहा है। जो रेकार्ड्स खतौनियों में हैं उनके आधार पर रेवेन्यू लगा देते हैं तो वह एसेसमेंट बहुत हद तक गलत होगा और उससे बहुत असंतोष बढ़ेगा और बहुत किस्म की उलझनें पैदा होंगी। मेरा फर्ज था एक वस्तुस्थिति को सदन के सामने प्रस्तुत करने का उसको मैंने पेश कर दिया। अगर वह उसको उचित समझते हैं तो मान लें और अगर समझते हैं कि उचित नहीं है तो बेशक आप बिल को ज्यों का त्यों पास करें। मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। माननीय चन्द्र सिंह जी के भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि वह मेरी बातों पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे थे.....

श्री अध्यक्ष--उसका आप जिक्र न करें। वापस लेना चाहते हों तो वापस ले लें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मैं चाहता हूं कि उनको जानकारी हो जाय कि मैं भी यही चाहता हूं कि उन गरीबों का हक रहे और उनसे अननेसेसरी टैक्स वसूल न हो। इसीलिए मैं इस संशोधन को यहां पेश कर रहा था। न मालूम उनको कैसे यह भावना पैदा हुयी कि मैं उन गरीबों के हकों को मारना चाहता हूं। मैं तो इस संशोधन को केवल इसी उद्देश्य से लाया कि किसी ऐसी जमीन का चाहे हिस्सेदार ने, खायकर ने या सिरतान ने विस्तार कर लिया हो जो बेनाप हो तो उस बेनाप जमीन पर गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लगाने जा रही है वह रेवेन्यू उचित हो, अनुचित न हो, इस ओर मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता था कायदे के मुताबिक वह रेवेन्यू हो और जरूरत से ज्यादा न हो। तो यही मेरा उद्देश्य था इन बातों को रखने से। जैसी कि मंत्री महोदय ने आपत्ति जाहिर की कि सेटिलमेंट नहीं हो सकता और बड़ा अर्सा लगेगा और सरकार को बड़ा नुकसान हो जायगा लिहाजा टैक्स लगा दिया जाय तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। टैक्स लगा दिया जाय क्योंकि जब कोई बेनाप जमीन का फायदा उठाता है तो उसे टैक्स जरूर देना चाहिये, लेकिन कहने का उद्देश्य यह था कि टैक्स उचित होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात की कोशिश करेंगे कि किसी पर अनुचित टैक्स नहीं लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

†**श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मेरे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बहुत से आधार हैं। शायद मंत्री जी मेरे इस विरोध करने के प्रस्ताव का यह अर्थ लगायें कि मैं यह चाहता हूं कि सरकार की कोई रेवेन्यू कम हो जाय या उसका एसेसमेंट न हो। मैं उनका ध्यान माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले सुझाव दिया उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने सही कहा कि इस धारा की आवश्यकता अभी नहीं है जब तक कि सेटिलमेंट न हो जाय। जो माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कहा वह केवल एक उचित बात ही नहीं थी बल्कि आज तक जितने कस्टमरी लाज हैं और जो कुछ भी कन्वेन्शन्स कुमायूं में रहे हैं और जो कुमायूं वेस्ट लैन्ड ऐक्ट में माने गये हैं उसके आधार पर यह बात कही गयी है। माननीय चन्द्रसिंह जी को कुछ आशंका हुयी कि उससे टेनेंट्स की अधिकारों की सीमा कम हो जाती है। मैं उनसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इसका टेनेंट्स को अधिकार देने से सम्बन्ध नहीं। यह तो लगान के असेसमेंट के लिए है। इससे टेनेंट्स को कोई अधिकार मिलने नहीं जा रहा है बल्कि उनके लगान में वृद्धि

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होने जा रही है। तो अगर सिरतान या खायकर को अधिकार इसमें मिलते तब तो दूसरी बात थी लेकिन यह प्रश्न नहीं उठता है। परन्तु अब सवाल यह है कि कुमायूं के कस्टमरी लाज क्या हैं? कुमायूं वेस्ट लैन्ड ऐक्ट के अनुसार अगर माननीय मंत्री जी इस ओर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि इसमें स्पष्ट यह बतला दिया गया है कि इस नियम के अनुसार एक साल में ५ नाली से ज्यादा जमीन एक्सटेंशन नहीं हो सकती है। मैं उनका ध्यान कुमायूं वेस्ट लैन्ड ऐक्ट के नियमों की तरफ दिलाना चाहता हूं। रूल नम्बर ४ में यह दिया हुआ है कि:

"(4) No extension shall exceed five nalis within one calendar year and Nayabad grant shall ordinarily not exceed 20 nalis.

तीन (B) में दिया है कि:—

(B) No extension shall be made beyond any natural boundaries such as nalas, rivulets, precipices."

अगर कोई प्राकृतिक सीमा आ जाय तो उससे आगे एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। आगे चलकर रूल ५ में यह बतलाया गया है कि :—

"(5) Where an extension has been brought under cultivation, a further extension shall, subject to the provisions of rule 4, be permissible not earlier than three years from the date on which the extension immediately preceding was made."

इसके अन्तर्गत तीन साल तक, एक्सटेंशन हो जाने के बाद और कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। इस प्रकार की भी आप इजाजत नहीं देते हैं कि वह थोड़े दिनों के बाद और आगे एक्सटेंशन कर सके। जितने पुराने सेटिलमेंट हुए हैं और इस विधेयक में जिनका जिक्र किया गया है उनकी रिपोर्ट भी नहीं है। तो श्रीमन्, माननीय मंत्री जी विचार करें कि इतने बड़े कुमायूं डिवीजन के चार जिलों का अन्दाजा लगाने के लिए कि किस वर्ष कितने हुए और इसके लिए जितनी मशीनरी की आवश्यकता होगी तो उसमें काफी खर्च करना पड़ेगा और उससे कम लगान वसूल होगा। माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि इस लगान से उनको नफा होने जा रहा है किन्तु एक्सटेंशन का पता लगाने के लिए जितनी रकम खर्च होगी उतना लगान सरकार को वसूल नहीं होगा। तो व्यावहारिक दृष्टि से यह कठिन है कि कितने एक्सटेंशन पहाड़ों में, नालों में, नदियों में या कहां पर कितने हुए इन सब बातों का पता लगाने के लिये आपको बहुत स्टाफ रखना पड़ेगा और उससे जो आमदनी होगी वह बहुत कम होगी।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो नयाबाद ग्रांट के लिए रेवेन्यू लगाने का तरीका है वह भी रूल के अन्दर दिया गया है। कुमायूं नयाबाद ऐन्ड वेस्ट लैन्ड ऐक्ट के १८ रूल में यह दिया हुआ है कि:—

"18 (2). If the grant is made to a District Board, or a charitable institution or a Public body for a public purpose, it shall be revenue free. In all other cases the grantee shall be required to pay revenue assessed on the grant."

तो नया बाद ग्रान्ट पर रेविन्यू पहले से असेल होता है.....

लेकिन नयाबाद एक्सटेंशन के लिये इस ऐक्ट मे कोई दफा नहीं है। वह क्यों नहीं है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान स्टावैल्स मैनुअल के पेज १४३ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है :—

"In these zones, which were surveyed, the villagers are allowed to clear land and cultivate without further permission and without assessment of revenue until the next settlement, the extensions being made by mutual consent or in accordance with village custom."

तो कुमायूं नयाबाद ऐक्ट में इस कनवैंशन को रखा गया है। पहले इजाजत लेना जरूरी नहीं था लेकिन १९४८ से जरूरी कर दिया गया है लेकिन फिर भी रेवेन्यू फ्री किया गया। आगे पेज १४६ में है--

"A nayabad grant constitutes a separate revenue mahal until the next revision of settlement, when it is usually included in the village in which it lies or made into a *laga* of such village."

पहाड़ में फरटाइल जमीन भी नहीं होती, सायल इरोजन होता है। सरकार ने तय किया था कि ऐक्सटैंशन के लिये बंजर जमीन का लगान लेना उचित नहीं होगा जब तक सैटिलमैंट न हो जाय। पहाड़ में मान लीजिये किसी एक्सटैंशन में फल का पेड़ लगाया, उससे इनकम एक दम नहीं बल्कि कुछ साल बाद शुरू होती है। पहले साल आलू अच्छा होता है तो बाद को खाद इत्यादि न मिलने से कई साल तक पैदा नहीं होता। इसलिये व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी रैवेन्यू असैस नहीं की गयी थी।

अगर हम इस धारा को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उसमें एक विशेष तरीका अपनाया गया है। यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, यानी लैंड रेवेन्यू से एग्जैम्ट किया गया है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह का अपना पहला प्रयोग सरकार कर रही है कि बेचारे वे गरीब जो एक्सटैंशन कर लेते हैं उनको लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की सुविधाओं से भी वंचित कर रहे हैं। तीसरे, रैवेन्यू के असेसमेंट की अपील का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अगर रेवेन्यू आफीशल आरबिट्रेरी तरीके से असेसमेंट करता है तो उसकी कोई अपील नहीं है। ये बातें मैंने यहां रखीं कि अव्वल तो लगान लेना खर्चे के दृष्टिकोण से अवैधानिक होगा। आमदनी कम होगी। दूसरे कस्टमरी ला के अनुसार एक्सटैंशन में कभी लगान नहीं लगाया जाता और इस आज तक की परम्परा को माननीय मंत्री जी तोड़ना चाहते हैं। तीसरे, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट से वंचित करना गलत बात है। चौथे, अपील की गुंजाइश होनी चाहिये। पांचवीं बात यह है कि ग्रांट के संबंध में किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या चैरिटेबिल संस्था को आपने रेवेन्यू असेसमेंट के लिये माफी दे दी। अब आप कल्पना कीजिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नयाबाद ऐक्ट में तो माफी है, लेकिन एक्सटैंशन करते हैं तो उस ग्रांट में तो माफी नहीं है। तो इसमें माननीय मंत्री जी यह प्रोविजन लगाते कि नयाबाद एक्सटैंशन के लिये या चैरिटेबिल परपज के लिये कोई एक्सटैंशन होगा तो उस पर माफी होगी तो यह एक तरह से समीचीनीकरण भी होता कि दोनों में माफी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो पांच बातें मैंने बतलायी हैं उनको ध्यान में रखते हुये वे मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे और इस खंड को वापस ले लेंगे या इसमें कोई उचित संशोधन करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत सी बातें जो उन्होंने कहीं हैं उनको दोहराना मैं ठीक नहीं समझता हूं परन्तु मैं कुछ ऐसी बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं जिसके कारण मैं समझता हूं कि इस खंड को इस विधेयक में से हटा दिया जाय। वह यह है कि बहुत जगह जो हिस्सेदार लोग हैं उन्होंने अपनी कुछ जमीन सिरतानों को दे रखी है और सिरतान लोगों ने जो उनके नाप खेत के बगल में थे उनको आबाद कर दिया है और ५ नाली हर साल के हिसाब से एक्सटैंशन करके सिरतानों ने काफी जमीन बढ़ा ली है। अब सरकार उस जमीन पर लगान लगाना चाहती है और सरकार यह भी साथ-साथ कहती है कि उस लगान का देय वही होगा, जो उस जमीन का मालिक होगा। हिस्सेदारों को उस जमीन से कुछ नहीं मिलता है क्योंकि सिरतान ही उसे कमाते हैं फिर हिस्सेदार लोग लगान देना इसलिये भी पसन्द नहीं करेंगे कि जब कम्प्रेहैंसिव कानून बनेगा तो चूंकि सिरतानों ने उसको आबाद किया है और वे ही उस पर काबिज हैं इसलिये वे ही उस जमीन के मालिक भी बनेंगे। वे यह भी कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें तलाऊ या उतराऊ लगाया जाय। इसलिये इसमें झगड़ा होने का बड़ा भारी अन्देशा है। मैं समझता हूं कि जब तक कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता है और

[श्री मदन मोहन उपाध्यक्ष]

सेटलमेंट होना जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ मुमकिन नहीं है और जब तक यह कानून नहीं बन जाता है; जो उस जमीन पर काबिज हैं वे ही उसके मालिक हो जायंगे। तब तक मैं समझता हूं कि इस खंड को इसमें रखना उचित नहीं होगा। यह कानून इसलिये बनाया जा रहा है कि जो सिरतान अपनी जमीन से बेदखल किये जा रहे हैं उनको बेदखली से रोका जाय। इस बिल का उद्देश्य भी यही था। वैसे उद्देश्य यह भी था कि नयाबाद एक्सटेंशन जो हो उस पर भी लगान लगाया जाय। इस बिल का खास उद्देश्य यही था कि ऐक्जेक्टमेंट बन्द किया जाय। लेकिन इससे तो एक नयी चीज पैदा हो जायगी। मैं समझता हूं कि बिना सेटलमेंट हुये एक्सटेंशन के ऊपर किसी किस्म का लगान लगाना या किसी को उस जमीन का मालिक बना देना ठीक नहीं है, तो जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता इससे एक कंफ्यूजन पैदा हो जायगा जैसा कि श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि जो सिरतान हैं वे जब कचहरियों में जायेंगे तो कहेंगे कि हम इतने साल से हर साल ५ नाली के हिसाब से खोद रहे हैं। इससे बड़ा झगड़ा हो जायगा और एक कंज्यूजन क्रीऐट हो जायगा और इस बिल का जो मकसद है वहीं खतम हो जायगा। बहुत सी जगह कैसरे हिन्द की ऐसी बेनाप की जमीन भी है जो हरिजनों के कब्जे में है। २०, २५ साल से हरिजन उसको खोद रहे हैं, किसी ने पेड़ लगाया है, किसी ने मकान बनाया है लेकिन आज बहुत से हरिजन उस कैसरे हिन्द वाली जमीन से भी बेदखल किये जा रहे हैं। सरकार कहती है कि तुमने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारी जमीन नाप नहीं थी। ऐसे बहुत से गरीब हरिजन हैं जिनके पास एक नाली भी जमीन नहीं है। इस कैसरे हिन्द वाली जमीन से बेदखल होने पर उनकी हालत बहुत ही खराब हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल में जो इस क्लाज को रखने का फैसला किया है इससे एक कंफ्यूजन क्रीऐट कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी ने जो इस खंड को हटाने का प्रस्ताव किया है उसको मान कर माननीय मंत्री जी उसे हटाने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत--अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये नहीं कि संशोधन सोशलिस्ट भाइयों की ओर से पेश हुआ है बल्कि इसलिये, क्योंकि हमें तो किसानों का हित देखना है कि आया ऐसे संशोधन से किसानों का हित आगे बढ़ता है या नहीं और उनके हितों पर आघात तो नहीं होता है। मैं जहां तक समझ पाया हूं और अदालतों में जो एक्सटेंशन के केसेज चलते हैं उनको देखने से मालूम होता है कि इस तरह का प्राविजन इस बिल में अवश्य होना चाहिये। कारण कि अगर एक्सटेंशन की जमीन किसानों के नाम पर दर्ज नहीं होती तो किसानों में आपस में बड़ी मुकदमेबाजी बढ़ेगी और मारपीट तक होती है और होगी। उनके कानूनी राइट्स जो हैं वह भी लैंड रेवेन्यू या रेंट देने पर ही जिन्दा होते हैं वरना अगर वह कुछ पे नहीं करते तो उनके हक डारमेंट रहते हैं। अगर असेसमेंट आफ रेवेन्यू नहीं होता तो उनके वह डारमेंट हकूक मर जाते हैं। इस लिये वह डारमेंट हकूक उनके जितने जल्द जिन्दा किये जायं अच्छा है और भविष्य में जो उनके दरमियान लिटिगेशन किया जाता है उस में भी कमी करना नितान्त आवश्यक है और उसकी सूरत यही है कि उनके एक्सटेंशन को दर्ज करना चाहिये और उसको ड्यूली असेस्ड टु रेवेन्यू होना चाहिये। जहां तक उपाध्याय जी के आरगूमेंट्स का संबंध है मैं उनके तर्क से प्रभावित नहीं हुआ। वह समझते हैं कि अगर उनसे रेंट या रेवेन्यू न लिया जाय तो उनका फायदा होगा। परन्तु मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब वहां आपस में एक बार मुकदमेबाजी होती है तो यह तो लैंड रेवेन्यू की जरा सी बात है, उन के उस से दसगुना, सौगुना, हजार गुना और दस गुना अदालतों में खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि पहाड़ों में तो वैसे ही असेसमेंट बहुत कम हैं। एक आना दो आना और कहीं-कहीं तो ६ पाई और ३ पाई तक वह है और किसानों को उस के अदा करने में कोई दिक्कत न होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि उसके हकूक की मेच्योरिटी के लिये और उस के ओनरशिप को जिन्दा रूप में कायम रखने के लिये उसकी जमीन ड्यूली असेस्ड टु रेवेन्यू होनी चाहिये। इसी नुक्ताचीनी से इस खंड को देखना चाहिये।

इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जिस वक्त तक वहां लैंड का सैटिलमेंट नहीं होता उस वक्त तक वहां असेसमेंट न होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिस जमीन को उन लोगों ने आबाद किया है उस पर उनके हकूक तभी मजबूत होते हैं जब वह सरकारी खजाने में उसके एवज में कुछ जमा करते हैं और तब एक कन्ट्रेक्ट उनके और सरकार के बीच हो जाता है कि वह अपने हक के लिये इतना पैसा सरकार को देते हैं और अगर वह उसके लिये कोई लैंड रेवेन्यू या रेंट नहीं देता है तो उसका कोई कानूनी हक पैदा नहीं होता है और बावजूद जमीन में इम्प्रूवमेंट करने के, कैपिटल इनवेस्टमेंट करने के उस के हकूक डिसप्यूटेड रह जाते हैं। पहाड़ों में खेत ज्यादातर एक दूसरे के पैरलल होते हैं और एक खास नेचर की लिटिगेशन होती है। इसलिये इस प्राविजन का रहना बहुत जरूरी है।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—जो संशोधन मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिये विरोध करता हूं कि एक बात जो इस विधेयक में रखी गयी है उससे मुझे पूर्ण आशा है कि यद्यपि इस वक्त कहा तो यह जाता है कि केवल एक्सटेन्शन पर कोई लगान लिया जायगा लेकिन गवर्नमेंट सोचेगी कि एक्सटेन्शन पर लगान लगाने का काम किस तरह से चलेगा तो उनको मजबूरन इस बात को करना पड़ेगा कि सैटिलमेंट हो जाय और शायद इसी बहाने से कुमायूं का लैंड सेटिलमेंट हो जाय क्योंकि हर मेजर्ड खेत में एक्सटेंशन्स किये गये हैं तो जब कि पूरी बन्दोबस्त की कार्यवाही न की जायगी तब तक एक्सटेंशन पर लगान लगाना आसान काम नहीं है। हर गांव में रेटिंग आफिसर्स को जाना पड़ेगा, हर किस्म खेत और नाप खेत को देखना पड़ता है। मैं समझता हूं इस बात को देखते हुये सरकार को इस बात के लिये मजबूर होना पड़ेगा कि पूरा लैंड सेटिलमेंट कुमायूं में किया जाय। इसलिये इस धारा का होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि अब तो कहा जाता है कि खर्चा हो जाता है और इस खर्च को उठाने के लिये सरकार तैयार नहीं है। दूसरी बात जो माननीय उपाध्याय जी ने कहा। मुझे शक है कि कैसरे हिन्द जमीन और बेनाप जमीन में जो अन्तर है वह समझ नहीं पाये। असल में चाहे सिरतान हो, चाहे कच्चा खैकर हो और चाहे पक्का खैकर हो उसका जो हक नाप जमीन पर होता है वही हक उसका विस्तार वाली जमीन पर होता है। तो जो शंका उन्होंने पैदा की है कि लगान पर ये दिक्कत हो जायगी कि सिरतान को या कच्चे खैकर का हक नहीं रह जायगा तो वह कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो हक उसका नाप की जमीन पर है वही हक विस्तार पर है।

इसके अतिरिक्त यह बात भी सही है कि पुराने जो कुमायूं के शासक थे उनका यह मंशा था कि बेनाप की जमीन पर कोई लगान तब तक न लगाया जाय जब तक कोई बन्दोबस्त न हो ले। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जब कोई नया बन्दोबस्त का प्रबन्ध किया जा रहा है उस वक्त यह कहना गलत होगा कि कोई लगान न लगे क्योंकि आज एक प्रकार से वहां पर अराजकता फैली हुई है। एक शख्स एक तरह से अपनी जमीन पर काबिज है, दूसरा शख्स दूसरी तरह से क्योंकि किसी को लगान नहीं देना पड़ेगा तो फिर सिर फुटौवल होगी। अगर कोई नकशा बन जाय और लगान लग जाय तो वहां एक व्यवस्था हो जायगी और अराजकता जो फैली हुई है वह खत्म हो जायगी। इसलिये जो इस विधेयक में है कि विस्तार वाली भूमि पर लगान लगे वह उचित बात है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने कहा कि १८९७ से १९०३ तक एक बन्दोबस्त हुआ था लेकिन मैं उनको आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि वह जो बन्दोबस्त हुआ था वह भी केवल विस्तार वाली जमीन पर हुआ था और असली जो मेजर्ड लैंड हैं उनमें १८७२ के बाद आज तक कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ। खर्चे की दिक्कत को देखते हुये सन् १८९७ में यह हुआ था कि एक्स्टेंशन वाली जमीन का बन्दोबस्त कर दिया जाय। लेकिन आज भी अगर ८० या ८२ वर्ष के बाद सोचें तो खर्चा करीब तीन चौथाई करना पड़ा और केवल विस्तार वाली जमीन का बन्दोबस्त हो सका। तो अगर यह रहने दिया जाय तो शायद गवर्नमेंट सेटिलमेंट करने के लिये मजबूर हो जाय और उससे कुमायूं की जनता का फायदा होगा। मैं आशा करता हूं कि तिवारी जी इस बात को सोचते

[श्री भूपाल सिंह खाती]

हुए कि इस बात लिये सरकार मजबूर हो जाय कि बन्दोबस्त फिर से करावे अपने संशोधन को वापस कर लेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि इस प्रकार का संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया। सब लोग इस बात को मानते हैं कि वहां बन्दोबस्त हुये बहुत दिन हो गये। पुराने जमाने में जो मालगुजारी तशखीश हुयी थी वही आज भी चली आ रही है। मान लो अल्मोड़ा व नैनीताल में बन्दोबस्त सन् १८७२ में हुआ और जो एक्सटेंशन हुआ वह १९०२ में। इसका मतलब यह हुआ कि बन्दोबस्त हुये ८० साल बीत गये और एक्सटेंशन हुये भी ५० साल बीत चुके है। तो वह मालगुजारी आजकल के जमाने से बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, सारे सूबे में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने से पूर्व २ रुपया फी एकड़ मालगुजारी पड़ती थी। लेकिन आज सारे कुमायूं में जिसमें कि गढ़वाल और टेहरी भी शामिल है जहां कि बन्दोबस्त हुये ३० साल और १५ साल हुये हैं और जहां उम्मीद है कि कुछ मालगुजारी बढ़ी होगी, चारों जिलों का औसत साढे ग्यारह आने फी एकड़ आता है। इसका मतलब यह है कि नैनीताल और अल्मोड़ा में करीब सात आठ आने फी एकड़ मालगुजारी होगी क्योंकि गढ़वाल और टेहरी में जहां मालगुजारी बढ़ी है १५ और ३० साल पहले उसके रकबे को मिलाकर साढे ग्यारह आने कुल औसत आता है।

अब दूसरी बात माननीय मित्रों को यह स्वीकार है कि वहां एक्सटेंशन हुआ है। खुद माननीय नारायण दत्त जी ने पढ़कर सुनाया। उससे साफ साबित है कि हर तीन साल में ५ नाली एक्सटेंशन करना धर्म की बात मानी जाती है। यह तो जायज है। इसके अलावा नाजायज कितना हुआ वह परमात्मा ही जान सकता है। सन् १८७२ को आज ८२ साल हो गये हैं। इस तरह से २७ ट्रायनियल्स बीत गये हैं। तो ५ नाली हर तीन साल के हिसाब से १३५ नालियां बढ़ गई होंगी। जो पौने सात एकड़ से ४० गज कम होती है। मतलब यह हुआ कि अगर खुशकिस्मती से किसी शख्स के पास चौरस जमीन पड़ी हो यानी काबिल काश्त हो चाहे अच्छी जमीन हो या मारजिनल हो और उसने पौने सात एकड़ में एक्सटेंशन भी कर लिया हो लेकिन फिर भी आज वह मालगुजारी नहीं दे रहा है। अगर पौने सात एकड़ न भी सही फिर भी ८२ सालों में कम से कम एक एकड़ का एक्सटेंशन तो कर ही लिया होगा। तो हमारा विधेयक यह कहता है कि हम तफसील में नहीं जाना चाहते हैं बल्कि १८७२ के हिसाब से जो मालगुजारी बंधी है उसी हिसाब से वह उस जमीन का लगान जिस पर कि उसने एक्सटेंशन किया है, दे। उसे जमीन को प्रयोग करते ८० वर्ष हो गये हैं, उससे वह मुनाफा उठा रहा है लेकिन उसने अब तक स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया है। हम मिट्टी की किस्म में भी नहीं जाना चाहते और न जमीन की तफसील में ही जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें लाखों रुपये खर्च होंगे बल्कि मोटे तरीके पर हम यह कर रहे हैं कि जिस जमीन पर उसने नाजायज कब्जा कर लिया है उस पर वह १८७२ के हिसाब से लगान दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नाजायज नहीं है।

श्री चरण सिंह—नाजायज को आपने जायज कर दिया। चाहे जायज कहिये चाहे नाजायज कहिये लेकिन इस समय हम तफसील में न जा करके केवल यही चाहते हैं कि जो एक्सटेंशन हुआ है उस पर पुराने दर से मालगुजारी बंध जाय। इस समय और ज्यादा झगड़े में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी दशा में भी इस धारा का स्वागत करने के बजाय विरोध हो तो मैं कह सकता हूं कि आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इस तरीके से जमीन पर कब्जा किये हुये हैं, फायदा उठा रहे हैं और एक पैसा भी गवर्नमेंट को इतने दिनों से नहीं दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी सज्जन को इस विधेयक की यह धारा किस तरह से अनुचित जंचती है। इसमें ज्यादा लम्बे हिसाब की जरूरत नहीं होगी कि बड़े

भारी आफिसर्स रखने पड़ें और हमारा ज्यादा खर्चा हो। वहां लाखों एकड़ जमीन पर लोग कब्जा किये हुये हैं और मालगुजारी देना नहीं चाहते हैं। (इंटरप्शन्स) मैं समझता हूं कि बेहतर यह है कि माननीय सदस्य खामोशी से सुनें।

एक सदस्य--लाखों एकड़ नहीं है।

श्री चरण सिंह---लाखों एकड़ जमीन हो तो भी उस पर मालगुजारी देनी चाहिये और अगर दो एकड़ ही हो तो भी उस पर मागुजारी देनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सेटिलमेंट कर दीजिये।

श्री चरण सिंह---अगर सैटिलमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसमें क्या शिकायत है कि जिस हिसाब से मालगुजारी दे रहे हैं उसी हिसाब से जिस जमीन पर कब्जा कर लिया है उस पर मालगुजारी दें। वैसे तो तमाम उसूल की बातें की जाती हैं लेकिन जब पैसा देने की बात होती है तो वह कड़वी लगती है चाहे वह सात आने या आठ आने फी एकड़ ही हो। तो यह जो धारा विधेयक की है यह निहायत उचित है, मोस्ट ऐप्रोप्रिएट है और मोस्ट माडेरेट है कि सन् १८७२ के रेट पर हम मालगुजारी निश्चित करने जा रहे हैं।

माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि वहां लैंड रेवेन्यू ऐक्ट लागू नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि आपने ऐसे असेसमेंट के लिये ऐक्सटेंशन में लैंड रेवेन्यू ऐक्ट को वंचित कर दिया है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में किसी बात के होते हुये भी जरा इसको पढ़िये।

श्री चरण सिंह---जरा आप खंड ७ की उपधारा ३ देखें इसमें साफ लिखा हुआ है कि "यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (२) के अधीन मालगुजारी के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये प्रवृत्त होंगे" लैंड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१ को हम कुछ रद्दोबदल के साथ वहां लागू कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन भी इसको मंजूर नहीं करेगा।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७---क

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित खंड ७-क के रूप में जोड़ दिया जाय---

"७-क यदि किसी "एक्सटेंशन" (विस्तार) पर धारा ७ के अधीन मालगुजारी निर्धारित की गई हो और ऐसा "एक्सटेंशन" (विस्तार) किसी काश्तकार के कब्जे में हो तो वह काश्तकार क्षेत्रपति को "एक्सटेंशन" (विस्तार) के लिये लगान का उसी दर पर देनदार होगा जिस पर कि उस भूमि के लिये लगान देय हो जिसका कि वह "एक्सटेंशन" (विस्तार) है।"

स्पष्टीकरण:---इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "काश्तकार" के अन्तर्गत खायकर और मौरूसीदार भी हैं।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये हुई कि जब एक्सटेंशन की भूमि पर लैंड रेवेन्यू असेस हो जायगा तो फिर हिस्सेदार तो लैंड रेवेन्यू की अदायगी का जिम्मेदार होगा। जो जमीन कि किसी खायकर या मौरूसीदार या सिरतान के कब्जे में एक्सटेंशन के तौर पर होगी। फिर उससे उसे रेंट भी पाने का हक होना चाहिये क्योंकि अगर वह उससे रेंट न ले और फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे उस एक्सटेंशन का तो यह मुनासिब नहीं है। इस ख्याल से और चूंकि माननीय उपाध्याय जी ने अपनी धारा ७ की बहस के दौरान में कहा भी था कि गवर्नमेंट रेवेन्यू तो लेगी लेकिन रेंट का कोई प्राविजन नहीं रखा गया है कि काश्तकार फिर क्या देगा हिस्सेदार को, तो उस बात से मुझे हिम्मत हुई कि मैं इस संशोधन को उपस्थित करूं कि रेंट हिस्सेदार उससे पाने का मुस्तहक हो जाय एक्सटेंशन के बारे में तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी जब कि धारा ७ में यह स्वीकार कर लिया गया है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू असेस कर सकती है, जो भी कोई ऐसा एक्सटेंशन हो। तो इस धारा में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह हिस्सेदार जो एक्सटेंशन का रेवेन्यू देगा वह रेंट पाने का मुस्तहक होना ही चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में जो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने किया है कि "इस धारा के प्रयोजन के लिये पद "काश्तकार" के अन्तर्गत खायकर और मौरूसीदार भी हैं" कल तक इसी पर झगड़ा हो रहा था कि "काश्तकार" की डेफ़ीनीशन के अन्तर्गत खायकर आते हैं या नहीं। आज स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया। क्या काश्तकार की डेफनीशन में खायकर और मौरूसीदार भी आ गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष---केवल इस धारा के लिये आ गये हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं समझता था कि सब के लिये इसको मान लिया है, लेकिन वह नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो विरोध के लायक हो।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि निम्नलिखित खंड ७-क के रूप में जोड़ दिया जाय---

"७-क यदि किसी "एक्सटेंशन" (विस्तार) पर धारा ७ के अधीन मालगुजारी निर्धारित की गई हो और ऐसा "एक्सटेंशन" (विस्तार) किसी काश्तकार के कब्जे में हो तो वह काश्तकार क्षेत्रपति को "एक्सटेंशन" (विस्तार) के लिये लगान का उसी दर पर देनदार होगा जिस पर कि उस भूमि के लिये लगान देय हो जिसका कि वह "एक्सटेंशन" (विस्तार) है।"

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "काश्तकार" के अन्तर्गत खायकर और मौरूसीदारी भी है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड....

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि धारा ७-क के नीचे निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय। वह प्रतिबन्ध इस प्रकार है कि---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित "एक्सटेंशन" (विस्तार) का लगान उस पर धारा ७ के अन्तर्गत निर्धारित मालगुजारी के १२५

प्रतिशत से अधिक हो, तो देय लगान मालगुजारी तथा उसके २५ प्रतिशत का जोड़ होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिबन्ध का केवल मात्र उद्देश्य यह है कि...

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, जब एक खंड पास हो गया है और धारा बन गई है तो क्या माननीय सदस्य प्रतिबन्ध के लिये कोई प्रस्ताव रख सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--राय लेने के लिये मैं रखने ही को था कि मेरा ध्यान आकर्षित किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जब नया संशोधन पेश होता है और सरकार की तरफ से पेश हो तो क्या अपोजीशन की कापी नहीं मिलनी चाहिये?

श्री उपाध्यक्ष--ऐसा नियम तो है नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की तरफ से संशोधन आया है और अपोजीशन की तरफ उसका कोई विरोध नहीं हुआ, इसलिये मैंने इजाजत दे दी है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य केवल उन काश्तकारों की रक्षा करना है जिन पर बहुत ज्यादा लगान हो जाता है। इसमें सरकार ने रक्षा का ही उद्देश्य रखा है। ज्यादा हो सकता है, ४० फीसदी तक हो सकता है। लेकिन सरकार ने यह किया है कि २५ फीसदी से अधिक लगान नहीं हो सकेगा। इसी तरह से इन छोटे काश्तकारों की रक्षा की गई है। मेरी समझ में यह बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, कुमायूं में काश्तकारान को मालगुजारी के अलावा मालिकान के तौर पर १०, २० व २५ फीसदी अपनी मालगुजारी के ऊपर देना होता है। कहीं कहीं १०० फीसदी तक देना होता है। अब मेरे मित्र ने जो संशोधन पेश किया है, उसका आशय यह है कि अगर कहीं लगान मालगुजारी के २५ फीसदी तक अधिक है तो वही रहेगा। परन्तु अगर कहीं २५ फीसदी से अधिक है, यानी ४०, ७५ या १०० फीसदी अधिक है तो किसी भी सूरत में २५ फीसदी से ज्यादा नहीं लिया जायगा। तो यह तो इस आशय से पेश किया गया है ताकि काश्तकारों का लगान मालगुजारी के सवाये से ज्यादा न हो जाय। इसके मानी यह हैं कि काश्तकारों को राहत मिले। मेरा विश्वास है कि मेरे माननीय मित्रों को कोई विरोध नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन् धारा ७-क के नीचे जो प्रतिबन्ध जोड़ा जा रहा है तो उसकी तीसरी पंक्ति में "तो देय लगान" शब्द आये हैं। उसकी जगह "काश्तकार द्वारा देय लगान" लिख दिया जाय ताकि ज्यादा साफ हो जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--लगान तो काश्तकार द्वारा देय ही है।

श्री चरण सिंह--"पेएबिल" से मतलब है "देय"। उसमें भी "पेएबिल" है। लिखा है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित एक्सटेंशन का लगान पर धारा ७ के अन्तर्गत निर्धारित मालगुजारी के १२५ प्रतिशत

[श्री चरण सिंह]

से अधिक हो तो देय लगान... यानी, "दि रेंट दिच इज पेएबिल"। यह तो बहुत साफ है। इसमें कठिनाई क्या है, समझ में नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ७-क के नीचे निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित "एक्सटेंशन" (विस्तार) का लगान उस पर धारा ७ के अन्तर्गत निर्धारित मालगुजारी के १२५ प्रतिशत से अधिक हो, तो देय लगान मालगुजारी तथा उसके २५ प्रतिशत का जोड़ होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रतिबन्ध सहित खंड ७-क इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त, शीर्षनाम विस्तार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो सरकारी आस्थान (Government Estates) के अन्तर्गत हैं, अथवा जिन पर १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है, सम्पूर्ण कुमायू डिवीजन में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पहला संशोधन २८ नम्बर पर है, उसको तो पेश करना मैं बहुत आवश्यक नहीं समझता क्योंकि नीचे तो आ ही गया है कुमायूं डिवीजन। इसलिये अगर आज्ञा हो तो २९ नम्बर का पेश करूं।

श्री उपाध्यक्ष--पेश कीजिये।

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "जो सरकारी आस्थान (Government Estates) के अन्तर्गत हैं, अथवा" निकाल दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तो माननीय राजस्व मंत्री महोदय को स्पष्ट ही हो गया होगा जब उत्तर प्रदेश में जमींदारी अबालीशन कानून पास हुआ तो उस समय उसमें एक एक्सेप्शन रखा गया कि गवर्नमेंट स्टेट्स जो कि कुमायूं डिवीजन के अन्दर हैं, तराई भावर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और कोटद्वारा भावर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, वह कानून से अलग रखी जायं और रखी गयीं। और इस समय काश्तकारों की बेदखली रोकने के लिये, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री की परिभाषा में सिरतान ही काश्तकार हैं, यदि उनकी बेदखली रोकने के लिए जब कुमायूं डिवीजन में यह विधेयक

लगाते हैं तो उस समय भी आप उस खाम भावर स्टेट या तराई भावर स्टेट को अलग कर देते हैं तो उसकी सिमिली, उसका उदाहरण किस तरह से दूं। मैं तो यह समझता हूं कि जिस तरह से विदेशियों के यहां फारेन पाकिट्स हैं, अगर यह परिभाषा न दी जाय तो यह कहा जा सकता है कि यहां पर भी आप उपनिवेश या टापू माननीय राजस्व मंत्री रखना चाहते हैं। क्योंकि वह ऐसी जगह होगी जहां कोई कानून नहीं है। नीचे मैदानी भाग में तो जमींदारी विनाश के द्वारा काश्तकारों के अधिकार सुरक्षित किये गये और ऊपर से इस विधेयक के द्वारा यहां के जो सिरतान हैं कम से कम उन्हें कुछ राहत मिलेगी, जैसे कि राजस्व मंत्री कहते हैं। हमारे विचार से तो यह नहीं होने जा रहा है क्योंकि वह उतनी सुन्दर बात तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके विचार से कुछ न कुछ राहत उनको मिलती है। लेकिन यह बीच में जो एक टापू रखा है, उपनिवेशन रखा है यह हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। जिस प्रकार से छोटे मोटे जमींदार हैं जिनको कि माननीय राजस्व मंत्री जमींदार नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से सरकार के भी कुछ काश्तकार इन स्टेट्स के अन्दर हैं। वह नैनीताल के अन्दर भी हैं और खाम भावर के इलाके के अन्दर भी हैं। लेकिन उनकी तरफ चूंकि वह उनकी अपनी स्टेट है इसलिये सरकार चाहती है कि वह हमेशा बसती रहे और वहां पर कानून तो कोई है नहीं, बिल्कुल लालेसनेस की सी दशा है। वहां के एक स्थान के एक आदमी ने लिखा है एक गांव की बात है कि उसने ८१ अर्जियां माननीय राजस्व मंत्री जी को भेजीं लेकिन उन ८१ अर्जियों की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से अंग्रेजी राज में कहते थे कि एक बड़े लाट साहब दिल्ली में रहते हैं और छोटे लाट साहब लखनऊ में रहते हैं उसी प्रकार से आज भी दशा है। उस खाम भावर स्टेट के अन्दर जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके बहुत बड़े-बड़े अधिकार हैं और वह बड़े लाट साहब हैं वहां के एक छोटे लाट साहब भी हैं जिन्हें खाम साहब वहां पर कहते हैं। अब जितने गांव हैं उस खाम साहब भावर स्टेट के अन्दर जैसे उदयरामपुर, उमरावनगर, झंडी चौट और किशनपुर, प्रत्येक जगह वहां एक विचित्र किस्सा चल रहा है। एक आदमी को, कोई महाशय हैं वहां पर महानन्द डबराल, उनको ३०० बीघा जमीन मिल गई। क्यों मिल गई। इसलिये कि वहां के अधिकारी जो हैं, वह उनसे खुश हो गये होंगे और उसके बाद वह उस जमीन को बेच देते हैं क्योंकि इल्लीगल ट्रांजेक्शंस वहां होते हैं। तो वहां अनेक तरह की अनियमिततायें चल रही हैं और सरकार इस आक्षेप से बच नहीं सकती है। जैसा मैंने कहा कि विदेशियों के यहांपर फारेन पाकेट्स चल रहे हैं उसी तरह से यह सरकार भी अपने उपनिवेश रखे हुए हैं। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इस विधेयक में भी खासतौर से रखा गया है कि गवर्नमेंट स्टेट्स जो हैं वह इससे अलग कर दी जायं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने पहाड़ तो देखा नहीं। अल्मोड़ा और नैनीताल भी नहीं देखा है जहां कि आम तौर से लोग जाते हैं तो गढ़वाल की तो बात ही दूसरी है। वहां वह क्यों जाते। तो पहाड़ों का कोई चित्र तो उनके सामने हैं नहीं नक्शे से असली हालत मालूम नहीं हो सकती लेकिन फिर भी जो लोग वहां रहते हैं और जो वहां की उपज है उसके आंकड़े तो माननीय मंत्री जी को विदित ही होंगे। अगर वहां के लोगों की कुछ समस्या हल हो सकती है, कुछ हद तक, पूरी तो नहीं हल हो सकती, लेकिन जो कुछ भी हल हो सकती है तो वह उसी खाम भावर के अन्दर हो सकती है और यह लोग इसी चेष्टा में लगे हुये हैं ताकि जो उनकी भूख की समस्या है वह किसी तरह से कुछ तो हल हो। आखिर हमारा आपका सबका उद्देश्य तो यही है कि कल्याणकारी राज्य के अन्दर प्रत्येक को पेट भर भोजन मिले। पहाड़ों के अन्दर चट्टानों को खोदकर तो कोई समस्या हल नहीं की जा सकती। जो कुछ थोड़ा बहुत किया जा सकता है वह तो इन्हीं जगहों पर किया जा सकता है। लेकिन जो लोग आज खाम भावर स्टेट के अन्दर हैं उनका क्या हाल है? वहां जो गूल्स हैं उन गूलों के अन्दर पानी नहीं

[श्री गंगाधर मैठाणी]

पहुंचता है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने बगीचे बनाये हैं। वहां जो लकड़ी वगैरह फैली हुई हैं उसके सम्बन्ध में बहुत भ्रष्टाचार वहां है जो कि माननीय राजस्व मंत्री जी के यहां नहीं होने चाहिये। इसलिये मैंने इस संशोधन को रखा है और मैं समझता हूं कि इन स्टेट्स के सम्बन्ध में क्या नीति है इसको माननीय राजस्व मंत्री जी स्पष्ट करेंगे तो जो हाहाकार वहां मचा हुआ है वह कुछ दूर होगा। जब आप प्राइवेट जमींदारों की जमींदारी लेने जा रहे हैं और काश्तकारों को कम से कम एजेक्टमेंट से रोकने जा रहे हैं तो क्यों नहीं आपकी स्टेट के अन्दर वहां के काश्तकारों को हक दिये जायं। इसलिये अगर यह संशोधन पास किया जाय तो इससे वहां की समस्या हल होगी।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कब मैठाणी जी अपनी तकरीर समाप्त करें और मैं मुख्तसरन कुछ अर्ज करूं। उन्होंने एक शब्द "पाकेट" सुन लिया है। अखबारों में "पाकेट" लफ्ज का आज कल बड़ा जिक्र है, फ्रेंच पाकेट्स, पोर्टगीज पाकेट्स—उन्होंने सोचा कि इस लफ्ज को कहीं इस्तेमाल करना चाहिये। और कह दिया कि गवर्नमेंट स्टेट "पाकेट्स" हैं।

दूसरी बात सिर्फ मुख्तसरन यह कहनी है कि विधेयक में यह लिखा हुआ है कि जो सिरतान और इसके अलावा जो खायकर और मौरूसीदार हैं उनकी बेदखली रोकनी है। गवर्नमेंट स्टेट्स में न सीरतान हैं, न खायकर हैं न मौरूसीदार हैं और न हिस्सेदार ही हैं। अब कहा जाता है कि उसको ए से लेकर जैड तक गवर्नमेंट स्टेट्स में लागू कर दिया जाय। यह लागू कैसे हो जायगा जब कि वहां सिरतान ढूंढ़ने को नहीं मिलेंगे ? वहां कहां टेनेंट ऐक्ट बिल है जो इस तरह से बेदखल होते हैं मैं तो शुरू में सोच रहा था कि प्वाइंट आफ आर्डर उठाऊं ? लेकिन मैंने सोचा कि जितनी देर उसमें लगेगी उतने में तकरीर हो ही जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब माननीय मैठाणी जी शायद अपना संशोधन वापस लें लेंगे। समझ में नहीं आता कि माननीय मदनमोहन जी क्यों खड़े हो रहे हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने का जो उद्देश्य माननीय राजस्व मंत्री जी ने समझा है वह बिल्कुल ठीक समझा है। हम लोग यह चाहते थे कि माननीय मंत्री जी का ध्यान, जबकि उत्तर प्रदेश में इधर के हिस्से के लिये जमींदारी अबालिशन कानून बना दिया, रामपुर के के लिए बना दिया, और कुमायूं के लिए भी बना दिया तो, उनका ध्यान खास स्टेट्स की तरफ भी जाना चाहिए। चाहे आज वहां सिरतान न हों लेकिन वहां असामी हैं, जो कि कहीं बाहर निकाले जा रहे हैं, तो उनकी भी रक्षा की जाय। उनके लिए भी कानून बने। इसी आशय से यह संशोधन रखा गया है। इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। अगर मैठाणी जी वापस ले लें तो दूसरी बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन, आज से कुछ समय पहले प्रश्नोत्तर के सिलसिले में माननीय मंत्री जी से जब मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या तराई भाबर स्टेट में कोई जमींदारी है तो उस समय मंत्री जी ने विवश होकर यह जवाब दिया था कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। इसी आशय का उन्होंने उत्तर दिया था। उस दिन भी उनको इसकी सूचना नहीं थी और मैं समझता था कि अब तक उनको सूचना हो गयी होगी लेकिन माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना नहीं है वहां जमींदारी है।

श्री चरण सिंह--सिरतान है वहां ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--सिरतान भी हैं वहां। खास किस्म के सिरतान हैं। अगर माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराएं तो उनको मालूम होगा कि वहां जमींदारी आज भी बाकी है कालाटूंगी तहसील में, कोटाबाग इलाके में कुछ खायकर सिरतान भी हैं चाहे रेकार्ड हों या न हों, मैं नहीं जानता क्योंकि सेटिलमेंट कब का हुआ है। लेकिन रामनगर तहसील में, कोटाबाग के इलाके में, गोलाघाट के इलाके में खायकर सिरतान भी निकल आएंगे। वहां जमींदारी है। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। राजा काशीपुर की जमींदारी से कालोनाइजेशन विभाग ने जमीन अक्वायर की। उनको हजारों रुपया मुआविजा दिया। इसके बाद कालोनाइजेशन विभाग ने चार हजार एकड़ जमीन दोबारा अलाट किया और आज कल उसमें फर्गुसन ट्रैक्टर्स का फार्म बना हुआ है। वहां पर राजा काशीपुर की जमींदारी कुछ मानी में आज भी बाकी है। तो गवर्नमेंट स्टेटस में जमींदारी की पाकेटस हैं। इसको आपने अभी तक एबालिश नहीं किया। पाकेटस वहां हैं। बजाय इसके कि आप उन पाकेटस को एबालिश करते आपने मैठाणी जी से कहा कि आपने तो फ्रेंच पाकेटस याद कर लीं। उन्हें अपनी जेब टटोलनी चाहिये, शायद उनको मालूम नहीं है कि उनके पास भी कोई जेब है।

श्री गंगाधर मैठाणी--मैं इस बात के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस संशोधन पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस सदन के सम्मुख अपनी बात रख सकूं चाहे उन्होंने आज के अखबार में पढ़ा हो या किसी भी अखबार में पढ़ा हो। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनको तराई भावर के इलाके के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है जिसकी कि मैं उम्मीद नहीं करता था। लेकिन चाहे उनका कुछ भी कंसेप्शन हो उनको मालूम होना चाहिये कि आज भी वहां आबादी है, चाहे वे सिरतान न हों, किसी और किस्म के टेनेन्टस हों लेकिन वहां आबादी है। उन्हें देखना चाहिये कि वहां आज क्या हो रहा है। नारायणदत्त जी ने अभी बतलाया कि वहां जमींदारी गांव हैं, वहां लोग बसे हुए हैं वहां क्या तांडव नृत्य हो रहा है इसे उनको देखना चाहिये। अगर एक दफा वह वहां जाकर देख आयेंगे तो चित्र ज्यादा साफ हो जायगा। लिहाजा मुझे आशा है कि जो संशोधन मैंने रक्खा है उस पर वह ध्यान देंगे ताकि जो लोग वहां बसे हुये हैं वे समझ सकें कि वे भी इस भारत के नागरिक हैं और उन्हें भी इस राज्य के अन्दर प्रोटेक्शन मिलने का अधिकार है, उन्हें आप डिस्फ्रेंचाइज नहीं करेंगे। पाकेट शब्द से अगर मंत्री महोदय नाराज हो गये हों तो मैं उसे वापस ले लूंगा लेकिन जो परिस्थिति है उससे आप दूर नहीं जा सकते। यही मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है। अगर वह चाहते हैं तो मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ क उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "प्रवृत्त होता है" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"अथवा जो किसी म्युनिसिपैल्टी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया या कैन्टूनमेंट के अन्तर्गत है।"

श्रीमन, मेरा संशोधन स्वीकार किये जाने के बाद यह उपखंड इस प्रकार हो जायगा "इसका प्रसार उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो सरकारी आस्थान के अन्तर्गत हैं, अथवा जिन पर १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अधिनियम प्रवृत्त होता है, अथवा जो किसी म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया या कैन्टोनमेंट के अन्तर्गत हैं, सम्पूर्ण कुमायूं डिवीजन में होगा।" यह इतना स्पष्ट है कि मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- क्या यह अर्थ है कि बेदखली कायम रहे?

श्री नारायणदत्त तिवारी--वहां कुछ है भी या बेदखली ही कायम रहेगी।

श्री चरण सिंह---जैसा मेरे सहयोगी दरियाफ्त कर रहे थे अगर आपके इस संशोधन को मान लिया जाय तो वहां सरतानों की बेदखली कायम रहेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी-- मगर हों भी तो?

श्री चरण सिंह---अगर नहीं हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अर्बन एरिया में कुछ जमीन तो है ही जेरे काश्त अगर जेरे काश्त जमीन है तो वहां भी जरूर एक आध सिरतान होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वहां क्या सिरतान बनाने का इरादा है?

श्री चरण सिंह-- जो भी हों, । लेकिन जो भी कस्टमरी लाज हैं वे सारे कुमायूं में लागू हैं देहाती और शहरी दोनों इलाकों में वहां के देहाती इलाकों में और शहरी इलाकों में भी अगर जो० ओ० को कमिश्नर ने इनवैलिड कर दिया तो उस वजह से हमको यह लाने की जरूरत हुई। अगर शहर के इलाके में भी इनवैलिड हो गया तो वहां सिरतान बेदखल होते रहेंगे और वहां वह जिन्सी लगान देते हैं तो वह जिन्सी लगान ही देते रहेंगे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर उधर वही इरेलेवेन्ट बात होने लगेगी और समय बरबाद होगा। इस वजह से मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमान, मैं माननीय मंत्री जी को परेशान न करने की वजह से इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--- मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "होता है" और शब्द "सम्पूर्ण" के बीच में शब्द "टेहरी गढ़वाल के जिले तथा" रख दिये जायं।

यह संशोधन यहां पर लाने की आवश्यकता यों हुयी कि इसमें शब्द "सम्पूर्ण कुमायूं डिवीजन है"। अभी तक कुमायूं डिवीजन जैसा था उसमें गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल के जिले ही शामिल थे। विभाजीकरण के बाद अब यह विधेयक टेहरी गढ़वाल पर भी लागू हो जाय इसलिये 'टेहरी गढ़वाल' शब्द बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है और इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन, अच्छा तो यह होता कि मेरा निजी संशोधन एक है जो इसी सम्बन्ध का है उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेते तो उससे ज्यादा स्पष्ट हो जाता। जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर कुमायूं डिवीजन चार जिलों की अपील सुनता है और वह भी इसमें शामिल समझा जाता है उसी प्रकार से इसको यहां पर चार जिलों के नाम से रख दिया जाता। टेहरी गढ़वाल की अपील भी

वह सुनता है तो इसलिये बजाय इसके कि अलग से टेहरी गढ़वाल को रखा जाय वह सम्पूर्ण कुमायूं डिवीजन के लिये स्पष्ट है और उसके स्थान पर "अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के जिले" रख दिया जाय तो यह ज्यादा समुचित होगा।

श्री चरण सिंह--अगर कहीं पर दो लफ्ज के इस्तेमाल करने से काम चल जाय तो फिर पांच लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। कुमायूं डिवीजन में गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल के जिले शामिल हैं। उसके अन्दर टेहरी गढ़वाल शामिल नहीं है। टेक्निकली वह उसके अन्दर शामिल नहीं है। इसलिये कुमायूं डिवीजन आम तौर पर जो माना जाता है वह इन तीन जिलों तक ही सीमित है। इस वजह से हमको टेहरी-गढ़वाल को अलग से रखने की आवश्यकता पड़ी। अब अगर वहां पर कुमायूं डिवीजन के जिलों के नाम खोलने पड़ेंगे तो फिर तहसीलों के नाम भी खोलने पड़ेंगे। इस वजह से इसकी क्या जरूरत है। लिहाजा जो संशोधन मेरे मित्र भगवती प्रसाद जी का है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "होता है" और शब्द "सम्पूर्ण' के बीच में शब्द "टेहरी गढ़वाल के जिले तथा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४

कुमायूं में भौमिक अधिकार की सुरक्षा की व्यवस्था तथा कृषि भूमि से सम्बद्ध अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुमायूं में कृषि भूमि से संबद्ध भौमिक अधिकार की सुरक्षा तथा अन्य प्रकीर्ण उपबन्धों की व्यवस्था की जाय,

इसलिये निम्न लिखित अधिनियम बनाया जाता है

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के शीर्षक और उद्देश्य में 'कुमायूं' शब्द के बाद 'टेहरी गढ़वाल' शब्द जोड़ दिये जायं।

श्रीमन् अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि टेक्निकली कुमायूं में टेहरी गढ़वाल आता है लेकिन कानूनी तरीके से नहीं आता। इसलिये मैं कहता हूं कि जैसा कि अभी नीचे स्पष्ट कर दिया गया है उसी प्रकार से यहां पर भी स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके विस्तार के अन्दर उसका जिक्र आ गया है केवल नाम से कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार के और भी कानून हैं। जैसे बंगाल, आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट जो यू० पी० में लागू है। इसी प्रकार बंगाल रेग्युलेशन भी यू० पी० में लागू है।

इसलिये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असर गुणों से पड़ता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन् मेरा प्रस्ताव है कि कुमायूं शब्द डिलीट कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आपका नया प्रस्ताव है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आपकी इजाजत से उसे पेश करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपके पहले संशोधन को उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं उसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि शीर्षक तथा प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

नियम बनाने का अधिकार। ८--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि यह खंड ८ इस विधेयक का अंश हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चरण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इस विधेयक में जो संशोधन सरकार ने स्वीकार किये हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नये एक्सटेंशन्स में जितनी रेवेन्यू असेस की जायगी उसके हिसाब से काश्तकार को भी अधिकार दिया जायगा कि उसका भी रेंट असैस हो सके । इस संबंध में माननीय खाती जी ने कहा था कि रेवेन्यू असैस करने के मौके पर एक पूरा सैटिलमेंट करना होगा । तो इसलिये इस संशोधन के लिये मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुमायूं डिवीजन में रेकार्ड आपरेशन्स सैटिलमेंट के लिये चाहे जितना रुपया खर्चा हो उसके लिये आज्ञा जारी करें । सिरतानों को माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के जरिये लाइफ टैनेंसी दी है लेकिन इसके आगे कोई अधिकार नहीं दिया है । अगर कोई सिरतान मर जाता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है । इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी कुमायूं के संबंध में एक सार्वभौम विधेयक लाने में देर न करें । कुमायूं के सदस्यों को लेकर, कुमायूं डिवीजन के कानून जानने वाले अगर आप जैसे महानुभावों की एक कमेटी बनाई जाय तो ३ महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और अगले ३ महीने में एक विधेयक विधान सभा में आजावे क्योंकि जो डिपार्टमेंट कानून बनाता है उसे वहां का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम यह स्पष्ट कर दें कि कुमायूं का टेनेंसी कानून वह किस तरह से लाना चाहते हैं और क्या उनकी कोई कमेटी बनाने की इच्छा है या नहीं ।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत सीधा सादा था । केवल ३ इसके उद्देश्य हैं जिनको अब दोहराने की जरूरत नहीं है । उसमें किसी के मश्विरे की आवश्यकता नहीं है । हमारे सचिवालय में जो लोग काम करते हैं उनको कम से कम इतना ज्ञान तो है कि इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक छोटा सा विधेयक बना सकें । जिस रोज इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ एकाध मित्र ने बिलकुल बिना कोई शर्त लगाये यह बात कही

कि मैं उसके सिलसिले में कुछ नहीं जानता। मैंने शिष्टाचार की वजह से यह कह दिया कि हां, नहीं जानता क्योंकि जब एक आदमी यह कहे कि तुम इसकी बाबत कुछ नहीं जानते तो मैं यह कैसे दावा करूं कि नहीं मैं जानता हूं। इस बात का अगर कोई मतलब यह लगा ले कि सचमुच कुछ भी भी नहीं जानता तो उन्हें अखत्यार है। लेकिन मुझको यह बात कुछ बहुत अच्छी नहीं लगी कि जो सज्जन खड़े हुये उन्होंने अपने ज्ञान का विज्ञापन करने के लिये मुझ पर यह इनायत करने की जरूरत समझी। आप सब लोग तो ज्यादा जानते ही हैं, इससे मैं कब इंकार करता हूं लेकिन अपेक्षतया मेरी जहालत की तरफ इशारा करने की उन्हें क्या जरूरत थी वहां के रैन्ट टेन्योर में कोई बहुत बड़ी पेचीदगी की बात नहीं है यह कोडिफाइड ला नहीं है जैसा कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में है। जो मैदान के रहने वाले हैं वे तो भुगते हुये होते हैं कानून न पढ़े होने पर भी वे अपनी थोड़ी सी बातें तो समझ ही जाते हैं। कुमायूं टेन्योर सिस्टम की बाबत यह बात नहीं है। पढ़ने वालों को लाभ है, यह बात तो ठीक है। लेकिन वह कोई ऐसा अगाध समुद्र नहीं है या उसमें कोई ऐसी पेचीदगी की बात नहीं है जो न जानी जा सके। तो बराबर यह कहना कि जो जानने वाले हैं उन लोगों से पूछा जाय। पूछा तो जायगा ही। हमने तो यह तय कर लिया है कि जिस समय कुमायूं में जमींदारी उन्मूलन करने के लिये बड़ा विधेयक आयेगा तो जितने पहाड़ के लोग हैं जितने दोस्त कुमायूं से आये हैं, उन सब से मशविरा करने की कोशिश की जायगी। इस समय उसके लिये कोई वादा करना ठीक नहीं है कि कमेटी बनायी ही जायगी। जैसी जरूरत समझी जायगी वैसा किया जायगा और जैसा कि मैंने उस रोज भी अर्ज किया था कि उसकी पूरी तरह से स्टडी की जा चुकी है। बार एसोसिएशन से भी मशविरा ले लिया गया है। बार एसोसिएशन में कोई नातजुर्बेकार लोग तो रहते नहीं है। उसकी पूरी तफसील हमारे पास रिपोर्ट में मौजूद है लेकिन फिर भी जब विधेयक बनाने का दिन आयेगा तो गवर्नमेंट का विचार है कि पहाड़ों से जो सज्जन आये हैं उनसे भी मशविरा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक गत वर्ष गालिबन अप्रैल में विधान मंडल से पास हो चुका था। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद जरूरी था कि इस पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति हो। उसके लिए हमने उस विधेयक को मई में देहली भेज दिया लेकिन वहां से कुछ एतराज हुआ उस एतराज के सिलसिले में मैं बतला देना चाहता हूं। एक एतराज तो यह हुआ कि निष्क्रांत सम्पति के ऊपर यह कानून जिस तरह से बना है उस तरह से लागू न हो बल्कि जिस तरह से हिन्द सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहे उस संशोधन के साथ वह निष्क्रांत सम्पति के ऊपर लागू हो। दूसरा उनका कहना यह था कि जो हमने कहीं-कहीं १५ दिन और कहीं-कहीं ३० दिन का मौका लोगों को एतराज करने के लिए दिया है। या अपील करने के लिए दिया है, यह मियाद भी निष्क्रांत सम्पति का जहां तक सम्बन्ध है बढ़ा दी जाय और इसी तरह की एक दो बातें थीं। तो इस सरकार और हिन्द सरकार के बीच पत्र व्यवहार होता रहा और अन्त में उन्होंने म्याद वगैरह की बात छोड़ कर इस बात का आग्रह किया कि निष्क्रांत सम्पति के विषय में कस्टोडियन के फैसले पर आक्षेप न किया जाय और फिर वह मामला मध्यस्थ या किसी के सामने ओपेन न किया जाय हम भी यहां के लिए इस चीज को बहुत आवश्यक नहीं समझते थे क्योंकि हमारे सूबे में कल्टीवेटेड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† २१ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरण सिंह]

जमीन का रकबा ४ करोड़ ३८ लाख एकड़ के करीब है जिसमें परती जमीन,बागात व गन्ने की तैयारी के लिये जो जमीन छोड़ी जाती है वह सब शामिल है । जब कि हमारे सूबे में निष्क्रांत सम्पति कुल एक लाख १० एकड़ के करीब है यानी बहुत थोड़ी है । लेकिन चूंकि हिन्द सरकार इस बात को जरूरी समझती थी इस लिये हम इस पर राजी हो गये । उन्होंने इस शर्त के साथ मंजूरी दी और यह कानून बन गया और लागू हो चुका है और जिलों में जरूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं । तो जैसा कि हमने हिन्द सरकार से वादा किया था उसके अनुसार हमें यह विधेयक लाना पड़ा इस बीच में ज्यादा अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच गये कि इसमें कुछ और छोटे-मोटे संशोधन करना भी जरूरी है और जब इतना संशोधक विधेयक लाना ही था तो हमने उन संशोधनों को भी इसमें पेश कर दिया है । उनमें से काबिल जिक्र है । एक तो यह है कि जोत चकबन्दी अधिनियम ऐक्ट में भूमि प्रबन्धक कमेटी का जिक्र किया है और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के मातहत भी एक भूमि प्रबन्धक कमेटी बनी है । तो एक ही नाम दोनों का होने से भ्रम होता था । इस लिये हमने भूमि प्रबन्धक कमेटी का नाम बदलकर चकबन्दी कमेटी रख दिया है ।

दूसरा संशोधन यह है कि इस अधिनियम में अब तक तहसीलदार को सीधे अख्तियार था कि वह आर्बिट्रेशन ऐक्ट के मातहत कोई चीज किसी प्रांविशियल सर्विस या सिविल सर्विस के आदमी के पास सीधे भेज सके लेकिन कानूनी दृष्टि से इसमें नुक्स पाया गया और समझा गया कि तहसीलदार को यह अख्तियार नहीं होना चाहिये बल्कि वह सिविल कोर्ट को ही भेज सकता है । अब रखा गया है कि तहसीलदार सिविल जज के पास भेजे और सिविल जज मध्यस्थ के पास भेजे । सिविल जज को उसमें करना कुछ नहीं है बल्कि वह तहसीलदार के एतराज को आगे बढ़ा देगा फिर इंडियन आर्बिट्रेशन ऐक्ट में पुनर्वीक्षण का भी अधिकार है। अगर मान लिया जाय कहीं मध्यस्थ की निष्पक्षता में संदेह किया जाय तो पुनर्वीक्षण का अधिकार है । हमारा जो अब तक ऐक्ट था उसमें पुनर्वीक्षण का अधिकार नहीं था । इसमें उस कानूनी नुक्स को भी दूर किया गया है । इसी तरह की छोटी-मोटी बातें हैं जो वसूल से नहीं बल्कि तफसील से सम्बन्ध रखती हैं उनका भी इसमें संशोधन किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि यों तो बहस करने का अधिकार है हर आदमी को अपनी राय देना चाहिये, हम स्वागत करते हैं उनका और करना चाहिये क्योंकि कोई न कोई नई बात मालूम होती है और अगर कोई गलती होती है तो वह सही हो जाती है, लेकिन जैसा कुमायूं का छोटा सा बिल था उसमें ढाई दिन के करीब लग गये और मैं समझता हूं कि जरा ज्यादा लग गये । तो यह कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स का बिल है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो आज ही पास कर दें और अगर आज नहीं हो तो कल को बैठ कर पास कर दें और मेरी दरख्वास्त है कि जो जरूरी संशोधन हैं उन्हीं को पेश करने की कृपा करें और अगर उस पर भी वाद विवाद ज्यादा न हो तो मैं बहुत अहसानमंद हूंगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक पर आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय । मैं यह प्रस्ताव इसी लिये करना चाहता हूं कि माननीय सदन का अधिक समय न लगे । यदि इसी सदन में इस पर वाद-विवाद होता रहा तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी की शिकायत जो कुमायूं वाले विधेयक पर हुई है वैसी ही शिकायत इस पर हो सकती है लेकिन अगर यह विधेयक प्रवर समिति को चला जाय तो मैं समझता हूं कि उस पर लोग विचार कर लेगें और सैद्धान्तिक रूप से मतभेद न होने पर बहुत कम समय में यह पास हो जायगा ।

मैं इस विधेयक के कुछ अंशों पर निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले तो मैं राजस्व मंत्री जी से यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वह जो कुछ उद्देश्य में लिखा करें उसी के अनुसार अगर

विधेयक हो तो अच्छा हो। उद्देश्य को पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि उसे स्पष्ट कहने से कोताही हो रही है। उद्देश्य में लिखा यह गया है और उसी के अनुसार अपने भाषण में भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया कि यह विधेयक मुख्यतः इवाकुई प्रापर्टी जो उत्तर प्रदेश में है उनके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में कुछ मतभेद होने के कारण पुराने ऐक्ट में कुछ सुधार करने के लिये लाया गया है और इसका दूसरा अंश जो है वह केवल इतना बताता है :—

"इस अधिनियम के उपबन्धों पर और अधिक विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मध्यस्थ निर्णय जोतों के बंटवारे और संयोजन, अधिकारों के सौंपने और भूमि प्रबन्धक समिति के अपने कर्त्तव्यों को करने से इन्कार कर देने की दशा में चकबन्दी योजना से जनता के संपर्क के वैकल्पिक प्रबन्ध में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं।

इन त्रुटियों को दूर करने के लिये और निष्क्रांत सम्पत्ति के स्वत्व को रक्षित रखने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।"

लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इसका है उसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सिवाय इसके माननीय राजस्व मंत्री जी ने यहां पर अभी कुछ संक्षिप्त भाषण में बतलाया उसके अलावा इस सदन को और हमें यह भी नहीं मालूम कि सरकार से क्या केन्द्रीय सरकार ने कहा, कहां कठिनाई पड़ी, हमारी सरकार ने उसको हल करने का क्या उपाय सोचा, इन बातों का कहीं भी जिक्र नहीं है। हम अगर अपने विधान सभा की नियमावली का आश्रय लें तो उसके अनुसार हमें यह करना चाहिये था कि वह पत्र जो करेस्पांडेंस केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच हुआ है हमारी टेबिल पर पहले आना चाहिये था और उसके अनुसार फिर हम विचार करते और उसपर हम सोचते कि इस विधेयक के सम्बन्ध में या उस पुराने ऐक्ट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के क्या विचार थे। तो पहले तो माननीय राजस्व मन्त्री ने हमको इन बातों को जानने से महरूम कर दिया। हम तो उन बातों को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं मगर वह बतलाना नहीं चाहते। कुमायूं वालों के लिये तो बड़ी शिकायत हुई कि उन्होंने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री जी को जानकारी नहीं है लेकिन हम तो उनकी जानकारी की दुहाई देते हैं और उनकी जानकारी की ढोल पीटते हैं हर जगह और हम उनकी जानकारी से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन वह लाभ हमें नहीं उठाने देते हैं। जो उनको जानकारी केन्द्रीय सरकार के पत्र-व्यवहार की है उसे हम हासिल करने में मजबूर हैं। उन्होंने संक्षेप में अपना जो भाषण दिया उसमें भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि हम अपनी कोई राय कायम कर सकें।

दूसरी बात जो तीन सतरों में लिखी हुई है उसको बहुत संक्षेप में माननीय मन्त्री जी ने कहा उसका कितना असर पड़ने वाला है इस विधेयक पर और पुराना जो अधिनियम है उससे कितना डर यह चला जाता है, उस संबन्ध में मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की सेवा में कुछ अर्ज करना चहता हूं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पुराना अधिनियम जो पास हुआ उस पर उस वक्त माननीय मन्त्री जी कुछ दूसरे प्रकार से सोच रहे थे और उसी के अनुसार कानून पास हो गया। कानून पास हो जाने के बाद अभी उस पर काम भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी माननीय राजस्व मन्त्री जी को इस बात का अहसास हो गया कि इसमें फलां-फलां तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं और उनका हल ढूंढने के लिये वह इस विधेयक को लाये। मैं एक बात की तरफ उनका ध्यान दिलाऊं कि उन्होंने पुराने ऐक्ट में भूमि प्रबन्धक समिति को अधिकार दे रक्खा था कि उसकी सलाह के अनुसार चकबन्दी का काम किया जायगा। भूमि प्रबन्धक समिति उनकी और उन्हीं के विभाग की बनाई हुई होगी। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि उस भूमि प्रबन्धक समिति से उनका विश्वास हट गया और भूमि प्रबन्धक समिति के स्थान पर वह यह सोचने लगे कि हम कुछ अफसर तैनात करें जिनको सारे का सारा अधिकार रहे। भूमि प्रबन्धक

[श्री गेंदा सिंह]

समिति अगर फेल हो जाय तब तो फेल ही हो गई, यह तो और बात है लेकिन इस विधेयक में यह भी लिखा हुआ है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ दूंगा कि किसी और कारण से भी उस भूमि प्रबन्धक के स्थान पर कोई अधिकारी जो सरकार द्वारा बनाया गया होगा, वह उस काम को करने लगेगा जोकि पहले कानून के मातहत भूमि प्रबन्धक समिति को सौंपा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ के उपखंड ३ में लिखा हुआ है--जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा ज्ञातव्य बात (reasonable cause or excuse) के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अथवा अभ्यर्पित (assigned) कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इन्कार कर दिया है, अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है अथवा अन्य किसी हेतु ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुर्नसंगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों अथवा कर्त्तव्यों को करने अथवा सम्पादन के हेतु नियुक्त करेगी।

तो एक बात यह तो समझ में आती है कि फिर दूसरी समिति कोई बनायी जाय लेकिन और कोई कारण हमें नहीं दिखाई देता है कि समिति के स्थान पर एक कोई व्यक्ति उस सारे काम को संभालना शुरू कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, एक चकबन्दी का कानून इस कानून के बनने के पहले भी जारी था। वह सन् ३९ में पास हुआ था और सन् ४८ तक उस कानून के अनुसार कुछ जगहों पर चकबन्दी का कार्य हुआ। सन् ४८ में जब सरकार ने यह समझा कि इससे बड़ा असन्तोष फैल रहा है और जिन लोगों के लाभ के लिये हमने कानून बनाया है उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो सन् ४८ में सरकार ने उस चकबन्दी के कार्य को रोक दिया और फिर उपयुक्त समय और उपयुक्त रास्ता ढूंढ़ने के लिये सोचा जाने लगा। चकबन्दी के कार्य चलाने के लिये एक कमेटी बनी और जहां तक चकबन्दी के कार्य का और सिद्धान्त का प्रश्न है उस कमेटी ने स्वीकार किया कि चकबन्दी की आवश्यकता है। लेकिन इस बात की ढूंढ़ने की कोशिश की गयी कि पिछले मर्तबा जो चकबन्दी का कार्य हमारे प्रान्त में हो रहा था वह आखिर क्यों नाकामयाब हुआ और क्यों सन् ४८ में सरकार को उस काम को रोकना पड़ा। उस चकबन्दी समिति की रिपोर्ट आपके सामने है। बहुत सी बातों को कहते हुये चकबन्दी समिति की रिपोर्ट के दूसरे पन्ने के पांचवें पैरा में यह लिखा हुआ है कि कर्मचारी वर्ग ने स्थानीय लोगों की राय को महत्ता नहीं दी। तो यह बात स्वीकार कर ली गयी कि ऐसा स्थानीय लोगों की राय को महत्ता देने के कारण हुआ, उनकी सलाह के अनुसार कार्य न करने के कारण हुआ, अधिकारियों के कुछ मनमाने ढंग पर कार्य करने के कारण हुआ कि चकबन्दी का कार्य अलोकप्रिय हुआ और उसके अलोकप्रिय होने के बाद इस लोकप्रिय सरकार ने इस बात को समझा कि इससे जिन लोगों के खेतों को इकट्ठा करके हम उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनमें असन्तोष फैल रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा है, इस लिये इस कानून को रोक दिया जाय। हमने जो दूसरा कानून बनाया उस कानून में इस बात की गुंजायश रखी कि अधिक से अधिक जिन लोगों की जमीन को इकट्ठा करना चाहते हैं, चकबंदी करना चाहते हैं उनकी राय को लें और उन्हीं लोगों की राय से हम इस काम को करें। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को उसमें कुछ खामी मालूम हुई और अब आज वह इस बात को सोचने लगे हैं कि एक मर्तबा तो हम यह कोशिश कर लेंगे कि चकबन्दी समिति कहें या भूमि प्रबंधक समिति कहें या जो भी कहें, उसको बनावें, लेकिन अगर उनके मन में,

किसी अधिकारी के मन में ऐसी बात आ जाय कि समिति को हटा देना चाहिये तो उस समिति को हटा करके किसी एक अधिकारी के जिम्मे यह काम सुपुर्द कर दिया जायगा कि वह उस चकबन्दी के काम को करे। उपाध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का काम बहुत अच्छा हो सकता है, चकबन्दी का काम किसानों के हित में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिये क्यों न हम उन्हीं किसानों को जिनको कि जमीन है विश्वास में लें जब कि हम यह जान चुके हैं कि उनको विश्वास में न लेने के कारण ऐसा हुआ कि हमें उस योजना को छोड़ना पड़ा। माफ करेंगे माननीय राजस्व मंत्री जी, हमको कुछ शुबहा होता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी जिनको अपने हाथ से नियुक्त करते हैं उनके ऊपर उनको ज्यादा भरोसा है और जो उन्हें नियुक्त करते हैं उनके ऊपर से उनका कुछ भरोसा कम हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो जनता उनको नियुक्त करती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करें।

श्री चरण सिंह--आपकी इजाजत से मैं अपने माननीय मित्र की इत्तिला के लिये यह कहना चाहता हूं कि जो नतीजा उन्होंने लफ्ज 'अथारिटी' से निकाला है वह बेबुनियाद है। ऐसी हर्गिज-हर्गिज कोई मंशा नहीं है। इसलिये इस नतीजे को निकाल कर जो व्याख्यान दे रहे हैं, मैं उनके मतलब को समझ गया, मेरा मशविरा यह है कि इसको लम्बा न करें, मैं इसका जवाब दे दूंगा। नहीं तो बहुत लम्बा व्याख्यान हो सकता है कि अब मैं आटोक्रेटिक होता जा रहा हूं, बजाय डेमोक्रेटिक के। तो इसलिये इस चीज को छोड़ कर आगे बढ़ें।

श्री गेंदा सिंह--इस पर मैं दो एक बातें कह कर आगे बढ़ना चाहता हूं और जो मेरा अनुभव है उसको मैं उनसे बता देना चाहता हूं। मेरा तो दो तीन वर्ष का साथ उनसे रहेगा और इन दो तीन वर्ष में ५-६ महीने असेम्बली होगी। तो लम्बा भाषण देने का मौक़ा तो मिलेगा ही। कोई आज ही थोड़े ही मौका है कि अगर आज माननीय चरण सिंह जी छूट गये तो फिर मौका नहीं मिलने वाला है, या मिलेगा। हजार उपाय वह करें लेकिन साथ नहीं छूट पायेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि मुझे लम्बा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि लोभ का संवरण करें कि जो अधिकारी वे नियुक्त करते हैं वे उनके मन की सारी बात वे करते हैं। अगर यह बात सही है कि वे जो चाहते हैं वही उनके अधिकारी करते हैं तो आजमगढ़ में जो कुछ हुआ उनके लैंड रेफार्म्स सप्लीमेंटरी ऐक्ट पास करने के बाद उसमें अगर मैं उन पर यह दोष लगाऊं कि ६६ फीसदी किसानों की जमीन को माननीय राजस्व मंत्री निकलवाना चाहते थे तो उचित होगा। परन्तु मैं यह भी समझता हूं कि यह हमारी ज्यादती होगी। क्योंकि मन में यह सोचते जरूर हैं कि जमीन जो जोतने वाले हैं उन्हीं को मिल जाय लेकिन जो वह काम करते हैं उसका परिणाम यह होता है कि उसमें से ३२ फीसदी काम तो सही होता है और ६८ फीसदी काम ग़लत होता है। अब ६८ फीसदी काम अगर गलत हो गया तो हम कहें क्या। उसके बाद वह हमीं को डांटने लगते हैं कि तुम्हीं ग़लत कहते हो, तुम्हारी अक्ल गड़बड़ है, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। हमारी समझ में बात सीधी साधी आती है कि लैंड रेफ़ार्म्स सप्लीमेंटरी ऐक्ट पास करने के बाद आज जो काश्तकार जमीन जोत कर किसी तरह से अपना गुजारा करते थे उनको इस कानून के भरोसे खड़ा करके हम लोगों ने निकाल बाहर किया और उसके बाद माननीय राजस्व मंत्री जी से जिस वक्त यहां सवाल किया जाता है उस वक्त कह देते हैं कि ६६ और ६८ का केस ही सही नहीं था। झूठ बोला उन्होंने किसी ने भड़का कर दरख्वास्त दिलवा दी। वह मन में क्या सोचते हैं यह कौन जानता है, लेकिन जो जवाब वह यहां देते हैं वह यही है। इस प्रकार इस मामले में भी मुझे संदेह हो रहा है कि अगर गांव समिति को विश्वास में नहीं लिया गया तो

[श्री गेंदा सिंह]

इसका परिणाम यह होगा कि यह चकबन्दी की योजना असफल होगी। इस चकबन्दी की योजना में न सिर्फ जमीन को इकट्ठा करने का सवाल है बल्कि यह भी है कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिये जमीन निकालेंगे लोगों से। यह भी है कि हम गांव की आबादी के लिये प्रबन्ध करेंगे। फिर हम गांव वालों की सलाह न लें, हम एक अधिकारी के जिम्मे यह सारा काम सुपुर्द कर दें तो अच्छा नहीं है हम समझते हैं कि इस काम को सरकार को अपने ऊपर ले लेना उचित नहीं होगा। आज माननीय राजस्व मंत्री जी जहां पर वह यह सोचते हैं कि भूमि सुधार अनुपूरक विधेयक को पास करके किसानों का बहुत भला किया तो जरा पूछें कि कितने फीसदी लोग उनको धन्यवाद देते हैं। जिनकी जमीन निकल गई वे उनको बधाई नहीं दे रहे हैं, वे उन्हें गाली दे रहे हैं, हमें भी गाली दे रहे हैं कि तुमने भी वहां बैठ कर के ऐसा कानून बनवाया जिसकी बदौलत आज हजारों आदमी निकाल बाहर किये गये। हम कहते हैं उनका सूबा पंजाब नहीं है कुछ जिलों की पंजाब से तुलना कर सकते हैं, लेकिन यह सारा सूबा पंजाब नहीं है। सारे सूबे में बहुत छोटे-छोटे काश्तकार रहते हैं। और इन छोटे-छोटे काश्तकारों को अगर हमने उनकी सलाह से, उनके मत से उनको राजी करके काम नहीं किया तो हम बहुत ही अलोकप्रिय हो जायंगे। एक साल के भीतर मालूम नहीं तरह-तरह के उसके खिलाफ और माफिक में प्रचार हो रहे हैं हम समझते हैं कि इस प्रचार से माननीय राजस्व मंत्री जी घबरा गये हैं और ऐसा सोचने लगे हैं मालूम होता है कि भूमि प्रबंधक समिति और गांव वाले इसको शायद स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिये जैसे कि मालगुजारी के वसूल करने में वह ऊपर से एजेन्सी लादते हैं उसी तरह से सोचते हैं कि उनकी जमीन इकट्ठा करने के लिये एक एजेन्सी लाद दें....।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--भूमि प्रबन्धक समिति को छोड़िये। आप चकबन्दी को मानते हैं या नहीं।

श्री गेंदा सिंह--कुछ देर में आये हुए शुक्ल जी। मैं इसमें बहुत पहले ही कह चुका हूं। अगर मुझे इसके सिद्धान्त से विरोध होता तो मैं इसको प्रवर समिति में भिजवाने के लिये क्यों कहता। लेकिन सवाल यह है कि जिस ढंग से काम हो रहा है वह ठीक नहीं है। इससे हमारा उद्देश्य ही विफल न हो जाय।

इसलिये, मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय के यह जो सरकारी अधिकारी हैं, उनसे ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी उनसे कोई लड़ाई है, इसलिये हम उनको कहीं भी टिकने देना नहीं चाहते। लेकिन हम अपने अनुभव से बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन हमारी इकट्ठा करनी है और सारे देश की फिक्र हमारे राजस्व मंत्री जी को है। लेकिन उस फिक्र से हमें भी कुछ बांट दें। वह क्यों इतने दुबले हो रहे हैं, कुछ हमें भी दुबले होने दें। चकबंदी हमारी होगी और गालियां सुनें माननीय चरणसिंह जी, मैं उनको गालियां सुनने देना नहीं चाहता हूं। करने दीजिये भूमि प्रबन्ध समिति को। हालांकि मैं उसका कायल नहीं हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ है कि पंचायत राज बिल पर सेलेक्ट कमेटी बैठी हुई थी और एक रिपोर्ट भी मिली है उससे मालूम हुआ है कि मालगुजारी विभाग में और पंचायत राज विभाग में अच्छा संबंध नहीं है। पंचायत राज विभाग इस समिति को कोसता है कि यह बला कहां से आ गई। वह कहता है कि गांवों में हमारी पंचायत बनी है और यह ऊपर से लैंड मैनेजमेंट कमेटी कहां से टपक पड़ी। वह कहता है कि यह बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है।

एक तो यह झगड़ा दूसरे मैं यह सोचता हूं और मैंने अपना एक अमेंडमेंट भी दिया है, उस पर राजस्व मंत्री जी सोचेंगे कि इस काम के लिये अलग से एक

चकबन्दी समिति बनाई जाय। यह काम न तो भूमि प्रबन्धक समिति को सुपुर्द किया जाय और न अधिकारियों को ही दिया जाय। बल्कि जिन लोगों के लाभ के लिये करना है उनके जरिये कमेटी बनाई जाय और चाहे आप उसका नाम एडवायजरी कमेटी रख दें और उनके परामर्श से चकबन्दी करने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा किया गया तो सरकार बदनाम नहीं होगी। फिर इस ऐक्ट में जो पुराना है उसमें यह भी है कि जमीन की मेंड़ बनाने के लिये या चकबन्दी का खर्चा उनको देना पड़ेगा जिनकी जमीन में चक बनाया जायगा ऐसा हो सकता है कि उसके लिये हमें वसूली करना पड़ेगी। हर चीज की मालगुजारी की तरह वसूल करने में राजस्व मंत्री जी को न जाने क्या आनन्द आता है। मालगुजारी जो वसूल होती है उसमें ही लोगों की हालत बिगड़ रही है। जो अधिकारी हैं वह न जाने क्या-क्या ज्यादतियां करते हैं। जब हमारे फायदे के लिये कोई काम किया जाय तो क्यों न हमें मौका दिया जाय कि हम अपने फायदे को समझें और उसके लिये खुशी से अपने पास से पैसा दें।

इसलिये मैं सोचता हूं कि इस काम को अधिकारियों के गले में बांधना या अपने हाथ में ले लेना खराब बात होगी। इसलिये इस विधेयक को मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति को दिया जाय। हमें इसका अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर मौर्य जी का कोई अमेंडमेंट आ जाय तो वह उस पर विचार करने के लिये फौरन तैयार हो जायेंगे। लेकिन अगर हम कोई अमेंडमेंट लायें तो राजस्व मंत्री जी या हमारे अलावा उस तरफ के कुछ लोग ऐसे हैं, यही नहीं कि हमारे ही लोग हैं, उधर भी कुछ लोग हैं, उनकी तरफ से आ जांय तो वह उस पर दूसरे ढंग से गौर करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह कमेटी ऐसी होनी चाहिये और चकबन्दी कानून ऐसा बनाया जाय जिससे गांव के लोग अपनी जमीन इकट्ठा करने के लिये राजी हो जायं और अगर ऐसा न हुआ तो मैं सोचता हूं कि एक बड़ी तूफानी चीज खड़ी हो जायगी और मैं कह सकता हूं और पहले भी कहता था कि आप जो यह लैंड रिफार्म ऐक्ट पास कर रहे हैं उससे अधिकारियों के ऊपर न छोड़िये। दीवानी अदालत में मुकदमा लड़ने के लिये हमें न छोड़िये और हमें इतना लड़ना पड़ेगा कि जमीन वाले जमीन से भी ज्यादा कीमत खर्च कर दें और हमारी मेहनत इतनी खर्च हो जाय कि जमीन की कीमत से भी ज्यादा खर्च हो जाय। उस वक्त वह बात मानी नहीं और इतना लम्बा मामला हुआ कि आजमगढ़ वाले और बलिया वाले रो रहे हैं, देवरिया वाले कम रोते हैं। वह कम इसलिये रोते हैं कि हम पहले से इस बात को जानते थे कि माननीय राजस्वमंत्री जी जो कानून बना रहे हैं इससे काश्तकार का लाभ नहीं होने वाला है। हमसे लोगों ने पूछा कि दरख्वास्त दें, तो हमने कहा कि सोच-समझकर दरख्वास्त दो, इस दरख्वास्त से जमीन भी नहीं मिलने वाली है और झगड़ा होगा और जो जमीन तुम बाप-दादा के जमाने से जोतते चले आते हो, वह जमीन भी छिन जायगी और हम कोई हिफाजत नहीं कर पायेंगे। काग़ज में तुम्हारा नाम नहीं है। तुम जेलखाने जाओगे, जमानत भी नहीं मिलेगी, बन्द कर देंगे, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पायेंगे।

आजमगढ़ तो भोग रहा है, हमारे विश्राम राय जी बैठे हुए हैं, रोज झगड़ा करने में हमें आनन्द नहीं आता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह से कहना चाहता हूं कि यह ग़लती होने जा रही है। अगर इस विधेयक को इसी तरह से पास कर देंगे तो चकबन्दी का काम शुरू होगा। सरकारी अधिकारी जायेंगे चकबन्दी के लिये, राय कायम करने के लिये। गांव में कोई आदमी कहेगा कि हम तो नहीं मानते। अब सरकारी आदमी अगर महात्मा गांधी हों, तो हो सकता है कि उसकी इच्छा नहीं है, वह नहीं डिगेगा। लेकिन अगर उनसे नीचे दर्जे का आदमी हो तो फिर उसके लिए मैं समझता हूं कि वह डिग सकता है, और जिसके हाथ में इतनी पावर हो

[श्री गेंदासिंह]

कि वह सारी समिति को, सबको दूर कर, चकबन्दी का काम खुद करने लगेगा, तो फिर उस एजेंसी को तो नशा हो ही सकता है। और जब नशा हुआ तो मामला खराब हुआ और अब जब मामला खराब हुआ तो राजस्व मंत्री जितने दुबले आज हैं, वह और दुबले हो जायंगे।

श्री चरण सिंह--मेरा वेट आज कल बढ़ गया है।

श्री गेंदा सिंह--सब्र कीजिये, पेट और कम हो जायगा। इस समय पेट आपका जरूर ज्यादा बढ़ गया है, हम नहीं चाहते हैं कि वह और ज्यादा बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस दृष्टि से वह विचार करें। हम इतना ही चाहते हैं कि इस विधेयक की साल भर में एक प्रतिक्रिया मालूम हुई है। इस सारी प्रतिक्रिया का परिणाम यह होना चाहिये कि इसको और सुधारा जाय। यह कहने की मैं आपसे इजाजत जरूर चाहूंगा कि यह सरकार जो है वह धीरे-धीरे थोड़े से लोगों के हाथ में खिसकती जा रही है, घुसती चली जा रही है। मैंने तो शुरू में ही कहा, हम लोग जिनके नियुक्त किये हुए हैं जरा उनके ऊपर भरोसा करें, उनकी अक्ल पर भरोसा करें। जैसे अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तान को तो अक्ल ही नहीं है स्वराज्य चलाने की, वह तो बरबाद हो जायगा अगर हम चले गये। इसी तरह से मैं कहता हूं कि हम किसी तहसीलदार या डिप्टी के अक्ल पर ही चल सकते हैं यह ग़लत होगा। हमारा काम अपनी अक्ल पर चलता है। यह दूसरी बात है कि वह थोड़ी सी मदद कर दें, लेकिन सोलहों आना वह कहें कि तुम नालायक हो, हमारी अक्ल लेकर काम करो, तो यह अनुचित है। जिस तरह से अंग्रेज बिगाड़ गया, इसी तरह से जिस आदमी को अंग्रेजों के बराबर अनुचित ताकत होगी वही बिगाड़ देगा। इसी तरह से तहसीलदार, डिप्टी वग़ैरा जो आदमी हैं, हम मानते हैं कि उनमें भी ऐसे आदमी है जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जो कोई भी आवश्यकता से अधिक बहुत स्वतंत्र होता है वह खराब होता है। इस विधेयक में वही बात माननीय राजस्व मंत्री जी ने की है। मेहरबानी करके अगर प्रवर समिति में इसे भेजें तो माननीय मौर्य जी को भी रखें, क्योंकि उनके रखने से कम से कम उन्हीं के अमेंडमेंट आवेंगे और मामला ठीक हो जायगा। और अगर उनको नहीं रखा गया तो मैं यहां कह दूं कि एक भी अमेंडमेंट सिवाय श्री मौर्य जी के कबूल होने वाला नहीं है। अगर कबूल नहीं होने वाला है तो इससे मामला बिगड़ने वाला है, बनने वाला नहीं है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माकूल बनिये।

श्री गेंदा सिंह--अब हम कैसे समझें कि नामाकूल लोग भी इस विधान सभा में आये हुए हैं। हम तो समझते हैं कि सभी माकूल हैं, उपाध्यक्ष महोदय, नामाकूल कोई नहीं है। इसलिये हमको भी माकूल समझिये जिससे हम भी आपको माकूल समझें। हम यहां भले ही न कहें, लेकिन अगर नामाकूल हमको समझेंगे तो हम भी आपको समझे बिना छोड़ेंगे नहीं। इसलिये कृपा करके प्रवर समिति को भेजवाने के लिये आप भी सलाह दीजिये। माननीय राजस्व मंत्री जी मान जायं तो मामला सुलझ जाय।

†**श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हूं। श्रीमन्, यह विधेयक जो

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सम्मानित सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उसको देखते हुए हमको यह विवश होकर करना पड़ता है कि यदि माननीय मंत्री महोदय ने इस पर थोड़ी सी एहतियात बरती होती तो शायद इस विधेयक की आवश्यकता न होती। यह यू० पी० कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९५३ अभी ४ मार्च को प्रेसीडेंट महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर पाया है और आज डेढ़ ही महीने के अन्दर हमारे सामने यह विधेयक है। उसमें कोई ऐसी त्रुटियां नहीं हैं जिनको कि उस समय माननीय मंत्री महोदय नहीं देख सकते थे या नहीं समझ सकते थे। माननीय मंत्री महोदय की काबलियत का जहां तक प्रश्न है उसमें लोगों को इनकार हो ही नहीं सकता। अब यह कि कभी वह क्रोध के आवेश में या कभी हठवश किसी चीज को न मानें तो वह एक दूसरी परिस्थिति हुआ करती है।

अब श्रीमन्, जहां तक इवैकुई प्रापर्टी का प्रश्न उठता है, यह १९५० में सेंटर ने एक ऐक्ट बनाया था—सेपरेशन आफ इवैकुई इन्टरेस्ट और ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई ऐक्ट भी १९५० में इस प्रदेश के विधान मंडल द्वारा बनाया गया। इन सब चीजों को देखते हुए और इवैकुई प्रापर्टी भारत के लिए एक सिरदर्द है जिसको कि हमारे माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से समझ सकते थे, तो उन सब चीजों के संशोधन हेतु जो यह विधेयक आज आया है, यदि थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो इस समय एक यह त्रुटि, त्रुटि के रूप में सामने न आती। श्रीमन् बहुत साधारण बातें हैं जैसे कि यह कहा जाता है कि अधिकारों का सौंपना यानी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन और असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन को डाइयरेक्टर के अधिकार प्रदत्त किये जा सकते हैं, यह तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री आज तक मालूम नहीं कितने अधिनियम बना चुके हैं और उनका अनुभव उनको था? आर्बिट्रेशन कंसालिडेशन, आर्बिटेशन या पार्टीशन या अमलगमेशन आफ होल्डिंग्स के बारे में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः मैं समय अधिक न लेकर माननीय मंत्री जी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता हूं जो कि माननीय गेंदा सिंह जी के प्रति थी कि आप संशोधन पर यह इर्रेलीवेंट, असंगत बात न कहिये। केवल यही अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सी बातों पर अगर प्रवर समिति के सामने यह जाता है तो सम्भव है कि भविष्य में उनको कोई ऐसा कष्ट फिर न सहना पड़े जिसकी वजह से कि आज यह विधेयक उनको लाना पड़ा है और इन त्रुटियों को दूर करना पड़ा है। रहा यह कि जहां तक नियुक्ति का सवाल है माननीय गेंदा सिंह जी ने इस पर विशेष ध्यान दिलाया है। मैं तो समझता हूं कि नियुक्ति और निर्वाचन में थोड़ा सा फर्क है जिसको कि समझने की उन्होंने कोशिश नहीं की। श्रीमन्, अब भूमि प्रबन्धक समितियों के बारे में यह कहना कि वह अपने कार्यभार को अच्छी तरह से सम्हाल नहीं सकेंगी, या उन पर किसी तरह का अविश्वास करना यह अधिक लाभकर या श्रेयस्कर न होगा। मैंने माना अगर भूमि प्रबन्धक समिति अपने कार्य को अच्छी तरह से सम्पादित नहीं कर सकती तो दूसरी कमेटी बनायी जा सकती है और उस पर मुझे कोई आपत्ति न होगी। लेकिन जिस तरह से यह क्लाज रखा गया है उसकी तरफ आपकी आज्ञा से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरा न पढ़कर एक थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालूंगा।

"Or appoint some other authority to perform the functions or discharge duties of the Land Management Committee under this Act and thereupon all references to the Land Management Committee under this Act shall be deemed to include references to the Land Management Committee so reconstituted or the authority so appointed as the case may be."

इसमें यह भी किया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। उनके सम्बन्ध में यह भली-भांति कहा जा सकता है कि उनको

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

गांवों का पूरा ज्ञान नहीं होता है और जिन गांवों में आप इतनी उन्नति करने जा रहे हैं यदि वहां उसको अरुचिकर हो तो उस पर जोर देना भी उचित प्रतीत नहीं होगा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पंजाब में यह असफल रही। कानपुर में भी इसमें कोई खास बात नहीं निकली। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना कि हर जगह यह असफल रहेगी नामुनासिब है। बलरामपुर रियासत में ही जहां तक किसानों का इसमें सम्बन्ध था वह संतुष्ट थे। उसमें कोई विशेष बात नहीं थी न उनके खातों में कमी का प्रश्न था। परन्तु इसमें तो यह भय है कि उन्नतिशील खातों को बना कर लगान इतना देना पड़ेगा और साथ ही उनसे जो इस स्कीम का खर्चा लिया जायगा किसान उस बोझ से ही दब कर पिस सकता है। मैं इस विधेयक के उद्देश्यों के सम्बन्ध में कुछ अधिक न कह कर आपके जरिये से माननीय मंत्री जी को चेतावनी अवश्य देना चाहता हूं कि यह ऐसा सब्ज बाग है कि जिसके द्वारा आप जनता का कल्याण करने गये हैं कहीं उनके हाथों जनता का अकल्याण न हो जाय। मोटे दुबले होने की बात तो माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय मंत्री जी ही समझ सकते हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि उनके लिए यह मुनासिब न होगा। जिस जनता के लिए आज बहुत कुछ करने का वादा किया गया है इस ख्याल से कि आगे कदम उठा कर उनके लिए कुछ चीजें ऐसी लाते जिससे उनका कल्याण हो, तो कहीं ऐसा न हो कि इससे उनका अकल्याण हो जाय।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह जी ने रखा है कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय मैं उसका विरोध करता हूं। इस संशोधन में जो विधेयक हमारे सामने पेश है इसमें मुख्य बात एक ही रखी गयी है कि इवैकुई प्रापर्टी को शामिल किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है उनका पहला बिल चकबन्दी का था उस पर ऊपर से जो अनुमति मिली है वह इसी शर्त पर मिली है कि इस सम्बन्ध में उनको एक कानून बनाना पड़ेगा। यह बिल्कुल लाजिमी है कि इस सम्बन्ध में वह एक कानून लाएं। इसमें इवैकुई प्रापर्टी भी इसमें शामिल कर ली गयी है। अगर ऐसा कोई खाता है जो बीच में आता है तो बिल्कुल जरूरी है कि वह भी चकबन्दी में आ जाय। असली चीज तो इसमें यही थी कि इवैकुई प्रापर्टी इसमें शामिल की जाय।

उसके साथ-साथ कुछ थोड़े से सुधार भी किये गये हैं। उसके सम्बन्ध म विरोधी पक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। एक बात जो कही गयी है वह मध्यस्थ के सम्बन्ध में है। पहले मध्यस्थ को चुनने का अधिकार चकबन्दी अधिकारी को था। अब वह अधिकार उनसे ले लिया गया है। वह तो सीधा जज के पास भेज देंगे और जज मध्यस्थ के सुपुर्द करेगा। इसमें कोई दो राएं नहीं हो सकतीं कि एक मध्यस्थ को अगर सिविल जज मुकर्रर करता है तो वह पहले से कहीं बेहतर है। पहले चकबन्दी अधिकारी सुपुर्द कर सकता था। अब उसको सिविल जज सुपुर्द करेगा। चकबन्दी अधिकारी का तो यही कार्य रहेगा कि वह जज के पास भेज दे और जज किसी मध्यस्थ को सुपुर्द कर दे। इस तरह से इसमें एक सुधार किया गया है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि मुकदमेबाजी रहेगी। मुकदमेबाजी को बचाने के लिए ही तो मध्यस्थ रखा गया है, ताकि आगे मुकदमे बाजी न हो। मुकदमा वह तय करे, उसकी अपील न हो। अपील आदि की तमाम दिक्कतों को रोकने के लिये यह मध्यस्थ की बात रखी गयी है। जिस मुकदमेबाजी का उन्होंने हवाला दिया है उसी को रोकने के लिये यह मध्यस्थ रखा गया है।

इसमें और भी सुधार किये गये हैं। इस विधेयक में एक बात और भी की गयी है जो पहले नहीं की गयी थी। कुछ खातों को नहीं मिलाया जा सकता था, अब यह भी रखा गया है कि अगर कुछ खाते मिलाना चाहते हैं तो वह मिलाये जा सकते हैं। यदि किसी एक खाता में ५ आदमी शरीक हैं और एक दो खाते ऐसे हैं तो उनमें एक तरीके से विभाजन हो सकता है। तो यह बात इसमें है कि विशेष रूप से विभाजन करके उसको चकबन्दी में मिला लिया जाय। इस तरह से अगर कुछ व्यक्ति जो आपस में अच्छा सम्बन्ध रखते हैं और वे अपने खातों को मिला कर एक साथ करना चाहते हैं तो वे मिला सकते हैं। यह उसमें अब एक विशेषता रखी गयी है। तो मैं यह समझता हूं कि इसमें जितनी भी बात रखी गयी है वह बड़ी लाभ की बातें रखी गयी हैं।

जहां तक भूमि प्रबन्धक समिति का सम्बन्ध है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें तो केवल नाम का परिवर्तन है। वह पहले भूमि प्रबन्धक समिति थी। अब वह चकबन्दी प्रबन्धक समिति कहलायेगी। उसमें सिर्फ बन्दोबस्त अधिकारी को केवल यह अधिकार दिया गया है कि चार आदमियों को नामजद कर सकता है। नामांकित कर सकता है। तो मुख्यतः पहले जो पांच आदमियों की प्रबन्धक समिति थी उसमें चार बढ़ाये जा सकते हैं वह कमेटी बहुमत से गांव की प्रबन्धक समिति ही रहेगी और भूमि का प्रबन्ध करेगी। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें भी सिर्फ नाम का परिवर्तन किया गया है। पहले तो वह भूमि प्रबन्धक समिति कहलाती थी। अब वह चकबन्दी प्रबन्धक समिति कहलायेगी। इसलिये इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं यह समझता हूं कि जो परिवर्तन किया गया है वह बहुत थोड़ा है और साफ दिखाई देता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो विवाद की हो। इस वजह से इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना बेकार है और समय का खोना है। जो यह गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव आया है वह विलम्बकारी है और मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक को यहां पर लाने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने संभवतः इस गलतफहमी के कारण से या कानूनी शब्दों को न जानने की वजह से यह सारी आपत्तियां उठायी हैं। जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न है यह विलम्ब की नीति का आश्रय ग्रहण करना है। यह १६ खंडों का विधेयक जो बिलकुल छोटा सा है प्रवर समिति में भेजे जाने के योग्य नहीं है और न इसके अन्दर ऐसी कोई वस्तु है जिससे प्रवर समिति में जाने पर इसके ऊपर कोई गहरा विचार उत्पन्न हो सकता हो। माननीय गेंदा सिंह जी को इसकी धारा २ में भ्रम उत्पन्न हुआ है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कहीं साल भर वहां की भूमि प्रबन्धक समिति किसी कारण से भी हो जैसा कि आज का वातावरण देहात का है, वहां पर ठीक तरीके से पर्याप्त रूप से काम नहीं करे तो वहां पर एक राज्य की व्यवस्था के द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति का निर्माण करके व्यवस्था की जा सकती है जो धारा ४३ के अनुसार होगी। वहां पर एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया जायगा जो सारा कार्य भूमि प्रबन्धक समिति के अनुसार करेगा। अब संभवतः माननीय गेंदा सिंह जी को ऐसा मालूम होता है कि ऐसा नियम बनेगा जिसका चित्र उनके सामने नहीं आयेगा। इस कानून और नियम को बनाकर जो धुन्धला चित्र रहेगा वही उनको स्पष्ट होता है। जिस समय जो नियम बनेगा और जो विशेष अधिकार प्राप्त भूमि प्रबन्धक समिति किसी के परामर्श से काम करेगी वह इस नियम में आयेगा और वह अधिकारी वहां गांव वालों की राय से और उनसे परामर्श करके कार्य करेगा और उसका स्पष्टीकरण भी उस जगह पर होगा। लेकिन वह तो एक आपत्तिकारक बात है। ४३ (क) को आपकी

[श्री रामलखन मिश्र]

आज्ञा से विशेष रूप से पढ़ देता हूं। उसके शब्द बड़े सीधे सादे हैं "जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा गंतव्य बात (reasonable cause or excuse) के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अथवा अभ्यर्पित (assigned) कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने इन्हें करने से इंकार कर दिया है अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे समिति उक्त कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गई है अथवा अन्य किसी हेतु ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुर्नसंगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों अथवा कर्त्तव्यों को करने अथवा सम्पादन के हेतु नियुक्त करेगी और तत्पश्चात इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रति सभी अभिदेशों (references) के अन्तर्गत इस प्रकार पुर्नसंगठित भूमि प्रबन्धक समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति जैसी भी दशा हो, अभिदेश होंगे"

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अन्दर किसी प्रकार का कोई संदेह रह ही नहीं जाता। और प्रत्येक विधान में ऐसी बात होनी चाहिये। यह इसके अन्दर बड़ी कमी था। जब भूमि प्रबन्धक समिति काम न करे, मैं यह नहीं कहता क्यों न करे, लेकिन अगर किसी जगह पर न करे तो ऐसा कोई चकबन्दी का आदर्श नहीं था कि राज्य सरकार उस कार्य को सम्पादित करके अग्रसर हो सकती। इसी कारण से २ (क) में इसका अर्थ निर्देश किया गया है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे माननीय गेंदा सिंह जी को इसकी शब्दावली में कुछ भ्रम हो गया है और इसी कारण वह प्रवर समिति का नाम ले बैठे हैं। दूसरा हेतु जो प्रवर समिति में भेजने के लिये बतलाया गया है वह तो बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होता है। कहा गया कि चकबन्दी संचालक के अधिकार उपसंचालक को दे दिये गये हैं। किसी भी देश में जो विधान बनता है तो संचालक के अधिकार उप संचालक को भी दिये जाते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी। इन दो कारणों से इसे प्रवर समिति में भेजा जाय यह कुछ उचित प्रतीत नहीं होता।

माननीय गेंदा सिंह जी ने काश्तकारों की बेदखली के बारे में और अनेक अन्य प्रकार की बातें जो कही हैं उनका कोई विशेष आधार दिखलायी नहीं देता। इस चकबन्दी में काश्तकारों की बेदखली से क्या संबंध हो सकता है यदि मैं ठीक से स्मरण करता हूं तो जिस वक्त चकबन्दी समिति बनी थी तो माननीय गेंदा सिंह जी उस वक्त चकबन्दी के बड़े हामी थे और वह उसके लिये सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। लेकिन आज के भाषण से मालूम होता है कि चकबन्दी का विधान इस प्रदेश में बना कर मानों किसान और मजदूरों के हित में सरकार कोई बहुत हानिकारक बात करने जा रही है। जिस रूप से विरोधी दल ने इसका विरोध करते हुए और इसकी उत्पत्ति के परिणाम को बताते हुये इसे प्रवर समिति को भेजना आवश्यक बतलाया है वे सब दुष्परिणाम इसके अन्दर दिखलाई नहीं देते। इसमें ऐसी कोई बात नहीं रखी गई। यह १६ शीर्षकों का छोटा सा संशोधन विधेयक है जिसके अन्दर बहुत सी किसानों और मजदूरों से संबंधित आवश्यक बातें हैं। इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हमारी सरकार ने जमींदारी का कानून बना कर किसानों का बड़ा ही उद्धार किया और संभवतः यह दूसरा ऐसा कानून है। इसके अन्दर जितना विलम्ब होगा उतना ही किसानों के लिये हानिकारक होगा। केवल इतना ही तो कह देने से कि प्रवर समिति में भेजा जाय, कोई विधेयक प्रवर समिति में भेजे जाने योग्य नहीं हो जाता। इसके अन्दर जो अच्छाई है कि मुश्तरका खाते का किसान भी यदि उस चकबन्दी

के अन्दर प्रार्थनापत्र दे देगा तो उनका चकबन्दी अफसर उनके खातों को भी पृथक कर देगा। इतना ही नहीं, यदि दो खातेदार सम्मिलित हो जावें तो उनका एक सुन्दर सा चक बन जावेगा। जहां तक मानव बुद्धि जाती है, जहां तक कोई किसानों के लाभ के लिये सोच सकता था, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उसका इस विधेयक में सारा समावेश किया गया है। अब अगर कोई अपना कर्त्तव्य समझ कर किसी भी विधेयक के लिये भी यह कहे कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। कोई रीजन में अविश्वास करने वाला व्यक्ति इसे नहीं मान सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजे जाने के मूव का विरोध करता हूं और एक बार पुनः राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री चरण सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करना अनावश्यक समझता हूं क्योंकि इसमें कोई . . .।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि मंत्री जी के इस भाषण के बाद और माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा या नहीं क्योंकि और लोग खड़े थे और जब तक क्लोजर मूव न हो जाय और पास न हो जाय तब तक माननीय मंत्री जी नहीं बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्लोजर तो हुआ है नहीं, तो माननीय मंत्री जी बाद में ही बोलें।

श्री चरण सिंह—मैं यह समझ रहा था कि अपनी पोजीशन साफ कर दूं तो तकरीरें ज्यादा होने से बच जावें।

श्री अध्यक्ष—नहीं।

†**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो संशोधन उपस्थित है उसके लिये माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं। लेकिन अगर उसे शुरू से आखिर तक देखा जाय तो एक बार तो राष्ट्रपति के यहां से वापस आया है फिर दोबारा वापस आवेगा। माननीय मौर्य जी हंस रहे हैं। मैं उनसे और माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसी विधान सभा ने एक विधेयक पास किया है आचार्य बिनोबा भावे की प्रापर्टी के मुताल्लिक। जहां तक इस संशोधन का सवाल है, माननीय राजस्व मंत्री ने कहीं भी कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं दिखलाया है जिससे हमको यह मालूम हो सके कि उसके मुताल्लिक जो शुल्क होगा उसे कौन लगावेगा और किस तरह से कार्यवाही होगी और किस तरह से इस ऐक्ट के अन्दर ला सकेंगे क्योंकि इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट की तरह से वह भी ऐक्ट है। यह हमारे लिये बहुत खतरनाक चीज है। अक्सर यह होता है कि किसी भी मुस्लिम फेमिली के अन्दर जब बाप या लड़का या लड़की चली जाती है तो उस खान्दान के अन्दर जितने लोग हैं सब शेयरर होते हैं। एक आदमी के जाने के बाद उसका शेअर बंट जाता है। अभी जो एक अमेंडमेंट इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट में लाया गया उसमें यह दिखाया गया कि जो लोग यहां रह गये हैं उनकी प्रापर्टी उस आदमी से सेपरेट कर दी जायगी जो पाकिस्तान चला गया है। पहले हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां थीं और उस सेपरेशन के बाद अब भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। श्री बिनोबाभावे को जो जमीन दी गयी है वह भी एक समस्या है जो हमें सुलझानी चाहिये, इस प्रकार की चीजें तब तक नहीं हो सकतीं जब तक प्रवर समिति में इसको न भेजा जायगा क्योंकि जो अमेंडमेंट अब लाये गये हैं वे भी इस बात को नहीं बताते कि विनोबा जी को जो जमीन दी गयी है उसको किस रूप में रखा जायगा। इस पर भी हमें विचार करना है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह]

जहां तक जमींदारी अबालीशन ऐक्ट का ताल्लुक है, उस ऐक्ट के अन्दर हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि हम छोटे-छोटे टुकड़ों को एक कर सकते। इस चकबन्दी विधेयक ने कुछ ऐसा उपाय ला दिया है जिससे एक खानदान के लोगों का एक ही स्थान पर कंसालिडेशन हो सकता है। लेकिन आचार्य विनोबा जी की जो जमीन है उसके बारे में हमारी कठिनाइयां हैं। यह इस विधेयक में नहीं बताया कि आचार्य विनोबा जी की जमीन के बारे में किसी को कोई दिक्कत होगी या उसको कोई हड़प जायगा, या उसकी चकबन्दी गलत हो जायगी तो उसके संबंध में कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो शरह मुकर्रर की गयी है वह भी ज्यादा है क्योंकि जो काश्तकारान हैं वे गरीब हैं। इसलिये इसको अगर प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो यह गलतियां सुधर जायगी और कि जैसा गेंदा सिंह जी ने बताया कि उस सूरत में चकबन्दी अच्छी प्रकार से की जा सकती है, गेंदा सिंह जी के प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी के प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। मुझे उनके भाषण सुनने के बाद बहुत पुराने जीवन की एक कहानी याद आ गयी। हम जेल में बैठकर पानी से भरी हुई दाल को देखकर कहा करते थे कि अगर इसमें डुबकी लगाएं तो शायद ही कहीं एक आध दाल का दाना निकल आये। उनके भाषण को भी सुनकर मुझे वही आभास मिला और उसमें प्रारम्भ से अन्त तक एक भी तत्व की बात नजर नहीं आयी और वे इधर उधर का बाग जंगल बनाते रहे। गेंदा सिंह जी चकबन्दी की बात को खूब समझते हैं और चकबन्दी के लाभों को भी खूब भली-भांति जानते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल विरोध करने के लिये ही उसका विरोध किया। वास्तव में दिल से वे यह जानते हैं कि यह चकबन्दी का कानून कितना लाभदायक है, और लागू होने से कितना लाभदायक सिद्ध होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "विरोध किया है" की भाषा ठीक नहीं है क्योंकि प्रवर समिति में भेजा जाय इस प्रकार का प्रस्ताव यह मान कर लाया जाता है कि वक्ता उसके सिद्धांतों को मानता है। आपने दो तीन बार "विरोध किया" कहा इसलिये मैंने आपको सचेत किया।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—मेरा तो कहना यह है कि जो यह मौजूदा संशोधन बिल आया है यह वास्तव में पहले चकबन्दी कानून में चार चांद लगा देने वाला है। इसके द्वारा जैसा कि कि राम लखन मिश्र जी ने बताया जमींदारी अबालीशन बिल के छोटे-छोटे खातों को बटवारे से रोक दिया गया है। और इससे एक बड़ी कठिनाई लोगों के सामने आ गयी थी कि एक परिवार में थोड़ी ही जमीन हो वे लोग अलग-अलग हों तो किस तरह से खेती कर सकेंगे। यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें इस जटिल समस्या का बहुत कुछ समाधान हो गया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या और थी कि एक परिवार का कोई बच्चा या स्त्री या दूसरे लोग जिनके नाम खाते थे चकबन्दी होने पर उन सब के नाम अलग-अलग होते। लेकिन इसमें उस समस्या का भी हल मौजूद है कि यदि वे सभी लोग चाहे सब के विचार एक से हों तो उन सब का चक एक ही हो जायगा। तो मैं समझता हूं कि जो इस समय एक बड़ी कठिनाई प्रस्तुत थी वह इस संशोधन के द्वारा दूर हो गई है। साथ ही साथ और भी कई अच्छाइयां इसके अन्दर आ गयी हैं।

जहां तक भूमिदान के सम्बन्ध में माननीय कमला सिंह जी ने आपत्ति की, मैं भी कुछ देर पहले ऐसा सोचता था कि यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो इस सिलसिले में आवेगी। लेकिन अब

सोचने के बाद मुझे ऐसा आभास होता है कि उनका विरोध था वह केवल इस लिये है कि जो भूमिदान के सम्बन्ध में जमीन प्राप्त की गयी है, चूंकि वह प्रश्न भूमिदान के सम्बन्धित है तो जब उसकी चकबन्दी की जायगी तो उसका खर्चा किसते वसूल किया जायगा। यह एक ऐसी भावना थी जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि यह एक एनोमलस परिस्थिति पैदा हो जाती है। जहां तक इस खर्च को वसूल करने की बात है वह तो नियम से सम्बन्धित है। सरकार चकबन्दी के अन्तर्गत ऐसे नियम बनावेगी जिससे जो चकबन्दी का वास्तविक खर्चा है वह वसूल किया जायगा। मैं समझता हूं कि यह परिस्थिति सरकार के सामने निश्चय ही आवेगी और जब नियम बनेंगे तो वह इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई ऐसी परिस्थिति न आने पावे जिससे कि उस उज्ज्वल कार्य में जो आचार्य विनोबा जी कर रहे हैं कोई बाधा हो या उसके काम में कोई रुकावट आवे। तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जावे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहस समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं और प्रश्न उपस्थित किया जावे यह प्रस्ताव श्रीमन् के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध इसलिये करता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और अभी इस पर बहुत थोड़े समय तक ही भाषण हुए हैं। मैं समझता हूं कि अभी इसको रोक रखा जावे और दो चार और स्पीचें हो जावें तब इसको उपस्थित किया जाय।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो आज जो चकबन्दी विधेयक सदन के सामने उपस्थित है मैं उसके सिद्धान्त का हृदय से समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार जिस मंशा से यह विधेयक लायी है और जैसी चकबन्दी करने का सरकार का मंशा है वैसी चकबन्दी मैं नहीं चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि आज जो पिछड़ा हुआ समाज है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके साथ पहले जमीनों का बटवारा कर लेने के बाद चकबन्दी करायी जाय तो वह सबसे सुन्दर चकबन्दी होगी। इसलिये कि आज के पहले जो लोग जमीन जोतने वाले थे, जिन लोगों ने जमीनों को खेती योग्य बनाया था। जंगलों को काट-काट कर जमीन को जोतने योग्य बनाया, उनके पास आज जमीन नहीं है। आज वह जमीन बड़े-बड़े जमींदारों के पास चली गयी है। जिन लोगों के पास जमीन थी, जमींदारी एबालिशन के पहले लगान के बकाया में जमींदारों ने उनको उससे बेदखल कर दिया और उन जमीनों को अपने पास ले लिया और जो बड़े-बड़े लोग थे उन लोगों ने कर्जा दे-दे कर तमाम जमीन अपने पास खींच ली है और गलत नाम लिखा-लिखा कर डंडे के बल पर कब्जा कर रखा है और तमाम जमीनें उनके पास इकट्ठा हो गई हैं। यह चकबन्दी जो होने जा रही है यह तो उन्हीं के लाभ के लिए होगी जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं और जो बड़े-बड़े खातेदार हैं।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरी वैधानिक आपत्ति है कि कंनसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट जो बना है उसके संशोधन के लिये यह बिल आया है। उसमें कंसालिडेशन का जो तरीका है उसके अनुसार जिसकी जितनी होल्डिंग है वह उसके पास रहेगी। केवल रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ प्लाट्स होगा। इसलिये जो वह कह रहे हैं उसका चकबन्दी ऐक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। चकबन्दी का मतलब है होलडिंग्स को कम्पैक्ट करना न कि उसको छीन लेना मैं समझता हूं कि जो स्पीच हो रही है वह बिलकुल असंबद्ध है।

श्री रामसुभग वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बतलाऊंगा कि जिन के पास जमीनें हैं उनको हटाया जायगा, उनको कोई लाभ न होगा और वह बेकार हो जायंगे जो शिकमी या बटाई पर जोत कर अपना गुजर कर रहे हैं वह बेचारे निकाले जायंगे और चकबन्दी

[श्री रामसुभग वर्मा]

के बाद उनकी जमीन उन्हीं बड़े-बड़े लोगों पर चल जायगी। इस तरह से गरीब खेतिहर लोग लाखों की तादाद में बेकार हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष--क्या आप बिल का विरोध कर रहे हैं ?

श्री रामसुभग वर्मा--मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसके सिद्धन्त से तो एग्री करता हूं लेकिन जिस हिसाब से चकबन्दी सरकार बनाने जा रही है उसका विरोध करता हूं। मैं मंत्री जी के सामने बतला रहा था कि किस तरह से जमीनें जो छोटे-छोटे गरीब किसानों के पास हैं वह उनसे निकल कर बड़े-बड़े लोगों के पास चली जायगी और इस हिसाब से चकबन्दी की गई तो तमाम जमीनें उन बड़े लोगों के पास ही इकट्ठा हो जायंगी। मैं जानना चाहता हूं जिनके पास शिकमी पर या बटाई वगैरह पर जमीने हैं उनके चक आप कैसे बनावेंगे ? अगर आप उनको जमीन नहीं देते तो वह हजारों और लाखों की संख्या में बेकार हो जायंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता था और जिसका जिक्र अभी श्री कमला सिंह जी ने किया कि विनोबा भावे जी की जो दान की जमीन है उसका इस बिल में कहीं जिक्र नहीं है, कि यह ऐक्ट उस जमीन पर किस तरह से लागू होगा। किस तरह से उनके चक बनेंगे। जो जमीनें गांव समाज में चली जाती हैं या जो लावारिश खाते हो जाते हैं वह जमीने चकबन्दी में किस तरह से आवेंगी इसका प्राविजन कहीं भी इस ऐक्ट में नहीं है कि उनके चक कैसे बनेंगे। इस तरह की तमाम गड़बड़ियां इसमें हैं। एक बात और आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तमाम काम प्रजातांत्रिक ढंग से करते हैं। तो गांव की जो भूमि प्रबन्धक कमेटी है उस पर मंत्री जी को विश्वास क्यों नहीं है ? इस काम के लिए वह अलग कमेटी क्यों बनाना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक कहलाने वाली सरकार अपने अधिकारियों की कमेटी क्यों बनाने जा रही है। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जहां चकबन्दी करावें वहीं के गांव के लोगों की चुनी हुई कमेटी बनावें और वहीं के लोगों से उसका चुनाव करावें। और वह समिति गांव की चकबन्दी करे। तो जो गड़बड़ियां हैं वह दूर हो सकती हैं। वह गांव की उर्वरा शक्ति को देखते हुये वहां की हर परिस्थिति को देखते हुये चकें बनाएंगी और उससे वास्तविक लाभ होगा। मैं अपने अनुभव से देहातों की बात कहता हूं कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो लालच वगैरह देकर अपने गांव और अपने घर के पास के खेत अपने नाम चक करा लेते हैं। जो अधिकारी वहां जावेंगे, उनको वहां का अनुभव तो रहेगा नहीं कि किस गांव की उर्वरा शक्ति कैसी है किस भूमि की क्या स्थिति है कौन बंजर है, कौन भूड़ है और कौन मांझा है। लेकिन जब गांव की समिति बन जायगी वह हर एक स्थिति का अनुभव करते हुये चक बना देंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अधिकारी नियुक्त किये जायंगे उनसे जो मिल जुल कर अपना काम बनाने वाले आदमी हैं वे अपना चक बनायेंगे और इससे मुकदमे बाजी ज्यादा बढ़ेगी हम उस मुकदमे बाजी को रोकना चाहते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य संशोधन विधेयक पर बोलें तो उचित हो वे तो मूल विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--यह सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों जाना चाहिये उस पर कुछ कह रहे हैं।

श्री रामसुभग वर्मा--चाहिये तो यह था कि जिनका नाम पटवारियों के कागज में दर्ज है उनको लेकर जिनको वापस करना है वापस कर दीजिये और इस तरह से जिनकी जमीन हो उनको वापस हो जाय। लेकिन माननीय मंत्री जी इस विधेयक से एक अजीब झगड़ा लगाना चाहते हैं और मुकदमे बाजी में लोगों को फंसाना चाहते हैं। ताकि हजारों आदमी उससे परेशान हों। मैं चकबन्दी के सिद्धान्त का समर्थक हूं लेकिन जैसा इस विधेयक में संशोधन करके यह विधेयक लाया जा रहा है ठीक नहीं है और इसलिये इसे प्रवर समिति को भेजना चाहिये। यही मेरा कहने का मतलब है।

श्री गुरु प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति में इस विधेयक के भेजे जाने के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि इस चकबन्दी के बारे में बहुत से लोगों ने दरख्वास्तें भेजीं कि लोग इसके पक्ष मेनहीं है और जनता पर दबाव डाला जा रहा है और ऊपर से यह चीज लादी जा रही है। मेरे यहां सुल्तानपुर जिले में चकबन्दी होने जा रही है उसमें जनता का कितना अधिक उत्साह है वह देखने योग्य है। अभी ९ जनवरी को माननीय चौधरी साहब हमारे यहां गये थे और मूसलाधार पानी बरस रहा था लेकिन उस पर हजारों आदमी इकट्ठा हुए और उन्होंने भाषण सुना। जो आज विरोध की बात कही जाती है उसमें सबसे बड़ा राज यह है जो पुराने जमींदार थे उन्होंने कुछ अपने खेत बना रखे थे आज उस खेती को इस चकबन्दी से नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने किसानों को दबा-दबा कर बढ़िया से बढ़िया खेत सिवान अपने लिये छांट रखे थे और उन पर अपनी खेती करने चले आते थे। तो अब चकबन्दी से यह होगा कि बढ़िया से बढ़िया खेत उन्होंने छांट रखे हैं वे इकट्ठे मिल जायेंगे। और जो उन्होंने बढ़िया से बढ़िया खेत किसानों से छीन कर अपने लिए रखे थे वह अब उनके पास नहीं रह जायंगें। इसलिये वह किसानों को इकट्ठा करके उनको गलतफहमी में डाल कर उनसे दस्तखत करवाते हैं और इस प्रकार से यहां भेजते हैं। यहां से जो उनकी दरख्वास्तें जांच के लिये भेजी गयीं से बिलकुल सिद्ध हो गया कि उनको बहकाकर उनसे दस्तखत कराये गये थे। वास्तव में वह चकबन्दी के विरुद्ध नहीं है बल्कि वह अच्छी तरह से उसका स्वागत करने के लिये तैयार हैं और चकबन्दी शीघ्र करना चाहते हैं। यही कारण है कि जिसकी वजह से किसानों में असंतोष फैला हुआ है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे काम में देरी होती है। हम जिस काम का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि महीने, दो महीने चार महीने में काम होगा, उसमें कुछ वैधानिक अड़चनों के कारण और कुछ हमारे विरोधी दल के भाइयों की कृपा के कारण उस काम में जो कि साधारणतया जनता के लाभ के लिये होने वाला है उसमें विलम्ब हो जाता है और उसी के कारण हममें असंतोष होता है। यही कारण है कि हम लोग इस बात के पक्ष में नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को फिर प्रवर समिति में भेज कर कुछ समय नष्ट किया जाय और उसमें हम लोगों को फिर कुछ समय लगाकर अपने समय को और इस माननीय सदन के समय को नष्ट करने का अवसर मिले। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐसे काम को जो जनता के लिये लाभदायक हैं और जिनकी समाज को बड़ी आवश्यकता है। उन कामों को शीघ्र संपन्न करने की हमारी मनोवृति होनी चाहिये।

अभी हमारे एक भाई साहब ने यह कहा कि इसके पहले तमाम खेतों का बटवारा हो जाना चाहिये और उन खेतों के बट जाने के बाद इस चकबन्दी का काम शुरू होना चाहिये। यह चीज तो ऐसी है जो कि हमारी होल्डिंग्स को, हमारे खेतों को और भी एकोनामिक और अलाभकर बनावेगी। हमारे यहां जितने बसते हैं उनके हिसाब से अगर खेतों को बाटा जाय तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं रह जायगा जो कि खेती ही खेती पर निर्भर रह करके अपनी गुजर बसर कर सके। इसमें किसी प्रकार की ऐसी संभावना ही नहीं है कि बड़े-बड़े लोगों को ही फायदा होगा। अभी यह कहा गया कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनकी बड़े-बड़े फार्म हैं उनके लिये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी समझ में यह बात आती ही नहीं कि यह चीजें कैसे कही जाती हैं। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं वह तो चक में हैं ही, उनके लिये चकबन्दी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चकबन्दी तो उनके लिये लाभदायक है जो बेचारे गांव के रहने वाले किसान हैं जिनके पास दस बीघा खेती है जो कि गांव के चारों तरफ फैली हुई है। कहीं १० बिसुवा है कहीं ५ बिसुवा है, कहीं ४ बिसुवा है। इस प्रकार से उनके खेत हैं। वह अपनी खेती के लाभ के लिये न तो कुवां बनवा सकते हैं और न कोई साधन ही इकट्ठा कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर वह अपने गांव के एक तरफ खेत को रखाते हैं, उसे सांड और जंगली जानवरों से बचाते हैं तो दूसरी तरफ बन्दर उत्पात मचाते हैं और अगर तीसरी तरफ बहु रहु करके अपने

[श्री गुरुप्रसाद सिंह]

खेत को रखाते हैं तो दूसरी तरफ उनके खेत से चोरी हो जाती है, उनके खेत उजड़ जाते हैं। इस तरह की उनके सामने कठिनाइयां हैं। अगर किसी परिवार में तीन-चार आदमी हैं, तो अगर वे सब रखवाली नहीं करेंगे तो वे अपने खेतों की रक्षा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आम तौर से गांवों में यह मेंटेलिटी होती है कि लोग सिर्फ अपने खेत को ही रखाते हैं और दूसरे की रक्षा नहीं करते। अगर कोई सांड़ आता है तो उसे अपने खेत से वो हटा देंगे लेकिन यदि वह बगल के खेत में चर रहा है तो उसे वहां से नहीं भगायेंगे और उसे चरने देंगे। इस प्रकार से हमारी चकबन्दी की जो योजना बनाई गई है वह हर दृष्टि से बहुत ही सुन्दर है। हमें इसमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह शीघ्र ही कार्यान्वित हो। इन कारणों से मैं इसको प्रवर समिति में भेजने का विरोधी हूं और यह चाहता हूं कि शीघ्र ही इस संशोधन विधेयक को सदन स्वीकार कर लें ताकि जो यह समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने वाली उन्नतशील योजना है वह समाज में सफल हो सके।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव किया था। अब मैं आशा करता हूं कि उस पर आप हाउस की राय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि ग़लतफहमी की वजह से इतनी लम्बी लम्बी तकरीरें माननीय गेंदा सिंह जी की और माननीय रामसुभग जी की हो गयीं। जैसा हमारा मौजूदा अधिनियम है उसमें भूमि प्रबन्धक समिति का जिक्र है। जिस वक्त यह भूमि प्रबन्धक समिति की धाराएं रखी जा रही थीं मैंने उस समय भी अपने कानूनी सलाहकारों से यह कहा था कि भाई अगर यह ठीक काम न करे तो गवर्नमेंट को यह अधिकार होना चाहिये कि इनको हटा दिया जाय। उस पर उन्होंने जवाब यह दिया था कि यह लैंड मैनेजमेंट कमेटी है और लैंड मैनेजमेंट कमेटी को हटाने का अधिकार जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में पहले से मौजूद है। मैं खामोश हो गया। लेकिन बाद में विचार करने से हमने यह देखा कि वह लैंड मैनेजमेंट कमेटी और है और यह लैंड मैनेजमेंट कमेटी और है। केवल नामों में तो समानता है लेकिन कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के मातहत जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उसके खिलाफ जमींदारी एबालीशन ऐंड मैनेमेंट ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही करना संभव नहीं होगा। इसलिये इसका नाम ही बदल दिया और कंसालिडेशन कमेटी रख दिया और जिस तरह से जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के मातहत भूमि प्रबन्ध कमेटी को हटाने का और उसकी जगह दूसरी समिति कायम रखने का अधिकार गवर्नमेंट को हासिल है, वही अधिकार हमने इसमें ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह अधिकार ले लिया इससे यह बहस करना कि इस गवर्नमेंट को अब तक जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों में विश्वास ही नहीं रहा, यह तो अब सब काम अफसरों से कराना चाहती है, यह दलील तो बिल्कुल ठीक नहीं बैठती है। हर जगह, हर कानून में यह गुंजायश रखी जाती है कि जो बाडी या अथारिटी या कमेटी बने, अगर, अयोग्यता से, ईमानदारी की कमी के कारण न तजुर्बेकारी के कारण या किन्हीं और कारणों से वह काम ठीक न करे तो उसका इंतजाम किसी और प्रकार से किया जाय। हर कानून में ऐसा होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम न करे, म्यूनिसिपल बोर्ड काम न करे या और भी कोई बाडी हो, कोई कारपोरेशन हो, कोई कारपोरेशन हो वह काम न करे तो उनकी जगह गवर्नमेंट को हमेशा अधिकार

होता है कि एक समिति या उपसमिति बना दे और वह उस काम को चलाये। तो ऐसे ही जैसे हमने जमींदारी एबोलीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत कमेटी बनायी वैसे ही लैंड मैनेजमेंट कमेटी के लिये रखा और ऐसा ही हम उसके लिये रखना चाहते हैं। तो इससे यह नतीजा कहां निकला कि इस गवर्नमेंट का जनता में विश्वास नहीं रहा और यह गवर्नमेंट केवल अफसरों के बल पर चलना चाहती है। यों तो हर आदमी को अधिकार है, जो चाहे कहे, लेकिन कम से कम इसका यह नतीजा निकलता नहीं।

फिर एक लफ्ज से और ग़लतफहमी मालूम होती है। हमने लफ्ज 'अथारिटी' रख दिया है, इसलिये हमारे मित्र यह समझते हैं कि कोई आफिसर ही रखा जायगा। यह लाजिमी नहीं है। इसमें लफ्ज तो यह है कि--

"जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा ज्ञातव्य बात के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अथवा अभ्यर्पित कर्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इनकार कर दिया है अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है अथवा अन्य किसी हेतु से ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुनःसंगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों अथवा कर्तव्यों को करने अथवा सम्पादन के हेतु नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रति सभी अभिदेशों के अन्तर्गत इस प्रकार पुनर्संगठित भूमि प्रबन्धक समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति जैसी भी दशा हो, अभिदेश होंगे।" तो इसमें तो यह है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी को हम रिआर्गेनाइज करेंगे और अगर किसी कारण यह भी मुमकिन न हो तो किसी एक आदमी को मुक़र्रर करेंगे और जो भी आदमी मुक़र्रर होगा वह अथारिटी कहलायेगा और आदमी क्या अगर किसी कमेटी को मुक़र्रर करें तो वह भी अथारिटी कहलायेगी। अथारिटी के माने यह कहां है कि वह कमिश्नर होगा या कानूनगो होगा। मान लीजिये कि दूसरे लोग भी यह कहें कि हमारी कमेटी न बनाइये, हमें आपस में एक दूसरे पर विश्वास है, हममें से १०-२० आदमी तो काम नहीं कर सकते लेकिन फलां आदमी काम कर देगा, और मान लीजिये सारे आदमियों का विश्वास गेंदासिंह जी पर है इसलिये गेंदासिंह जी को अथारिटी बना दें। तो इस पर सारा महल बना देना और तक़रीर कर डालना और जो बात चाहते थे कि इस गवर्नमेंट में कमजोरियां हों, उन कमजोरियों को दिखला डालना कहां तक उचित है। जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रेफार्म्स ऐक्ट की धारा, १२७ जो अंग्रेजी में है, अध्यक्ष महोदय मुझे पढ़ने की इजाजत दें, वह इस प्रकार है :--

"If at any time the State Government is satisfied that a Gaon Panchayat or the Committee, i. e., the Land Management Committee has failed without reasonable cause or excuse to discharge the duties or to perform a function imposed or assigned by or under this Act, or circumstances have so arisen that a Gaon Panchayat or the Committee is rendered, unable or may be unable to discharge the duties or functions imposed or assigned by or under this Act or it is otherwise expedient or necessary to do so, it may, by notification in the *Gazette*, declare that duties, powers and functions of the Gaon Panchayat or the Committee under this Act shall be discharged, exercised and performed by such person or authority and for such period and with such restrictions as may be specified."

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल वही शब्द हैं, इसका तर्जुमा करने की आवश्यकता नहीं है, हमने लफ्ज लिये ही इससे हैं, धारा १२ बिल्कुल यही है। एक फर्क है इसमें और वह यह है कि उस कमेटी या गांव पंचायत को हटा कर गवर्नमेंट चाहे तो एक व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को मुकर्रर कर सकती है। इसमें हमने व्यक्ति भी नहीं रखा, हमने कहा कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी का पुनर्संगठन कर सकते हैं या किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के ऐक्ट होते हैं उन सब में इस तरह का प्राविजन होता है ताकि परमात्मा न करे, अगर वह कमेटी किन्हीं भी कारणों से काम न करे तो गवर्नमेंट का काम न रुके और अधिनियम का उद्देश्य हो वह बेमतलब न हो जाय। इससे जो कुछ माननीय गेंदा सिंह जी ने मतलब निकाला हर्गिज हर्गिज वह मतलब उससे निकलता नहीं है।

एक और बात माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कही कि इस गवर्नमेंट के अफसरान जो हैं उनका ३२ फीसदी काम ठीक होता है और ६८ फीसदी ग़लत। उनके दिमाग़ में हर वक्त आजमगढ़ भरा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी-- अब बनारस भी आ गया।

श्री चरणसिंह--हां, दो तीन रोज से बनारस भी आ गया। आजमगढ़ में ३२ फीसदी दरख्वास्तें हमारे अधिकारियों ने सही पायीं और दुरुस्ती कर दी और ६८ फीसदी ग़लत पायीं। तो इससे यह नतीजा निकालना कि ३२ फी सदी काम अफ़सरों का ठीक होता है कोई सही नतीजा नहीं कहा जा सकता। फिर आजमगढ़ में जो अफ़सरान ने काम किया वह बिल्कुल सही किया क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों ने वहां जो सूबे भर का सारा जोर लगाया था वह हफ्ते दो हफ्ते में फ़िज़िल आउट हो गया। अगर कोई आदमी कोई कदम उठाये और उसमें वह फ़ेल हो जाय तो आम-तौर पर उसका फिर जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन एक हैं हमारे मित्र माननीय गेंदा सिंह जी, हमारे मित्र जो इसी का जिक्र करते हैं। गो यह ग़लत साबित हो चुका है, निष्प्रयोजन साबित हो चुका है, असफल साबित हो चुका है। लेकिन फिर भी वह उसका जिक्र करते हैं। लेकिन बार-बार किसी चीज के जिक्र करने से कुछ लाभ नहीं होता है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि क्या चकबन्दी की योजना अक्रिय हो गई है इसलिये गवर्नमेंट यह विधेयक लाई है। यह बात कैसे साबित हो गई। यह नतीजा उन्होंने कैसे निकाल लिया कि हम चकबन्दी का काम भूमि प्रबन्धक समिति या अफसरों को इसलिये दे रहे हैं कि यह योजना जनप्रिय नहीं हो रही है इसलिये उसका इलाज हमारे दिमाग में यह आ सकता है कि अपने अफसरों को अधिकार दे दें। सदके जाऊं आपकी दलील पर।

अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज की बात तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जिस-जिस जिले में मैं गया हूं, आम तौर पर जितने प्रतिनिधि जनता के यहां बैठे हैं, उनकी तरफ से तथा जनता की तरफ से हमेशा यही तकाजा रहा है कि इन १८ जिलों में हमारे जिले को भी शामिल कर लिया जाय। लेकिन हां, एक बात सुनने में जरूर यह आई कि कुछ लोग जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े किसान हैं उनकी जमीन तो तकसीम हो जायगी लेकिन जो छोटे किसान हैं उनकी जमीन को जब्त करके सरकार उनकी जगह बड़े-बड़े फार्म बना देगी। इस तरह का प्रचार कुछ लोगों की तरफ से हो रहा है। हम इस प्रकार की शिकायतें जिलों में पाते हैं। लेकिन झूठ सच के सामने कब तक टिकेगा। जहां योजना आयगी लोगों को स्वयं दीख पड़ेगा कि हम उनको मजदूर बनाना चाहते हैं या उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

हमारे यहां ऐसे कितने बड़े फार्म हैं जहां यह सवाल पैदा हो सकता है। चकबन्दी का बुनियादी सिद्धान्त है कि जितनी जमीन जिसके पास है आना पाई से उसी हैसियत से उसको दी जायगी। केवल फर्क इतना होगा कि बिखरे खेतों को इकट्ठा कर देंगे। इससे जमीन न घटती है और न बढ़ती है। एक फार्म छपा हुआ है कि देवरिया में चकबन्दी बंद करो उस पर १०-२० दस्तखत हैं। अगर कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि गवर्नमेंट का सही काम भी हो तब भी उसकी मुखालिफत करना है तब तो ठीक है। हमारी हस्ती ही किसी को नहीं सुहाती है तो वह जो चाहे करें। लेकिन जनता इन सब बातों को जानती है और सही गलत में इम्तियाज कर सकती है। यह कहना कि इस योजना में जनप्रियता की कमी हो गयी है हर्गिज हर्गिज सही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रिय मजमून है माननीय गेंदा सिंह जी का, जो मौके बेमौके उठा देते हैं कि पंजायत राज विभाग में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ झगड़ा मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्होंने किसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये मऊ, जिला आजमगढ़ में रंगाई, धुनाई के कारखाने से सम्बंधित तारांकित प्रश्नों पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा १-४-५४ को पूछे गये मऊ, जिला आजमगढ़, में रंगाई धुनाई, के कारखाने से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या ९ से ११ तक के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद आरम्भ होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रंगाई और धुनाई का कारखाना जिसके सम्बन्ध में आपने विवाद प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है, यह सन् १९४९ में प्रारम्भ किया गया और सन् १९५१ में यह कारखाना बन कर तैयार हो गया। सन् ५२ में उद्योग मंत्री के मजबूत हाथों में इसका प्रबन्ध करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ताज्जुब की बात है कि जिस वक्त यह कारखाना बनाने का विचार माननीय उद्योग मंत्री के दिल में हुआ, उन्हें चाहिये था कि निर्माण विभाग को सौंपने के पहले एक नकशा उनके सामने होता कि इस कारखाने में कौन-कौन मशीन लगायेंगे और उनके लिये कितने फीट ऊंचे और लम्बे घर बनाये जायंगे। लेकिन इन सवालों से यह प्रतीत होता है कि माननीय उद्योग मंत्री के दिल दिमाग में इसका नकशा कोई नहीं था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सन् १९४९ से आरम्भ होकर सन् ५१ में तैयार हुए कारखाने में भी बायलर मशीन लगाने के लिए घर नहीं बना और सन् ५१ से सन् १९५२-५३-५४ और आज तक लगातार बायलर मशीन के अभाव में २५ कर्मचारी बिना काम के तनख्वाह पा रहे हैं और १९,४३८ रुपया इस सरकारी कोष से जो खर्च किया गया है, मैं समझता हूं कि वह अपव्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि वायलर मशीन के घर बनाने का ठेका कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के ही जिम्मे दे दिया गया। मैं माननीय श्रीनाथ, एम० एल० ए० जो कि मऊ के निवासी हैं सदन में दिखायी नहीं देते उनके साथ इस कारखाने को देखने गया था और वे उद्योग मन्त्री जी के काम को देख करके ताज्जुब हुआ मुझको। एक लम्बी ऊंची दीवार जिसकी जोड़ाई मिट्टी के गारे से हुई है धराशायी हो गयी। अगर सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उस मकान को बनवाया होता और मिट्टी

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

के गारे से जोड़ाई न हुई होती तो मकान और अगर एक साल तक वायलर मशीन के अभाव में जो सरकार का नुकसान हुआ है वह न होता। लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जी की लापरवाही और सरकार की गैरजिम्मेदारी का यह नतीजा हुआ कि ५ लाख ५२ हजार ३ सौ ४५ रुपया खर्च करने के बावजूद भी आज वह कारखाना चला नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वायलर मशीन का घर बनाने का ठेका किसको दिया गया था? क्या यह सही नहीं है कि वहीं के काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हीं के जिम्मे दिया गया था और जिसका नतीजा हुआ कि सरकारी कोष से ८ सौ रुपये का नुकसान हुआ और यही नहीं बल्कि तीन साल तक जो कर्मचारियों को तनख्वाह दी गई बिना किसी काम के उसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है और माननीय उद्योग मंत्री के ऊपर है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि सप्लीमेंटरी प्रश्न के जवाब में बताया गया कि कारखानों में काम होता है। मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कारखाने में क्या काम होता है? वायलर मशीन जो सही माने में उस कारखाने की आत्मा है, उसका प्राण है, उसका अभाव है। रंगाई और धुनाई का कोई साधन नहीं है। केवल जो २५ कर्मचारी हैं अध्यक्ष महोदय, वह अपने हाथों से कुछ रंगाई कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह २५ कर्मचारी जिनके काम पर माननीय उद्योग मंत्री को संतोष है, वह कहते हैं कि उनको संतोष है उनके काम पर, मैं जानना चाहता हूं कि तीन साल के अन्दर उन्होंने कितना काम किया है। उस कारखाने से कितने की आमदनी सरकार को हुई है, यह सरकार स्पष्ट हमें बताये। मैं समझता हूं कि आमदनी नहीं के बराबर हुई है। यह सदन के लिये अपमानजनक बात है कि जहां पर मामूली काम न होता हो, ढाई हजार रुपये माहवार तनख्वाह दी जाती हो, जिसमें लाखों रुपये का खर्चा हुआ हो, यह सब इसलिये किया जा रहा है कि वहां के कर्मचारियों को खुश रखा जाय, वहां के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का साधन मिले इसलिये उस कारखाने को रक्खा गया है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर उद्योग मंत्री को मौका हो उस कारखाने को देखने का और मऊ कस्बे में रहने वाले निवासियों से बात करने का तो पता चलेगा कि मऊ कस्बे के ९९ फीसदी बुनकर उस कारखाने के विरोध में हैं। अध्यक्ष महोदय, मऊ कस्बा ऐसा है जो मजदूरों का कस्बा है। वहां पर वहां के बुनकर बनारस से और दूर-दूर से रंग ला करके अपने हाथों से कपड़ा रंग करके, सूत रंग करके अपना काम चलाते हैं। यह कारखाना सही माने में ऊन बुनकरों की मजदूरी को छीनने वाला कारखाना होगा। एक तरफ माननीय उद्योग मंत्री और उनकी सरकार यह कहती है कि हम उद्योगों का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, मजदूरों को काम दिलाना चाहते हैं बुनकरों की समस्या को हल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बुनकरों की जो रोजी है उसको छीन करके गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप के द्वारा माननीय उद्योग मंत्री से मैं इन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं अभी उद्योग मंत्री ने जो घोषणा की है कि जुलाई मास से यह कारखाना चलेगा, मुझे संदेह है कि जुलाई मास से भी यह कारखाना नहीं चल सकेगा। इन शब्दों के साथ जो हमने यहां शंका उतपन्न की है मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री इसका उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र पांडेय जी ने तीन अभियोग मेरे खिलाफ लगाये हैं। पहला अभियोग यह है कि इस कारखाने में काम नहीं के बराबर हो रहा है जब कि मंत्री जी को काम से पूर्ण संतोष है। पहला चार्ज इस नोटिस में यह है। जहां तक इस अभियोग का संबंध है उसके बारे में केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं कि मेरे और मेरे मित्र के दृष्टिकोण में फर्क है। जैसे निगाह में प्लस और माइनस का फर्क होता है वही फर्क प्रतीत होता है। जो काम हो रहा है वह हमारे मित्र के दृष्टिकोण से नहीं के बराबर है। लेकिन मेरे नुक्ते ख्याल से वह काम मौजूदा परिस्थिति में ठीक तौर से हो रहा है। पहली अप्रैल या उसके लगभग जब यह प्रश्न रखा गया था तो उसके जवाब में भी स्पष्ट रूप से

कह दिया गया था कि ब्यालयर मशीन देर से आने के कारण तथा चिमनी बनने में कठिनाई की वजह से ठीक समय से वह फैक्ट्री चालू नहीं हुई और जुलाई तक चालू हो जायगी। मशीनें सब आ गयी हैं। लेकिन तब तक हाथ से रंगाई का काम शुरू है। मैं अपने मित्र के संतोष के लिये यह बताना चाहता हूं कि १९५०-५१ में ३९ हजार पाउन्ड धागा रंगा गया। ५१-५२ में ४० हजार ५ सौ पौंड धागे की रंगाई हुई। ५२-५३ में २४ हजार ३२० पाउन्ड धागे की रंगाई की गयी और १९५३-५४ में १० हजार पौंड की रंगाई की गयी। इस रंगाई की उजरत जिन बुनकरों ने सूत लिया उन्होंने दी और यह जो रकम रंगाई की आयी वह बजट में, रिसीट साइड में शामिल की गयी। इसमें हर साल कमी बेशी जरूर हुई क्यों आमतौर से कपड़े के व्यापार में स्लम्प होने की वजह से बुनकरों का काम चला। लेकिन इतना पक्का रंग इस कारखाने में रंगा जाता है जिसको बुनकर भाई व्यक्तिगत रूप से अलग अलग उस खूबी के साथ और उस तरह पक्का रंग नहीं कर सकते। उनके कपड़ों की क्वालिटी को बढाने के लिये रंग मजबूत बनाने के लिये यह कारखाना खोला गया। इसी दृष्टिकोण से काम फिलहाल हाथ से चल रहा है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जुलाई में हमारी फैक्ट्री जरूर चल जायगी।

दूसरा चार्ज हमारे ऊपर यह लगाया गया कि मुनाफे के संबंध में जब यह सवाल हुआ तो टालू जवाब मैंने दे दिया। मैं कभी ऐसी जुर्रत इस सदन के सामने कर नहीं सकता। इस सदन के सामने जो मुनासिब बात होती है वही कही जाती है, वही मैं हमेशा कहता हूं। मैंने यह बतलाया कि मुनाफे का हिसाब-किताब का बजट फीगर्स से पता चल सकता है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की इनकम रिसीट साइड से दी हुई और जो बुकलेट बांटी गयी थी उसमें इस मऊ फैक्ट्री की आमदनी के बारे में हवाला दिया हुआ है। लिहाजा जिस शक्ल में जवाब दिया गया वह इवेसिव रिप्लाई नहीं कहा जा सकता। अगर हमारे मित्र तकलीफ करके बजट लिटरेचर को देख लेते तो उनको जवाब स्पष्ट हो जाता। उनको इत्मीनान भी हो जाता और ऐसी शिकायत करने का मौका न मिलता। तीसरा चार्ज जो मेरे ऊपर लगाया गया वह यह कि एक ईंट की दीवार और वह गारे की चुनाई कराई गई। इस वजह से दीवार गिर गई। मैं समझता हूं कि जुड़ाई और कच्चे गारे से जुड़ाई के आजमगढ़ और मऊ में बहुत से मकान बने होंगे और वे सब गिर गये होंगे, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। मेरे मित्र कहते हैं कि इसी कारण से गिर गई लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बहुत से वजूहात हो सकते हैं। मैं अपने को इतना माहिर नहीं समझता कि मैं कह दूं कि यही एक कारण है। जहां तक मेरी इत्तिला है पूर्वी जिलों में शुरू में बारिश जरूरत से ज्यादा हुई और आजमगढ़ और मऊ में बवंडर भी आये तो उस बवंडर का मुकाबला कौन करे और उसमें अगर यह मकान गिर गया तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हुई। हमारे मित्र को शायद यह भ्रम है कि डिपार्टमेंट के किसी क्लर्क ने इसे बनवाया या किसी और कर्मचारी ने बनवाया। डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर हैं उन्होंने उसे बनवाया। अगर पी० डब्ल्यू० डी० के चार्ज में होता तो भी इंजीनयर ही बनवाते, कोई दूसरा शख्स नहीं बनवाता। हमारा इंजीनियर काबिल है या नाकाबिल है उसके बारे में कोई रायजनी नहीं करता। इंसान से गलती हो सकती है।

मैं आपके जरिये अपने मित्र को यह भी इत्तिला देना चाहता हूं कि वह एक ईंट की दीवार नहीं थी। डेढ़ ईंट की दीवार थी और इंजीनियर ने उसे बनवाया। गिर गई इससे मैं इन्कार नहीं करता। जब तक मैं उस इंजीनियर को नाकाबिल करके निकाल न दूं तब तक मैं दूसरे के सुपुर्द काम कैसे करता। दुबारा भी उसी इंजीनियर ने उसे बनाया है। फिर यह बिलकुल पेटी वर्क है। फायनेंशियल हैंडबुक में पेटी वर्क का यह डेफीनीशन है कि साढे सात हजार से कम कीमत का जो काम हो उसके लिये पी० डब्ल्यू० डी० जिम्मेदारी नहीं लेता जब तक वह आफिशियल रेजीडेंस से कनेक्टेड न हो। वह आफिशियल रेजीडेंस का हिस्सा तो था नहीं, फैक्ट्री का एक जुज था और पेटी वर्क की डेफिनीशन में था। लिहाजा पी० डब्ल्यू० डी० से

[श्री हुकुमसिंह]

नहीं बनवाया गया और उसमें किसी नियम की भी खिलाफवरजी नहीं की गई। क्वालिफाइड इंजीनियर ने उसे बनाया। यह ठीक है कि ८०० रुपये लेबर पर खर्च हुये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात हो गई। उसे फिर दोबारा इंजीनियर से बनवाया गया, इसमें कौन सी खराब बात हुई यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं इतना दूरदर्शी था नहीं कि भविष्य जान सकता कि अबके मऊ में बड़ी जबरदस्त बारिश होगी। ऐसी बातें दुनिया में हुआ करती हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारा मकान गिरा। मैं उसे देखने की चेष्टा करूंगा। मेरे मित्र ने मुझसे एक दफा बातचीत की थी और मैंने कहा था कि मैं चल कर अपनी आंख से देखूंगा और कोई खराबी होगी तो उसे ठीक करने की चेष्टा करूंगा। लेकिन अभाग्यवश मैं एक महीने से अस्वस्थ्य हूं और मुझे मौका नहीं मिला कि उनके साथ जाता और उसे देखता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मौका मिलने पर उसे देख आऊं और देख भाल करके उसे ठीक करने की चेष्टा करूं। हमारे विभाग की भरसक यह कोशिश है कि हम उस फैक्ट्री को चलावें। आज जो कुछ कहा गया उससे यह नतीजा निकला कि यह फैक्ट्री ऐसी है कि उससे हाथ से काम करने वालों की रोजी मारी जायगी। इससे यह नतीजा बरामद होता है कि आप इस फैक्ट्री के पक्ष में नहीं हैं। अगर इतने दिनों तक यह फैक्ट्री नहीं चली तो उनकी खुशकिस्मती से नहीं चली और बुनकरों की खुशकिस्मती से नहीं चली। मैं अपने दोस्त की राय से इत्तफाक नहीं करता। यदि वह चलती तो अच्छा होता। जितनी डिमांड वहां पर तागे की है और फिनिशिंग और टचिंग की है वह उसके बगैर नहीं हो सकता है और उसके बगैर वहां के बुनकरों का जो कपड़ा बनेगा उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी जो उसके लिये अनिवार्य है और जरूरी है कि बढ़िया हो। यह फैक्ट्री बिलकुल जरूरी है और हम उसको जल्दी ही चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र अपनी राय बदलकर मुझसे सहयोग करेंगे। अगर उनकी कोई राय हो तो वह अपनी राय दें ताकि वहां के रहने वाले बुनकरों का फायदा हो और वह उससे फायदा उठायें और जो उसके अन्दर खराबी है वह दूर हो जाय और उनको चार पैसा ज्यादा मिले।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री के वास्ते जो बड़ी चिमनी और कोयर्स और आने वाली हैं वह कब तक आयेगी और कहां से आयेंगी ?

श्री हुकुमसिंह---इसकी डिटेल इस वक्त यहां पर मेरे पास नहीं है। अगर मेरे मित्र कल मेरे आफिस में आने का कष्ट करें तो मैं उनको बतला सकता हूं।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सच है कि ५२-५३ में किसी खास वजह से ३० हजार रुपया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने सरेन्डर किया था और अगर यह सच है तो उसकी क्या खास वजह थी ?

श्री हुकुमसिंह---चूंकि खर्च नहीं हो सका इसलिये सरेंडर हो गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस वजह से ४१ से ५४ तक यह फैक्ट्री पूर्णरूप से पूरी नहीं हो सकी ?

श्री हुकुमसिंह---चूंकि बायलर नहीं मिल सका।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जो बवन्डर आया उसकी सूचना उनको कैसे मिली ?

श्री हुकुमसिंह---आप लोगों के जरिये से ही मिली।

श्री उमाशंकर--तब तो उनको यह खबर भी मिली होगी कि मऊ में कितने मकान गिरे ?

श्री हुकुमसिंह--पूरा विवरण नहीं दिया था।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सच है कि इस फैक्ट्री में रोजाना ५ बंडल सूत रंगा जाता है और करीब २५ आदमी काम करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह--रोजाना कितनी रंगाई होती है यह मैं नहीं बतला सकता हूं। हां, २५ आदमियों में १२ चपरासी तथा निम्नश्रेणी के नौकर हैं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सच है कि इस फैक्ट्री के रंगे हुये सूत की मांग मऊ के बुनकरों में बिलकुल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह--यह सच नहीं मालूम होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २५ आदमियों में १२ चपरासी किस तरह से रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह--यह नीचे के दरजे के आदमी हैं उनकी डिटेल बताना मुश्किल है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री का भाषण सुनने के बाद भी जितनी शंकायें थीं वे दूर नहीं हो सकीं। माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि बायलर न होने के कारण कारखाना चालू नहीं हो सका। मैंने पूछा था कि बायलर मशीन मऊ के कारखाने में कब लायी गयी, इसका उत्तर नहीं मिला। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि बायलर के आने के बाद उसके लिये घर बनाने का काम प्रारम्भ हुआ और जो घर बनाया भी गया उसकी बात कह ही चुका हूं। यदि घर निर्माण विभाग द्वारा ही बन गया होता तो १ वर्ष तक बायलर बेकार न पड़ा होता, और कर्मचारियों की तनख्वाह का रुपया भी बेकार न जाता। यह सब सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है।

मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि बायलर के अभाव में काम नहीं हो सका। बायलर मौजूद था लेकिन उसका घर नहीं था और इसलिये कारखाना चालू नहीं हुआ। श्री इस्तफा हुसैन ने ठीक ही कहा और मुझे ठीक मालूम है कि मऊ कस्बे के शायद भूलचूक कर किसी बुनकर ने कपड़ा रंगाया हो। उसमें कपड़ा रंगाने के लिये गाजीपुर और इलाहाबाद इत्यादि के बुनकर आते हैं। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि जहां कारखाना हो वहां के बुनकर अपना काम न करावें और बाहर के आवें। इसका कारण यही हो सकता है कि वहां की रंगाई का रेट महंगा है जिसे देने में बुनकर असमर्थ हैं। मैंने पूछा था कि जितना सूत रंगा गया, उसकी आमदनी क्या हुई और कितने रुपये तनख्वाह में गये। माननीय मंत्री जी कोई उत्तर न दे सके। मेरा अन्दाजा है कि कई गुना तनख्वाहों में गया। माननीय मंत्री ने कहा कि हम यह चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि इस कारखाने से वहां के बुनकरों को फायदा हो। एक साल बाद जब कारखाना अच्छी तरह से चलने लगेगा तो मंत्री जी कहेंगे कि नफा नहीं हो रहा है बल्कि नुक्सान हो रहा है और यह कहेंगे कि बाढ़ आगई या वर्षा आ गई और इसलिये सारी इमारतें गिर गयीं, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरे सवालों के ३, ४ महीने तक जवाब नहीं दिये गये। इसी समय के अन्दर बायलर का घर २ ईंटों का चूने के गारे से जोड़ा गया। बरसात हुई, यह सही है लेकिन उससे और भी पास के मकान क्यों नहीं गिर गये ? केवल उद्योग मंत्री जी का निपुण इंजीनियर, जो उसी कारखाने का मैनेजर है, उसका बनवाया हुआ घर क्यों गिर गया ?

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

इन शब्दों के साथ में फिर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कारखाने पर दृष्टिपात करें और जो रुपया जनता का वहां के कर्मचारियों ने उनकी आंखों में धूल झोंक कर नुकसान किये हैं वह उनसे वसूल किया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्री मान् जी, कोरम संभवतः नहीं है।

(घंटी बजाई गई।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अगर कोरम नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, साढ़े पांच बजे तक अगर कोरम नहीं हुआ तो वैसे ही समाप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—अब साढ़े पांच बजे हैं। कोरम पूरा नहीं हुआ है वैसे भी काम समाप्त हो चुका है। अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ,
२१ अप्रैल, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव विधान, सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद उ०प्र०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५०–५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर।)

तहसील	राजकीय चिकित्सालय			राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालय एवं उनको दी गई सहायता		
	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	यूनानी	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	यूनानी सहायता
हमीरपुर	जिला अस्पताल सुमेरपुर चिकित्सालय बेरी चिकित्सालय स्त्री चिकित्सालय	जरोखर सुमेरपुर पंचपुरी				
मोदहा	मुसकारा चिकित्सालय चीनी चिकित्सालय		खरेला	मोदहा, चिकित्सालय	मोदहा चिकित्सालय	५५० रु० वार्षिक
महोबा		सिजेहारी	कबराई	महोबा, चिकित्सालय		६०८ रु० वार्षिक
चरखारी	चरखारी चिकित्सालय	कनकुआ चरखारी सुगरा				४०० रु० वार्षिक
राठ	सरीला चिकित्सालय जिगनी चिकित्सालय मझगवां चिकित्सालय	गोकान्ड पुरेनी		राठ चिकित्सालय	झरोखर चिकित्सालय	७०० रु० वार्षिक ६०८ रु० वार्षिक
कुलपहाड़	कुलपहाड़ चिकित्सालय जैतपुर चिकित्सालय कुहनिया चिकित्सालय					

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२५—एल० ए०–१९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा